



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं  
की निष्पादन लेखापरीक्षा



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



हरियाणा सरकार  
वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 3



भारत के  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं  
की निष्पादन लेखापरीक्षा

हरियाणा सरकार  
वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 3



विषय सूची

| विवरण  | संदर्भ   |       |
|--|----------|-------|
|  | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| प्राक्कथन  |          | v     |
| कार्यकारी सार  |          | vii-x |
| <b>अध्याय-I</b>  |          |       |
| <b>प्रस्तावना</b>  |          |       |
| प्रस्तावना   | 1.1      | 1     |
| ग्रामीण जल आपूर्ति   | 1.2      | 2-3   |
| शहरी जल आपूर्ति  | 1.3      | 3-5   |
| जल आपूर्ति में शामिल विभाग/संस्थाएं  | 1.4      | 5-6   |
| लेखापरीक्षा उद्देश्य   | 1.5      | 6-7   |
| लेखापरीक्षा मानदंड   | 1.6      | 7     |
| लेखापरीक्षा का दायरा एवं पद्धति  | 1.7      | 7-8   |
| लेखापरीक्षा परिणामों का व्यवस्थापन   | 1.8      | 8     |
| <b>अध्याय-II</b>   |          |       |
| <b>अपर्याप्त योजना</b>   |          |       |
| राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप नीतियों/योजनाओं को तैयार करना  | 2.1      | 9-10  |
| राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना तैयार करना                                  | 2.2      | 11    |
| शहरी क्षेत्रों में योजना   | 2.3      | 11-12 |
| शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत संस्थाओं के लिए पानी की आवश्यकता का आकलन न करना                                    | 2.4      | 12    |
| संचालन एवं रखरखाव योजना तैयार करना   | 2.5      | 13-14 |
| जल सुरक्षा कार्य योजना तैयार करना  | 2.6      | 14-15 |
| नियोजित/निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्ति   | 2.7      | 15-19 |
| वाटर वर्क्स के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त न करने के कारण अक्रियाशील योजनाएं                                   | 2.8      | 19    |
| <b>अध्याय-III</b>  |          |       |
| <b>अनुचित वित्तीय प्रबंधन</b>  |          |       |
| वित्त का ओवरव्यू   | 3.1      | 21    |
| बजट और व्यय  | 3.2      | 21-23 |
| योजनाओं को आत्मनिर्भर बनाने में विभागीय प्रयासों का अभाव   | 3.3      | 23-24 |
| ₹ 278.20 करोड़ की राशि के जल प्रभारों की अवसूली  | 3.4      | 24-26 |
| सामुदायिक अंशदान का संग्रह   | 3.5      | 26-27 |
| राज्य का अंश विलंब से जारी करना  | 3.6      | 27    |
| राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन में केंद्रीय और राज्य निधियों को जारी करना और उनका उपयोग करना | 3.7      | 27-29 |
| समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा न करने के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त देयता                                     | 3.8      | 29-30 |
| <b>अध्याय-IV</b>   |          |       |
| <b>पानी की अपर्याप्त आपूर्ति</b>   |          |       |
| आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा का आकलन  | 4.1      | 31-32 |
| जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति की स्थिति                                       | 4.2      | 32-34 |

| विवरण  | संदर्भ   |       |
|--|----------|-------|
|  | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| रेवाड़ी शहर की केस स्टडी   | 4.3      | 34-36 |
| कुछ विशिष्ट प्रणालीगत मुद्दे   | 4.4      | 36-38 |
| मीटर कनेक्शन का प्रावधान   | 4.5      | 38-40 |
| जल लेखापरीक्षा का आयोजन  | 4.6      | 40    |
| वितरण प्रणाली में लीकेज के कारण गैर-राजस्व जल का उत्पादन   | 4.7      | 40-41 |
| पम्पिंग मशीनरी की हिस्ट्री शीट से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव न करना  | 4.8      | 41    |
| <b>अध्याय-V</b>  |          |       |
| <b>आपूर्ति किए गए पानी की खराब गुणवत्ता</b>  |          |       |
| आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता का आकलन  | 5.1      | 43-46 |
| जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न प्रयोगशालाओं में जांच किए गए पानी के नमूनों का विश्लेषण   | 5.2      | 46-47 |
| विफल नमूनों की पुनःजांच के लिए तंत्र का अभाव   | 5.3      | 47-48 |
| योजनाओं को शुरू करने से पहले स्रोत का परीक्षण  | 5.4      | 48-49 |
| प्रयोगशाला अवसंरचना  | 5.5      | 49-53 |
| समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल के मापदंडों के अनुसार पानी के नमूने का परीक्षण न करना  | 5.6      | 53-54 |
| जल नमूनाकरण के संबंध में लक्ष्यों का निर्धारण न करना   | 5.7      | 54-55 |
| प्रयोगशाला में मैनपावर की कमी  | 5.8      | 55-56 |
| फील्ड टेस्टिंग किटों (एफटीके) के उपयोग में कमियां  | 5.9      | 56-58 |
| यूरेनियम की उपस्थिति का पता लगाने के लिए परीक्षण सुविधाओं की कमी और उन क्षेत्रों में भारी धातुओं के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण न करना जहां पानी की आपूर्ति जमीन आधारित है | 5.10     | 58-61 |
| सामुदायिक जल उपचार संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) की स्थापना न करने के परिणामस्वरूप निवासी पीने योग्य पानी से वंचित रहे   | 5.11     | 61-62 |
| नलकूप आधारित योजना को नहर आधारित योजना में बदलने में विलंब   | 5.12     | 62    |
| ओवर हेड टैंकों (ओएचटी)/क्लियर वाटर टैंकों (सीडब्ल्यूटी) की नियमित सफाई नहीं की गई  | 5.13     | 62-63 |
| <b>अध्याय-VI</b>   |          |       |
| <b>स्थिरता पर कम जोर और अपर्याप्त निगरानी</b>  |          |       |
| स्थिरता उपायों को तैयार/कार्यान्वित न करना   | 6.1      | 65    |
| भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए विभागीय प्रयासों की कमी  | 6.2      | 65-66 |
| जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन न करना   | 6.3      | 66-67 |
| लोक परिवार/शिकायतें  | 6.4      | 67-68 |
| जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस)  | 6.5      | 68    |
| स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के कार्यों के पूर्ण होने में विलंब   | 6.6      | 68-69 |
| कार्य के पूर्ण होने में विलंब  | 6.7      | 69-70 |
| शहरी स्थानीय निकायों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) का अभाव  | 6.8      | 70    |

## परिशिष्ट

| परिशिष्ट | विवरण  | संदर्भ                 |       |
|----------|--|------------------------|-------|
|          |  | अनुच्छेद               | पृष्ठ |
| 1.       | ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के विवरण  | 1.2 एवं 1.3            | 73-74 |
| 2.       | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अंतर्गत शहरों और क्षेत्रों के विवरण | 1.3                    | 75    |
| 3.       | कार्यान्वयन एजेंसियों की संगठनात्मक संरचना   | 1.4 (III)              | 76    |
| 4.       | विस्तृत लेखापरीक्षा पद्धति   | 1.7                    | 77-78 |
| 5.       | महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण के लिए शामिल किए गए गांवों के विवरण   | 2.7 (ख)                | 79    |
| 6.       | लंबित विद्युत कनेक्शनों के कारण अक्रियाशील नलकूपों के विवरण  | 2.8                    | 80    |
| 7.       | बकाया जल प्रभारों के विवरण   | 3.4.1, 3.4.2 एवं 3.4.3 | 81    |
| 8.       | सामुदायिक अंशदान संग्रह के विवरण   | 3.5                    | 82    |
| 9.       | फ्लो मीटर लगाकर आपूर्ति की जाने वाली पानी की मात्रा का आकलन  | 4.1                    | 83-84 |
| 10.      | आई एंड डब्ल्यूआरडी और भंडारण टैंक क्षमता द्वारा स्वीकृत डिस्चार्ज के आकलन के लिए लेखापरीक्षा पद्धति  | 4.2 एवं 4.2.2          | 85    |
| 11.      | 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की पानी की आवश्यकता के विरुद्ध कम स्वीकृत डिस्चार्ज वाले वाटर वर्क्स/मामले  | 4.2.1                  | 86    |
| 12.      | 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की पानी की आवश्यकता के विरुद्ध कम स्वीकृत डिस्चार्ज वाले वाटर वर्क्स/मामले  | 4.2.1                  | 87-88 |
| 13.      | भंडारण और अवसादन टैंकों की कम क्षमता वाले मामले जहां पानी की आवश्यकता 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है  | 4.2.2                  | 89    |
| 14.      | भंडारण और अवसादन टैंकों की कम क्षमता वाले मामले जहां पानी की आवश्यकता 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है  | 4.2.2                  | 90-92 |
| 15.      | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में पानी के कनेक्शनों के विवरण  | 4.5.1                  | 93    |
| 16.      | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और एसआरआई प्रयोगशाला द्वारा प्रतिकूल बैक्टीरियोलॉजिकल जांच रिपोर्ट (टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया)                           | 5.1.1                  | 94    |
| 17.      | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की प्रयोगशाला द्वारा प्रतिकूल भौतिक और रासायनिक जल नमूनाकरण रिपोर्ट  | 5.1.1                  | 95-96 |

| परिशिष्ट | विवरण  | संदर्भ   |         |
|----------|--|----------|---------|
|          |  | अनुच्छेद | पृष्ठ   |
| 18.      | दोनों प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गए सामान्य मापदंडों की तुलना                    | 5.1.1    | 97-102  |
| 19.      | चयनित जिलों में परीक्षण किए गए पानी के नमूनों के विवरण                             | 5.2      | 103     |
| 20.      | जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला में स्टाफ की स्थिति                              | 5.8      | 104     |
| 21.      | गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के विवरण  | 5.11     | 105     |
| 22.      | उनकी स्थापना और जल परीक्षण के परिणाम के साथ फ्लोराइड प्रभावित बस्तियां             | 5.12     | 106     |
| 23.      | स्रोत के स्थानांतरण से संबंधित विलंबित योजनाएं                                     | 5.12     | 107-108 |
| 24.      | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अटेंड किए गए लोक परिवाद/शिकायतों के विवरण   | 6.4      | 109     |
| 25.      | ग्रामीण क्षेत्रों में स्रोत परीक्षण के विवरण                                       | 6.5      | 110     |
| 26.      | मंडलवार कार्यों की स्थिति (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)                        | 6.7.1    | 111     |
| 27.      | शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के चयनित मंडलों के कार्यों की स्थिति             | 6.7.2    | 112-113 |
| 28.      | विलंबित कार्यों की मंडलवार स्थिति (चयनित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम) | 6.7.2    | 114     |

## प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2016-17 से 2020-21 की अवधि को शामिल करने वाले प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के संदर्भ में आयोजित "हरियाणा में ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं" की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।



**कार्यकारी सार**



## कार्यकारी सार

राष्ट्रीय जल नीति सभी नागरिकों के लिए पीने योग्य पानी की न्यूनतम मात्रा की उपलब्धता और इसके उचित मूल्य निर्धारण, उचित सीवरेज सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जल आपूर्ति, भूजल और वर्षा जल के संयोजन के साथ सतही जल से जल आपूर्ति प्रदान करने के प्रयासों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर देती है। इनके अतिरिक्त, यह सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत के अंतर्गत भूजल के प्रबंधन, लीकेज एवं चोरी को दर्शाने वाले जल खातों एवं जल लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रकाशित करने, कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं और वर्षा जल संचयन पर भी जोर देती है।

हरियाणा में ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति को विभिन्न केंद्र प्रायोजित और राज्य योजनाओं यथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (अब जल जीवन मिशन), संवर्द्धन ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना ग्रामीण जल आपूर्ति, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना (एमजीजीबीवाई), अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), शहरी जल आपूर्ति राज्य योजना और शहरी एनसीआर (जल आपूर्ति) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।

हरियाणा राज्य में, ग्रामीण जल आपूर्ति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, जो 1.65 करोड़ ग्रामीण आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) की जल आपूर्ति आवश्यकता को पूरा करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के मानदंड जल जीवन मिशन (केंद्र प्रायोजित योजना) के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-डेजर्ट क्षेत्रों के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और डेजर्ट क्षेत्रों/नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार तैयार किए गए हैं। जुलाई 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी वाली 1,737 बस्तियां (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मानदंड से नीचे) थीं। शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति का रखरखाव एवं कार्यान्वयन तीन विभागों अर्थात् जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की शहरी जनसंख्या 0.89 करोड़ है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्थानीय निकाय और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल, 1999 के अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जल प्रदानगी को ध्यान में रखते हुए अगले 30 वर्षों के लिए संभावित जनसंख्या के आधार पर शहरी क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति की कुल आवश्यकता का आकलन करते हैं। मार्च 2021 तक, 89 शहरों में से नौ शहरों में पानी की कमी (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मानदंड से नीचे) थी।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, 2016-21 की अवधि के लिए हरियाणा में ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या (i) मानकों के अनुसार ग्रामीण और शहरी आबादी को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी की आवश्यकता और उपलब्धता के आकलन के आधार पर राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप उचित

नीतियां/योजनाएं तैयार की गई थी; (ii) वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था और निधियां समयबद्ध ढंग से प्रदान की गई थी तथा योजनाओं को निर्धारित समय एवं लागत के भीतर निष्पादित एवं कार्यान्वित किया गया था; (iii) जल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया गया था और पर्यावरणीय मुद्दों का उपयुक्त रूप से समाधान किया गया था; (iv) निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा जल आपूर्ति परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव प्रभावी थे; और (v) जल आपूर्ति की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं निगरानी के लिए तंत्र, पर्याप्त और प्रभावी था।

2016-21 की अवधि के लिए हरियाणा में ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति को शामिल करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। 22 जिलों में से आठ जिलों में फील्ड स्टडी की गई। फील्ड स्टडी के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों) और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 36 कार्यालयों में लेखापरीक्षा की गई थी। इस लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, विभाग के पास उपलब्ध जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के डंप डेटा का विस्तार से विश्लेषण किया गया था। आगे, कवरेज को सत्यापित करने के लिए चयनित जिलों के गांवों में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना बस्तियों में सर्वेक्षण किया गया था। इसके अलावा, इन जिलों में कुछ स्थानों का चयन निम्नलिखित के मूल्यांकन के लिए किया गया था: (i) एक महीने के लिए फ्लो मीटर और सब-मीटर की स्थापना द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पानी की मात्रा, (ii) विभागीय प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से नमूने एकत्रित करके निजी रूप से किराए पर ली गई प्रयोगशाला (तृतीय पक्ष) के साथ-साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, करनाल में राज्य जल परीक्षण प्रयोगशाला को भेजकर पानी की गुणवत्ता। (iii) चयनित स्थानों में लाभार्थी सर्वेक्षण कराकर जल की मात्रा एवं गुणवत्ता।

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों पर हरियाणा में अधिसूचित (मार्च और जून 2012) राज्य ग्रामीण और शहरी जल नीतियां राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप संशोधित नहीं की गई थीं।

राज्य की मौजूदा जल नीतियों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को फ्लैट दरों के बजाय पानी की मात्रा की खपत के आधार पर बिल देना है, जिसे प्राप्त नहीं किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बिलिंग फ्लैट दर से की गई थी और मीटर वाले कनेक्शन नहीं दिए गए थे।

भविष्य की योजना के लिए कोई समेकित कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। मंडलीय कार्यालय जिले के लिए एक समेकित योजना के बजाय बसावटवार अनुमान तैयार करने की प्रथा का पालन कर रहे थे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 39 प्रतिशत (नमूना-जांच किए गए 44 गांवों में से 17 गांव) गांवों में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी जैसा कि भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा आकलन किया गया था।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों में वार्षिक संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) योजना तैयार करने की कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। ग्रामीण जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और स्थानीय समुदायों की भागीदारी संतोषजनक नहीं पाई गई।

वित्तीय प्रबंधन प्रभावी नहीं था, क्योंकि केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत बचत देखी गई थी। योजनाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में विभागीय प्रयासों का अभाव था। राजस्व संग्रह, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल रखरखाव व्यय का केवल एक प्रतिशत था और शहरी क्षेत्रों के मामले में, यह 2016-21 की अवधि के लिए रखरखाव व्यय का कुल 15 प्रतिशत था। नमूना-जांच किए गए विभागों/मंडलों में मार्च 2021 तक उपभोक्ताओं से ₹ 278.20 करोड़ का जल प्रभार प्राप्त नहीं हुआ था। ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक अंशदान के कारण ₹ 69.36 करोड़ की कम वसूली/संग्रहण हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरिंग तंत्र नहीं था। राज्य में संचरण के दौरान पानी की वास्तविक हानियों को जानने के लिए आपूर्ति बिंदुओं पर कोई प्रवाह मीटर/बल्क मीटर मौजूद नहीं था। चयनित जिलों में 23 स्थानों पर, जहां फ्लो मीटर का उपयोग कर जल आपूर्ति की मात्रा की जांच की गई, लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के संदर्भ में जल आपूर्ति मानकों से कम पाई गई। नमूना-जांच किए गए 604 मामलों में से 72 मामलों में सिंचाई विभाग द्वारा छोड़ा गया प्राकृतिक जल वास्तविक आवश्यकता से कम पाया गया। 604 मामलों में से 63 मामलों में भण्डारण एवं अवसादन टैंकों की भण्डारण क्षमता वास्तविक आवश्यकता से कम पाई गई। रेवाड़ी शहर के निवासियों को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक के विरुद्ध, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण क्रमशः 111 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और 86 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान कर रहे थे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों के नमूना-जांच किए गए मंडलों में बिना मीटर वाले कनेक्शनों और अवैध कनेक्शनों के दृष्टांत थे।

कुछ चयनित स्थानों पर कॉलीफॉर्म की उपस्थिति के कारण पानी की गुणवत्ता प्रभावित पाई गई, भौतिक और रासायनिक मानदंड अनुमेय सीमा से परे पाए गए। राज्य, जिला एवं उप-मंडलीय प्रयोगशालाओं में मैनपावर की कमी थी। परिणामस्वरूप, चयनित जिलों की जिला/उप-मंडलीय प्रयोगशालाओं में पानी के नमूने के परीक्षण में कमी देखी गई। लेखापरीक्षा, परीक्षण के दौरान अनुपयुक्त पाए गए नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पता नहीं लगा सकी क्योंकि इस प्रयोजन के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कोई अभिलेख नहीं रखा गया था। समान पेयजल मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल के विरुद्ध प्रयोगशालाओं (राज्य, जिला/उप-मंडल) की कार्यप्रणाली में कमियां देखी गई थीं। राज्य प्रयोगशाला में यूरैनियम संदूषण के परीक्षण के लिए कोई सुविधा नहीं थी।

फील्ड परीक्षण किटों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि न तो किटों की खरीद एवं वितरण से संबंधित अभिलेख रखा गया था और न ही फील्ड परीक्षण किटों का उपयोग करके अयोग्य नमूनों को आगे की जांच के लिए पास की प्रयोगशालाओं में भेजा गया था। भूजल आधारित योजनाओं को सतही जल आधारित योजनाओं में बदलने में देरी के मामले देखे गए थे जिससे इन बस्तियों में आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत वर्षा जल संचयन प्रणाली, जल पुनर्भरण प्रणाली जैसी सतत संरचनाओं के निर्माण के लिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान, नई चालू नहर आधारित योजनाओं और नए चालू नलकूपों

का घटता अनुपात भूजल पर निर्भरता कम करने के प्रयासों की कमी को दर्शाता है। यद्यपि मतभेदों/शिकायतों के समाधान के लिए विभागों (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्थानीय निकायों एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) द्वारा समय-सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन शिकायतों के वर्गीकरण का आधार मौजूद नहीं था। परिणामस्वरूप, शिकायत निवारण की मॉनीटरिंग का अभाव रहता है।

विभाग को सामुदायिक भागीदारी के साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाएं सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और जल संसाधनों का इष्टतम और स्थायी उपयोग सुनिश्चित करती हैं। राज्य सरकार को जल आपूर्ति कनेक्शनों और प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति के कवरेज के संदर्भ में सुचारू जल आपूर्ति के लिए अगले दस वर्षों की अवधि के लिए एक विस्तृत क्षेत्र कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। योजनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग/संबंधित संस्थाओं को बकाया जल प्रभारों की वसूली, सामुदायिक अंशदान की वसूली के प्रयास करने चाहिए। जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए आवधिक मूल्यांकन अर्ध-वार्षिक/वार्षिक रिटर्न तैयार करके किया जाना चाहिए। प्रभावी जल प्रबंधन के लिए मीटरिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि कीमती पानी के रिसाव/बर्बादी को रोका जा सके और बिना मीटर वाले और अवैध कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सके। वितरण के लिए कुल जल उपलब्धता का आकलन करने के लिए, विभाग को स्रोत/वाटर वर्क्स पर वास्तविक समय आधारित डेटा/आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आधारित डेटा को कैप्चर करने का विकल्प तलाशना चाहिए ताकि किसी भी समय और किसी भी स्तर पर उचित निगरानी की जा सके। विभाग को प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे को उन्नत करके और आवश्यकता के अनुसार मैनपावर को तैनात करके परीक्षण सुविधाओं में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। फील्ड-परीक्षण किट संदूषण की प्रारंभिक जांच के लिए एक महत्वपूर्ण पता लगाने वाला उपकरण है, विभाग को विवेकपूर्ण ढंग से और मौजूदा निर्देशों के अनुसार इसका उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। यूरेनियम और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा समय पर और उचित उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों के दूषित भूमिगत जल के संपर्क में आने की संभावना को रोका जा सके। विभाग को गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में जल आपूर्ति परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि निवासियों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। विभाग को परिकल्पना के अनुसार टिकाऊ संरचनाओं का निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए और अतिदोहित ब्लॉकों में भूजल पर निर्भरता कम करने के विकल्प तलाशने चाहिए। विभागों/संस्थाओं को निवासियों के लाभ के लिए समय पर निष्पादन और कार्यों/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उचित योजना सुनिश्चित करनी चाहिए। विभाग को अपने मॉनीटरिंग तंत्र को मजबूत करना चाहिए और प्रत्येक गतिविधि जैसे जागरूकता कार्यक्रम, शिकायतों, सर्वेक्षण रिपोर्टों, खरीद डेटा के लिए उचित प्रलेखन किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक स्तर पर उचित मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सके। यह सिफारिश की जाती है कि राज्य स्तर पर डेटा प्राप्त करने के लिए एक कॉमन पोर्टल तैयार किया जाए।

**अध्याय-।**

**प्रस्तावना**




## अध्याय-1

### 1.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय जल नीति, सभी नागरिकों के लिए पीने योग्य पानी की न्यूनतम मात्रा की उपलब्धता और इसके उचित मूल्य निर्धारण, उचित सीवरेज सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जल आपूर्ति, भूजल और वर्षा जल के संयोजन के साथ सतही जल से जल आपूर्ति प्रदान करने के प्रयासों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर देती है। इनके अतिरिक्त, यह सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत के अंतर्गत भूजल के प्रबंधन, लीकेज एवं चोरी को दर्शाने वाले जल खातों एवं जल लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रकाशित करने, कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं और वर्षा जल संचयन पर भी जोर देती है।

सभी नागरिकों को पर्याप्त और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय जल नीति के महत्व को ध्यान में रखते हुए, 2016-21 की अवधि को शामिल करते हुए हरियाणा राज्य में ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई।

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जिसका लगभग 81 प्रतिशत क्षेत्र (कुल 44,212 वर्ग किलोमीटर में से 36,200<sup>1</sup> वर्ग किलोमीटर) कृषि योग्य है। नगर क्षेत्र 1,653<sup>2</sup> वर्ग किलोमीटर (लगभग चार प्रतिशत) के क्षेत्र में फैला हुआ है और शेष 5,999 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र (360 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को छोड़कर) है।



2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 2.54 करोड़ है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 1.65 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या 0.89 करोड़ है।

<sup>1</sup> आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किए गए हरियाणा के सांख्यिकीय सर्वेक्षण 2018-19 से लिए गए आंकड़े।

<sup>2</sup> शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के अंतर्गत तैयार की गई राज्य वार्षिक कार्य योजना से लिए गए आंकड़े।

## 1.2 ग्रामीण जल आपूर्ति

हरियाणा राज्य में, ग्रामीण जल आपूर्ति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, जो 1.65 करोड़ ग्रामीण आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) की जल आपूर्ति आवश्यकता को पूरा करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के मानदंड जल जीवन मिशन (केंद्र प्रायोजित योजना) के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-डेजर्ट<sup>3</sup> क्षेत्रों के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) और डेजर्ट<sup>4</sup> क्षेत्रों के लिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) और नाबार्ड<sup>5</sup> द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।


पानी की कमी वाली बस्तियों की स्थिति (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक से नीचे) इस प्रकार है:

तालिका 1.1: पानी की कमी वाली बस्तियों की स्थिति

| क्र. सं. | को स्थिति   | कुल बस्तियां | पानी की कमी वाली कुल बस्तियां |
|----------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1.       | अप्रैल 2016 | 7,948        | 1,878                         |
| 2.       | जुलाई 2022  | 7,336        | 1,737                         |

स्रोत: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

हरियाणा में, पानी की आपूर्ति तीन मुख्य स्रोतों पर आधारित है अर्थात् नहर आधारित, नलकूप आधारित और रैनीवेल<sup>6</sup> आधारित। मई 2021 तक ग्रामीण जल आपूर्ति के संबंध में विभिन्न स्रोतों की स्थिति निम्नानुसार है:



<sup>3</sup> गैर-डीडीपी क्षेत्र: अंबाला, फरीदाबाद, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत, मेवात, यमुना नगर, पंचकुला, रोहतक और पलवल।

<sup>4</sup> डीडीपी क्षेत्र: हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी।

<sup>5</sup> राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

<sup>6</sup> रैनीवेल का अर्थ है एक जल कुआं या संग्रह सिस्टम जिसमें हॉरिजॉन्टल छिद्रित पाइपों के साथ एक सेंट्रल चैम्बर शामिल है, जो एक जलभृत में फैला हुआ है। छिद्रित पाइप एक सतही वाटर बॉडी जैसे झील या नदी के नीचे विस्तारित हो सकते हैं।

### ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं

ग्रामीण जल आपूर्ति को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है:

**तालिका 1.2: ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं**

| योजना   | विभाग                           | वित्त पोषण   |
|---|---------------------------------|--|
| <b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>   |                                 |  |
| राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का नाम बदलकर अब जल जीवन मिशन कर दिया गया है       | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | 50:50 (जल जीवन मिशन) के अनुपात में केंद्र और राज्य द्वारा साझा किया गया वित्त पोषण |
| राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग, सहायता/योजना                           | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | एक बारगी सहायता 100 प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित                                     |
| <b>राज्य प्लान योजनाएं</b>  |                                 |  |
| आवर्धन ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम   | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | 100 प्रतिशत राज्य वित्त पोषित  |
| राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से सहायता प्राप्त परियोजनाएं/योजनाएं | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | नाबार्ड से 85 प्रतिशत ऋण और राज्य से 15 प्रतिशत                                    |
| विशेष घटक उप योजना (एससीएसपी) (ग्रामीण)   | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | राज्य वित्त पोषित  |
| स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना ग्रामीण जल आपूर्ति                                      | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | 100 प्रतिशत राज्य वित्त पोषित  |
| महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना   | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | 100 प्रतिशत राज्य वित्त पोषित  |

इन योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 1** में दिया गया है।

### 1.3 शहरी जल आपूर्ति

शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति को बनाए रखना और कार्यान्वित किया जाता है:

1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी)
2. नगर निगम (शहरी स्थानीय निकाय)
3. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ।

शहरों और उनके क्षेत्राधिकार का विवरण **परिशिष्ट 2** में दिया गया है।


2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की शहरी जनसंख्या 0.89 करोड़ है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल, 1999 के अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की जल प्रदानगी को ध्यान में रखते हुए अगले 30 वर्षों के लिए संभावित जनसंख्या के आधार पर शहरी क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति की कुल आवश्यकता का आकलन करते हैं।

पानी की कमी वाले शहरों की स्थिति (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक से नीचे) निम्नानुसार है:

1.3:

|    |             |    | (135 )         |
|----|-------------|----|----------------|
| 1. | अप्रैल 2016 | 87 | 9              |
| 2. | मार्च 2021  | 89 | 9 <sup>7</sup> |

अगस्त 2022 तक, हरियाणा में 96 शहर हैं और पानी की आपूर्ति तीन मुख्य स्रोतों पर आधारित है अर्थात् नहर आधारित, नलकूप आधारित और रैनीवेल आधारित। अगस्त 2022 तक शहरी जल आपूर्ति के संबंध में विभिन्न स्रोतों की स्थिति निम्नानुसार है:



शहरी जल आपूर्ति को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, विभिन्न योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

1.4:

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)    | शहरी स्थानीय निकाय              | 10 लाख से अधिक और 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए केंद्र से अनुदान के रूप में परियोजना लागत का क्रमशः 1/3 और 1/2 |
| शहरी जल आपूर्ति राज्य योजना                 | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | 100 प्रतिशत राज्य वित्त पोषित   |
| शहरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (जल आपूर्ति) | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | 75 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत राज्य से  |

इन योजनाओं का विवरण 1 में दिया गया है।

<sup>7</sup> जल आपूर्ति वाले नगरों की संख्या <110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन: 5,  
जल आपूर्ति वाले शहरों की संख्या >110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन <135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन: 4

### अन्य वित्त पोषण घटक

1. शहरी स्थानीय निकायों में, नगर निगम करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत द्वारा जल आपूर्ति सेवाओं पर किए गए व्यय को उनके अपने संसाधनों, जैसे संपत्ति कर, जल प्रभार, विकास प्रभार, स्टॉप प्रभार आदि से पूरा किया जाता है।

2. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संचालन एवं रखरखाव सहित पानी की आपूर्ति पर होने वाले व्यय को इसके स्वयं के संसाधनों (प्लेटों की बिक्री) और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से प्राप्त अनुदान से पूरा किया जाता है।

अध्याय III में ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन पर चर्चा की गई है।

### 1.4 जल आपूर्ति में शामिल विभाग/संस्थाएं

हरियाणा राज्य में जल आपूर्ति सेवाएं प्रदान करने में तीन विभाग/संस्थाएं शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

#### 1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्य/गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के लिए सभी केंद्रीय और राज्य वित्त पोषित कार्यक्रमों और योजनाओं का प्लान, कार्यान्वयन और निगरानी करना,
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वाटर वर्क्स, बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण एवं रखरखाव और पाइप वितरण प्रणाली बिछाना,
- ग्रामीण जल आपूर्ति सेक्टर में उत्कृष्ट कार्य के लिए पंचायतों और संगठनों को मान्यता देना तथा पुरस्कृत करना,
- पानी के मुद्दों को प्रभावित करने वाली नीतियां बनाने लिए अन्य विभागों/मंत्रालयों को इनपुट प्रदान करना।

#### जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की संगठनात्मक संरचना

अपर मुख्य सचिव (एसीएस), हरियाणा सरकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं तथा नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। संगठनात्मक संरचना इस प्रकार है:



## II. शहरी स्थानीय निकाय (अर्थात नगर निगम)

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 277-ए<sup>8</sup> में प्रावधान है कि राज्य सरकार नगरपालिका क्षेत्र में जल आपूर्ति और सीवरेज से संबंधित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंप सकती है। तदनुसार, राज्य सरकार ने नगर निगम, फरीदाबाद को छोड़कर जल आपूर्ति और सीवरेज से संबंधित नगरपालिकाओं के मुख्य कार्यों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्थानांतरित कर दिया (अप्रैल 1993)। इसके बाद, राज्य सरकार ने जल आपूर्ति और सीवरेज के मुख्य कार्यों को तीन अन्य नगर निगमों अर्थात गुरुग्राम (2013 से), करनाल और सोनीपत (2018 से प्रभावी) को वापस स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार, वर्तमान में 92 शहरी स्थानीय निकाय में से चार शहरी स्थानीय निकाय अपने संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सीवरेज गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं तथा शेष नगरपालिकाओं में, पानी और सीवरेज प्रभारों के संग्रह से संबंधित गतिविधियों का संचालन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है।

## III. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्य अविकसित भूमि का अधिग्रहण करके शहरी क्षेत्रों (नगरपालिका क्षेत्रों सहित) के विकास को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित सेक्टर/क्षेत्र में जल आपूर्ति का रखरखाव किया जा रहा है।

शहरी स्थानीय निकायों/हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संगठनात्मक संरचना **परिशिष्ट 3** में दी गई है।

उपर्युक्त के अलावा, योजना/निर्णय लेने तथा संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन गतिविधियों में शामिल प्राधिकरण/एजेंसियां निम्नानुसार हैं:

1. हरियाणा राज्य जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सीवरेज और जल आपूर्ति योजनाओं के लिए अनुमोदन प्रदान करता है और उनके कार्यान्वयन के लिए निधियां उपलब्ध कराता है।
2. दिसंबर 2020 में अधिसूचित हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण।

### 1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- i. मानकों के अनुसार ग्रामीण और शहरी आबादी को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी की आवश्यकता और उपलब्धता के आकलन के आधार पर राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप उचित नीतियां/योजनाएं तैयार की गई थी;

<sup>8</sup> 1993 के हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 6 द्वारा शामिल किया गया।

- ii. वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था और निधियां समयबद्ध ढंग से प्रदान की गई थी तथा योजनाओं को निर्धारित समय एवं लागत के भीतर निष्पादित एवं कार्यान्वित किया गया था;
- iii. जल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया गया था और पर्यावरणीय मुद्दों का उपयुक्त रूप से समाधान किया गया था;
- iv. निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा जल आपूर्ति परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव प्रभावी थे; और
- v. जल आपूर्ति की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं निगरानी के लिए तंत्र, पर्याप्त और प्रभावी था।

### 1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- योजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जल जीवन मिशन, समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना (एमजीजीबीवाई), महाग्राम योजना।
- विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरज) और व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट (एफएसआरज)।
- हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड (पीडब्ल्यूडी कोड)।
- जल आपूर्ति एवं उपचार, 1999 पर केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन मैनुअल तथा संचालन एवं रखरखाव, 2013 पर जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन मैनुअल।
- राष्ट्रीय जल नीति 2012, हरियाणा राज्य ग्रामीण एवं शहरी जल नीति 2012.
- केंद्र/राज्य सरकार के अन्य आदेश एवं निर्देश।

### 1.7 लेखापरीक्षा का दायरा एवं पद्धति

2016-21 की अवधि के लिए हरियाणा में ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति को शामिल करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। 22 जिलों में से आठ जिलों में फील्ड स्टडी की गई। लेखापरीक्षा की विस्तृत पद्धति और दौरा किए गए कार्यालयों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4** में दिया गया है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग; नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (टीसीपीडी), शहरी स्थानीय निकाय विभाग (यूएलबी) के प्रतिनिधियों सहित अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग की अध्यक्षता में मई 2022 में एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों और इकाइयों के चयन पर चर्चा की गई थी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के प्रतिनिधियों सहित विशेष सचिव, वित्त एवं योजना विभाग की अध्यक्षता में नवंबर 2022 में एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। एग्जिट कांफ्रेंस के विचार-विमर्श को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

### 1.8 लेखापरीक्षा परिणामों का व्यवस्थापन

उपर्युक्त लेखापरीक्षा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा के परिणामों को संकलित करते समय, यह सामने आया कि ये परिणाम इन क्षेत्रों अर्थात् योजना, वित्तीय प्रबंधन, पानी की अपर्याप्तता एवं खराब गुणवत्ता, स्थिरता पर कम जोर और अपर्याप्त निगरानी के अंतर्गत अभिसरित हैं। इसलिए, लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निम्नलिखित अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है:

अध्याय-II- अपर्याप्त योजना

अध्याय-III- अनुचित वित्तीय प्रबंधन

अध्याय-IV- पानी की अपर्याप्त आपूर्ति

अध्याय-V- आपूर्ति किए गए पानी की खराब गुणवत्ता

अध्याय-VI- स्थिरता पर कम जोर और अपर्याप्त निगरानी

**अध्याय-॥**  
**अपर्याप्त योजना**



## अध्याय-II

### अपर्याप्त योजना

राज्य ग्रामीण और शहरी जल नीतियों को राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप संशोधित नहीं किया गया है। राज्य की मौजूदा जल नीतियों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को फ्लैट दरों के बजाय पानी की मात्रा की खपत के आधार पर बिल देना था, जो प्राप्त नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बिलिंग फ्लैट रेट से की गई और मीटर वाले कनेक्शन नहीं दिए गए। शहरी क्षेत्र के लिए राज्य में अगले दस वर्षों के लिए कोई विस्तृत कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोई जल सुरक्षा कार्य योजना नहीं बनाई गई थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों दोनों में वार्षिक संचालन एवं रखरखाव योजना तैयार करने की कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। ग्रामीण जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी संतोषजनक नहीं पाई गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित समय-सीमा अप्राप्त रही। योजना शुरू होने के 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति ढांचा उपलब्ध कराने में विफल रहा। अमृत के अंतर्गत चयनित जिलों में सर्विस कनेक्शन हेतु कुल परिवारों पर विचार नहीं किया गया था।

#### 2.1 राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप नीतियों/योजनाओं को तैयार करना

राज्य की जल नीतियों को राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के अनुसार प्रारूपित/संशोधित करना अपेक्षित था। हालांकि, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हरियाणा में पहले से ही अधिसूचित (मार्च एवं जून 2012) राज्य ग्रामीण एवं शहरी जल नीतियां राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप संशोधित नहीं की गई थीं।

इसके अलावा, राज्य की मौजूदा जल नीतियों के कार्यान्वयन में कमियां देखी गई जो इस प्रकार हैं:

##### 2.1.1 राज्य की जल नीतियों के कार्यान्वयन में कमियां

1. **मीटर वाले कनेक्शन:** राज्य की मौजूदा जल नीतियों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को फ्लैट दरों के बजाय पानी की मात्रा की खपत के आधार पर बिल देना है। इस प्रकार, नीतियां शहरी क्षेत्रों के मामले में, नीति की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी मौजूद बिना मीटर वाले कनेक्शनों को मीटर वाले कनेक्शनों में बदलने पर जोर देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में, 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात मार्च 2017 तक मीटर वाले कनेक्शन प्रदान किए जाने थे। नीति के विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बिलिंग फ्लैट दर से की गई थी और मीटर वाले कनेक्शन नहीं दिए गए थे। शहरी क्षेत्र के मामले में, घरेलू उपभोक्ताओं को मीटर वाले अथवा बिना मीटर वाले कनेक्शन (फ्लैट दर) का

विकल्प<sup>1</sup> दिया गया है। तथापि, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों के चयनित कार्यालयों में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में बिना मीटर वाले और अवैध कनेक्शन पाए गए थे, जैसा कि अनुच्छेद 4.4 में चर्चा की गई है।

2. **इंसेनिट्री कनेक्शन:** नीति के अनुसार, किसी भी इंसेनिट्री कनेक्शन (ऐसे कनेक्शन जो स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त हैं) का पता चलने पर, विभाग द्वारा बिना कोई नोटिस दिए उसे तुरंत काट दिया जाना चाहिए और उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यक सुधार के बाद ही बहाल किया जाना चाहिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए घरेलू सर्वेक्षण के दौरान इंसेनिट्री कनेक्शन<sup>2</sup> पाए गए थे। लेकिन, इन इंसेनिट्री कनेक्शनों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सत्यापन के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए।
3. **पुलिस स्टेशनों का अधिकार क्षेत्र:** राज्य की जल नीतियां राज्य भर में जल थाना और पावर थाना स्थापित करने पर जोर देती हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में इस नीति के कार्यान्वयन के लिए कानून का प्रवर्तन शामिल है, लेकिन राज्य में ऐसी कोई प्रथा अस्तित्व में नहीं है।
4. **ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) की भूमिका:** जल प्रभारों के माध्यम से एकत्रित राजस्व, पंचायतों को विकास कार्यों और योजनाओं के प्रभावी रखरखाव के लिए दिया जाना था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व वसूली की जा रही है और इसे विभाग के राजस्व शीर्ष में जमा करा दिया गया है। 2016-21 के दौरान, ग्रामीण जल आपूर्ति उपभोक्ताओं से प्राप्तियों के रूप में ₹ 30.25 करोड़ एकत्र किए गए थे (जैसा कि अनुच्छेद 3.3 में चर्चा की गई है) लेकिन इसे ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति को अंतरित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति की सिफारिशों के अनुसार न तो रखरखाव प्राक्कलन तैयार किए गए थे और न ही योजनाओं के प्रभावी रखरखाव हेतु राजस्व संग्रहण, विकास कार्यों के लिए पंचायतों को प्रदान किया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2022) के दौरान विभागों<sup>3</sup> ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि विभाग अप्रैल 2017 में जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार जल प्रभारों की फ्लैट दर प्रभारित कर रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहली बार प्रत्येक घर में चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और बाद में कनेक्शनों की मीटरिंग करेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग राज्य की जल नीति के अंतर्गत अर्थात् मार्च 2017 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत मीटर वाले कनेक्शन सुनिश्चित नहीं कर सका।

<sup>1</sup> शहरी क्षेत्रों में जल टैरिफ में संशोधन के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई (अगस्त 2018)।

<sup>2</sup> फरवरी 2022 को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 4,88,979 इंसेनिट्री कनेक्शन।

<sup>3</sup> जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा शहरी स्थानीय निकाय।

## 2.2 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना तैयार करना

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के पैरा 14 में राज्यों को वर्ष के दौरान की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण देते हुए अपनी वार्षिक कार्य योजना (एएपी) तैयार करना अपेक्षित है।

मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा के कार्यालय तथा चयनित मण्डलों में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि योजनाएं बनाते समय विभिन्न स्तरों अर्थात् गांव, जिला या समग्र रूप में राज्य से इनपुट नहीं लिए गए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना में न तो गांव/ग्राम पंचायत से कोई इनपुट था और न ही खूबियों, कमजोरियों अवसरों और चुनौतियों (स्ट्रेथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट (स्वॉट)) का विस्तृत विश्लेषण रिकॉर्ड पर पाया गया था। यह इंगित करता है कि विभाग ने विभिन्न हितधारकों को शामिल किए बिना वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों, संसाधनों और चुनौतियों के आधार पर स्ट्रेथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट विश्लेषण नहीं किया गया था।

विभाग ने स्वीकार किया (जून 2022) कि कोई वैज्ञानिक या व्यवस्थित स्वॉट विश्लेषण नहीं किया गया था लेकिन इंजीनियर इन विशेषताओं से बहुत अच्छी तरह परिचित थे जिन्हें भविष्य की परियोजनाओं की तैयारी के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर इस तथ्य की स्वीकृति है कि वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने से पहले विभिन्न हितधारकों से इनपुट नहीं लिया गया था और स्ट्रेथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट विश्लेषण नहीं किया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की गई थी और उन्हें एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर अपलोड किया गया था। इसके अलावा, निष्पादित होने वाले कार्यों की वार्षिक योजना से संबंधित सभी कार्यसूचियों को जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (डब्ल्यूएसएसबी) की बैठक में अनुमोदन दिया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वार्षिक कार्य योजना की तैयारी के लिए मूलभूत जानकारी का अभाव था।

## 2.3 शहरी क्षेत्रों में योजना

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए एक एडवाइजरी नोट जारी किया (अप्रैल 2012)। राज्यों को शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता सेक्टर के लिए अगले 10 वर्षों के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी गई।

अभिलेखों<sup>4</sup> की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि शहरी जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार के लिए हरियाणा राज्य में भविष्य की योजना के लिए एडवाइजरी नोट में निर्धारित अगले

<sup>4</sup> प्रमुख अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग); निदेशक (शहरी स्थानीय निकाय); मुख्य प्रशासक (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)।

दस वर्षों के लिए ऐसी कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं बनाई गई थी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (डब्ल्यूएसएसबी) की वार्षिक बैठक में बिना किसी उचित योजना के शहरी क्षेत्रों से संबंधित कार्यों को अनुमोदन दे रहा था, जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में ठोस योजना मौजूद नहीं थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय अलग-अलग परियोजनाओं/कार्यों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। यहां तक कि शहरी स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति मामलों की देखरेख के लिए जल आपूर्ति संबंधी तदर्थ समिति<sup>5</sup> का गठन नहीं किया गया था। इन विभागों में व्यवस्थित योजना का अभाव है। विस्तृत कार्य योजना के अभाव में समग्र भावी योजना पर ध्यान नहीं दिया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), विभागों<sup>6</sup> ने स्वीकार किया कि कोई दीर्घकालिक योजना नहीं थी, लेकिन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में वार्षिक योजना प्रक्रिया का पालन किया गया था। इस उद्देश्य के लिए, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति की निरंतरता के लिए वार्षिक अनुमान तैयार किया गया है और भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया गया है। शहरी स्थानीय निकाय ने तथ्यों को स्वीकार किया और भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया।

#### 2.4 शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत संस्थाओं के लिए पानी की आवश्यकता का आकलन न करना

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए केंद्रीय जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल में पानी की संस्थागत आवश्यकता के मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

वर्ष 2016-21 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्थानीय निकाय और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल, 1999 के अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की जल प्रदानगी को ध्यान में रखते हुए अगले 30 वर्षों के लिए संभावित जनसंख्या के आधार पर शहरी क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति की कुल आवश्यकता का आकलन करते हैं। तथापि, कुल आवश्यकता का आकलन करते समय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उक्त मैनुअल में उल्लिखित संस्थागत<sup>7</sup> आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया गया है।

<sup>5</sup> इसमें शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निर्वाचित सदस्य और किसी विशेष कार्य के निर्वहन या किसी मामले पर सलाह देने के लिए विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

<sup>6</sup> हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय।

<sup>7</sup> अस्पतालों के लिए: 340 से 450 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (प्रति बेड), हॉस्टल एवं बोर्डिंग स्कूल/कॉलेज: 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, डे स्कूल/कॉलेज: 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, रेस्तरां: 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (प्रति सीट) और सिनेमा एवं थिएटर के लिए: 15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।

## 2.5 संचालन एवं रखरखाव योजना तैयार करना

(क) केंद्रीय जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) संचालन एवं रखरखाव मैनुअल 2013 के अनुसार, सभी सुविधाओं को शामिल करने के लिए एक व्यापक संचालन एवं रखरखाव<sup>8</sup> योजना तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य यथासंभव किफायती और स्थायी आधार पर सुविधाजनक स्थान और समय पर पर्याप्त प्रेशर से पर्याप्त मात्रा और वांछित गुणवत्ता में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल प्रदान करना है। शहरी क्षेत्रों में, शहरी स्थानीय निकायों को चार शहरों अर्थात् गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और करनाल में पानी की आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव का कार्य सौंपा गया है और पंचकुला शहर में यह कार्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। शेष शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

वर्ष 2016-21 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि:

- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में, वार्षिक योजनावार रखरखाव प्राक्कलन तैयार किए जा रहे थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जा रहे थे।
- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण<sup>9</sup> के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम फरीदाबाद और करनाल) में किसी भी स्तर पर कोई संचालन एवं रखरखाव योजना तैयार नहीं की जा रही थी। दोनों में से, किसी भी विभाग में वार्षिक संचालन एवं रखरखाव योजना तैयार करने की कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बताया कि जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव के लिए वार्षिक योजना बनाई जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा कोई अनुरक्षित अभिलेख नहीं पाया गया था। आगे, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय ने भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया।

(ख) **ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) सौंपना:** प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा ने सभी अधीक्षण अभियंताओं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिया (दिसंबर 2019) कि ठेकेदार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों हेतु भुगतान रनिंग बिल के माध्यम से ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा किया जाना था। इसके लिए, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को संचालन एवं रखरखाव पर खर्च करने के लिए निधि की प्राप्ति और व्यय के लिए बैंक खाता खुलवाने की आवश्यकता है। तथापि, प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 1,413 ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों ने संचालन

<sup>8</sup> रखरखाव को संयंत्र, उपकरण, संरचनाओं और अन्य संबंधित सुविधाओं को अधिकतम चालू हालत में रखने की कला के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें निवारक रखरखाव अथवा सुधारात्मक रखरखाव, यांत्रिक समायोजन, मरम्मत तथा सुधारात्मक कार्रवाई और नियोजित रखरखाव शामिल हैं।

<sup>9</sup> मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण।

एवं रखरखाव अपनाने का संकल्प प्रस्तुत किया था लेकिन इनमें से किसी भी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम पंचायत को 24 फरवरी 2022 तक संचालन एवं रखरखाव का कार्य सौंपा नहीं गया था।

आगे, जल जीवन मिशन के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के लिए ठेकेदारों को भुगतान ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा खुलवाए गए बैंक खातों के बजाय खजाने के माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी संतोषजनक नहीं थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पीएफएमएस के अंतर्गत सिंगल खाता खोलने का निर्देश दिया था, लेकिन नई ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन न होने के कारण (पंचायत चुनाव नहीं कराने और पहले की ग्राम पंचायतों को भंग करने के कारण), ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) सौंपा नहीं जा सका।

## 2.6 जल सुरक्षा कार्य योजना तैयार करना

जल जीवन मिशन के अनुसार, सभी गांवों से पेयजल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं को जिला स्तर पर जिला कार्य योजना और राज्य स्तर पर राज्य कार्य योजना में समेकित किया जाना है। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कोई जल सुरक्षा कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। मंडल कार्यालय जिले के लिए एक समेकित योजना के बजाय बसावटवार अनुमान तैयार करने की प्रथा का पालन कर रहे थे। जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने अपनी वार्षिक बैठकों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य-वार निधियां आबंटित की।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया (दिसंबर 2021) कि जल सुरक्षा कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। इसके बजाय, व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर परियोजना अनुमान तैयार करने से पहले पेयजल आपूर्ति योजनाओं की कल्पना की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि अनुमानों की तैयारी दीर्घकालीन योजना के आधार पर की जानी चाहिए।

हरियाणा राज्य ने राज्य के भीतर जल संसाधनों (भूजल और सतही जल) के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन के लिए हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण को अधिसूचित (दिसंबर 2020) किया था। इसका मुख्य कार्य प्रत्येक ब्लॉक के लिए तैयार की गई जल योजनाओं के आधार पर एकीकृत राज्य जल योजना तैयार करना है। तथापि, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अभी भी एकीकृत राज्य जल योजना, राज्य भूजल और सतही जल योजना, राज्य जल सुरक्षा योजना आदि जैसे अपने उद्देश्यों पर कार्य करने के प्रारंभिक चरण में है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में आकलन किया था कि 40.70 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) की मांग की तुलना में राज्य में भूजल स्तर के आंकड़ों के आधार पर केवल 22.26 बिलियन क्यूबिक मीटर (55 प्रतिशत) पानी की उपलब्धता है, जिससे 45 प्रतिशत के पानी के अंतर को प्रकट किया गया है। उक्त परिस्थितियों में राज्य में जल सुरक्षा के लिए दीर्घकालीन योजना बनाना और भी प्रासंगिक हो जाता है।

आगे, राज्य की जल नीतियों में प्रभावी जल प्रबंधन के उपाय शामिल नहीं हैं (जैसा कि अनुच्छेद 2.1 में चर्चा की गई है), क्योंकि ये राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के अनुरूप नहीं हैं।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सहमति व्यक्त की और भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया। इस प्रकार, जल प्रबंधन और जल सुरक्षा से संबंधित मुद्दे अनसुलझे हैं।

## 2.7 नियोजित/निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्ति

2016-21 के दौरान, ग्रामीण/शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के संबंध में लक्ष्य और प्राप्ति, जहां केंद्र/राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, **तालिका 2.1** में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति

| क्र.सं. | योजना का नाम   | लक्ष्य  | प्राप्ति  |
|---------|----------------|---|---|
| 1.      | जल जीवन मिशन   | वर्ष 2022 तक 100 प्रतिशत चालू घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी)             | विभाग ने ग्रामीण परिवारों में 100 प्रतिशत चालू घरेलू नल कनेक्शन का दावा किया। लक्ष्यों को प्राप्त करने में पाई गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेद में की गई है। |
| 2.      | महाग्राम योजना | प्रथम चरण में 20 गांवों में कार्य 31 मार्च 2021 तक पूर्ण किया जाना था | मार्च 2021 तक केवल दो गांवों में कार्य पूर्ण किया गया जैसा कि अनुच्छेद 6.6 में चर्चा की गई है।  |
| 3.      | अमृत           | मार्च 2020 तक परियोजना को पूरा करना                                   | चयनित जिलों में 15.89 प्रतिशत परिवारों को सेवा कनेक्शन के लिए विचार नहीं किया गया जैसा कि अनुच्छेद 2.7 (ग) में चर्चा की गई है।                                    |

अन्य योजनाओं के लिए केंद्र/राज्य सरकार ने अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए।

### (क) जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन (जेजेएम) का उद्देश्य हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र में 2022 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। हरियाणा में योजना को लागू करने के लिए, प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परिमंडलों के सभी अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश जारी किए गए थे (दिसंबर 2019) और विभिन्न गतिविधियों के लिए दी गई समय-सीमा **तालिका 2.2** में निम्नानुसार थी:

तालिका 2.2: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा

| क्र.सं. | कार्य              | सभी श्रेणियों के घरों के लिए अंतिम तिथि |
|---------|--------------------|---|
| 1.      | प्रशासनिक स्वीकृति | 30 सितंबर 2020                          |
| 2.      | सामग्री की खरीद    | 31 दिसंबर 2020                          |
| 3.      | कार्य आबंटन        | 31 दिसंबर 2020                          |

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि:

- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 45 प्रतिशत कार्यों (कुल 6,678 कार्यों में से 2,992 कार्य) को निर्धारित समय-सीमा के बाद अर्थात् 30 सितंबर 2020 के बाद प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया था।
- इसी प्रकार, 1070 कार्य ऐसे थे (अक्टूबर 2021 में प्रदान किए गए डेटा डंप के अनुसार) जहां दिसंबर 2020 तक निविदाएं आबंटित नहीं की गई थीं, यह दर्शाता है कि ये कार्य आबंटित नहीं किए गए थे और इसलिए शुरू नहीं हुए।
- इसके अलावा, विभाग 31 दिसंबर 2020 की समय-सीमा के बाद भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत निष्पादित होने वाले कार्यों के लिए पाइपों की खरीद हेतु आपूर्ति आदेश जारी कर रहा था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक खरीदी गई पाइपलाइन की कुल लंबाई, अपेक्षित लंबाई की तुलना में केवल 11.18 प्रतिशत थी। विवरण *तालिका 2.3* में दिए गए हैं।

तालिका 2.3: अगस्त 2022 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत खरीदी गई/खरीदी जाने वाली पाइपलाइनों की स्थिति

| जल जीवन मिशन कवरेज में कार्यों के लिए पाइपलाइन की कुल आवश्यकता (किलोमीटर) (ए) | 'ए' की खरीद के लिए अपेक्षित बजट (₹ करोड़ में) | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा खरीदी गई कुल पाइपलाइन (किलोमीटर) (बी) | मंडलीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त कुल पाइपलाइन (किलोमीटर) | पाइपलाइन की खरीद पर किया गया कुल व्यय (₹ करोड़ में) | 31 दिसंबर 2020 के बाद अगस्त 2022 तक खरीदी गई और प्राप्त कुल पाइपलाइन (किलोमीटर) (सी) | 'सी' की खरीद पर कुल व्यय (₹ करोड़ में) | शेष पाइपलाइन (किलोमीटर) जो अगस्त 2022 के बाद खरीदी जानी है (डी=ए-(बी+सी)) | इस शेष लंबाई के लिए अपेक्षित बजट (₹ करोड़ में) |
|---|---|--|--|---|--|--|---|--|
| 11,161  | 1,363.11                                      | 1,248  | 1,248  | 143   | 5,594  | 620.11                                 | 4,319   | 600  |

स्रोत: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की आवश्यकता अथवा योजना के कार्यान्वयन के लिए निधि की आवश्यकता का आकलन किए बिना समय-सीमा निर्धारित की गई। इसके कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों को क्रियान्वित करने में विभाग की प्रगति प्रतिबद्ध समय-सीमा के अनुसार नहीं थी।


जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भविष्य की योजना के लिए कोई समेकित कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। इसके बजाय, जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड कार्य-वार निधियां आबंटित करता है। मंडलीय कार्यालय जिले के लिए एक समेकित योजना के बजाय बस्तीवार अनुमान तैयार करने की प्रथा का पालन कर रहे थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि राज्य ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100 प्रतिशत चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य अप्रैल 2022 में प्राप्त कर लिया था। यह भी बताया गया था कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का निर्माण/उन्नयन चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा था परंतु कोविड-19 के कारण, समय-सीमा के अनुसार लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। उतर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बुनियादी ढांचे का निर्माण न होने की स्थिति में चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने को कार्यात्मक नहीं कहा जा सकता है।

### (ख) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना

हरियाणा सरकार ने गांवों में गरीबी रेखा से नीचे, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग (श्रेणी-ए) के पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज आवासीय प्लॉट (बिना किसी मूल्य के) आबंटित करने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना (एमजीजीबीवाई) शुरू की (2008)। इस योजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य, विकास एवं पंचायत विभाग के निक्षेप कार्य के रूप में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपा गया था।

विभाग ने ग्रामीण घरों में 100 प्रतिशत चालू घरेलू नल कनेक्शन का दावा किया। तथापि, अभिलेखों<sup>10</sup> की संवीक्षा के दौरान, निम्नलिखित अभ्युक्तियां की गई थी:



<sup>10</sup> प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा।

इस प्रकार, यह देखा गया था कि 13 प्रतिशत गांवों में कोई कार्य अनुमोदित नहीं किया गया था और 10 प्रतिशत गांवों में 10.12 प्रतिशत कार्य अभी भी प्रगति पर हैं। इसके अलावा, विभाग उन गांवों की सूची उपलब्ध कराने में विफल रहा जहां कोई कार्य अनुमोदित नहीं किया गया था।

**सर्वेक्षण के परिणाम:** महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना में, बस्तियों में जल आपूर्ति सेवाओं के कवरेज की स्थिति को सत्यापित करने के लिए, 44 गांवों<sup>11</sup> का भौतिक सत्यापन किया गया (**परिशिष्ट 5**)। सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि 39 प्रतिशत (44 में से 17) गांवों में आज तक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इनके निवासियों को पानी की आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इन सभी बस्तियों के निवासी अपने पीने के पानी की जरूरतों को पास के खेतों/पंचायती हैंडपंपों से पूरा करते हैं।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाएगा। तथ्य यह है कि विभाग 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगस्त 2022 तक महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत बस्तियों में पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराने में विफल रहा।

#### (ग) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना का प्राथमिक उद्देश्य सभी घरों को जल आपूर्ति और सीवरेज उपलब्ध कराना है।

चयनित नगर निगमों में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नई स्वीकृत कॉलोनियों में नई जल आपूर्ति पाइपलाइनें प्रदान करने तथा मिसिंग लिंक्स के अंतर्गत आने वाली पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों को बदलने के लिए ₹ 278.33 करोड़ (अक्टूबर 2018 और दिसंबर 2018 के बीच आबंटित कार्य) के कार्य<sup>12</sup> प्राक्कलन तैयार किए गए थे। परियोजना के कार्यान्वयन से पहले और बाद में शामिल किए गए परिवारों का विवरण **तालिका 2.4** में दिया गया है:

**तालिका 2.4: घरेलू कनेक्शनों का विवरण**

| क्र. सं. | शहरी स्थानीय निकाय का नाम | कुल घर (ए)      | परियोजना के निष्पादन से पहले शामिल किए गए घर (बी) | इस परियोजना में शामिल होने वाले घर (सी) | कुल संख्या परियोजना कार्यान्वयन के बाद शामिल किए गए घर (डी=बी+सी) | परियोजना पूरा होने के बाद बिना नल कनेक्शन वाले शेष घर (ई=ए-डी) | शेष घरों का प्रतिशत (ई/ए*100) |
|----------|---------------------------|-----------------|---|---|---|--|-------------------------------|
| 1        | एमसी हिसार                | 74,731          | 46,996  | 7,000                                   | 53,996  | 20,735   | 27.75                         |
| 2        | एमसी फरीदाबाद             | 2,24,575        | 1,45,110  | 56,076                                  | 2,01,186  | 23,389   | 10.41                         |
| 3        | एमसी रेवाड़ी              | 28,702          | 23,597  | 1,909                                   | 25,506  | 3,196  | 11.14                         |
| 4        | एमसी रोहतक                | 1,08,644        | 82,174  | 22,508                                  | 1,04,682  | 3,962  | 3.65                          |
| 5        | एमसी करनाल                | 72,093          | 36,220  | 6,297                                   | 42,517  | 29,576   | 41.02                         |
|          | <b>कुल</b>                | <b>5,08,745</b> | <b>3,34,097</b>                                   | <b>93,790</b>                           | <b>4,27,887</b>   | <b>80,858</b>  | <b>15.89</b>                  |

<sup>11</sup> पायलट अध्ययन के रूप में, रेवाड़ी जिले में छः गांवों को मैनुअल रूप से चुना गया था और उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट तकनीक (सीएएटी) द्वारा चयन किया गया था।

<sup>12</sup> अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत संचालन एवं रखरखाव के साथ चयनित जिले में गांवों सहित, नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति प्रणाली प्रदान करना।

यह देखा गया था कि सभी घरों को शामिल करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए थे और इसलिए, 15.89 प्रतिशत घरों (5,08,745 में से 80,858) को सर्विस कनेक्शन के लिए नहीं माना गया था और प्रत्येक घर में नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर देने के बावजूद योजना के कार्यान्वयन के बाद भी लोग पीने योग्य पानी के लाभ से वंचित रहे।

## 2.8 वाटर वर्क्स के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त न करने के कारण अक्रियाशील योजनाएं

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भू-जल निरीक्षण (जीडब्ल्यूआई) मंडल<sup>13</sup>, रेवाड़ी द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जल आपूर्ति के लिए ड्रिल किए गए छः नलकूप चालू नहीं किए गए थे (मई 2022), जैसा कि मंडल कार्यालयों द्वारा बिजली कनेक्शन प्राप्त नहीं करने के कारण **परिशिष्ट 6** में दर्शाया गया है। ।

लंबित बिजली कनेक्शन का कारण अभिलेख में नहीं पाया गया था। बिजली कनेक्शन के अभाव में, यह आकलन किया जाता है कि नलकूपों के स्थापन की योजनाएं अक्रियाशील रहीं।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि दो नलकूप योजनाओं को चालू कर दिया गया है और शेष को जल्द ही चालू कर दिया जाएगा।

## निष्कर्ष

राज्य ग्रामीण और शहरी जल नीतियों को राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप संशोधित नहीं किया गया है। राज्य की मौजूदा जल नीतियों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को फ्लैट दरों के बजाय पानी की मात्रा की खपत के आधार पर बिल देना था, जो प्राप्त नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बिलिंग फ्लैट रेट से की गई और मीटर वाले कनेक्शन नहीं दिए गए। शहरी क्षेत्र के लिए राज्य में अगले दस वर्षों के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल सुरक्षा कार्य योजना नहीं बनाई गई थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों में वार्षिक संचालन एवं रखरखाव योजना तैयार करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। ग्रामीण जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी संतोषजनक नहीं पाई गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित समय-सीमा अप्राप्त रही। योजना शुरू होने के 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगस्त 2022 तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति ढांचा उपलब्ध कराने में विफल रहा। अमृत के अंतर्गत चयनित जिलों में सर्विस कनेक्शन हेतु कुल परिवारों पर विचार नहीं किया गया था।

<sup>13</sup> कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कोसली, रेवाड़ी मंडल कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (भू-जल निरीक्षण) रेवाड़ी के अधीन हैं और अन्य इकाइयां अन्य भू-जल निरीक्षण मंडलों के अधीन हैं, जो चयन में नहीं थे।

### सिफारिशें

उपर्युक्त लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए:

1. विभाग को सामुदायिक भागीदारी के साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाएं सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और जल संसाधनों का इष्टतम और स्थायी उपयोग सुनिश्चित करती हैं।
2. राज्य सरकार को जल आपूर्ति कनेक्शनों और प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति के कवरेज के संदर्भ में सुचारू जल आपूर्ति के लिए अगले दस वर्षों की अवधि के लिए एक विस्तृत क्षेत्र कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

**अध्याय-III**  
**अनुचित वित्तीय प्रबंधन**



## अध्याय-III

### अनुचित वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन प्रभावी नहीं था, क्योंकि केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत बचत देखी गई थी। योजनाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में विभागीय प्रयासों का अभाव था क्योंकि राजस्व संग्रहण बहुत कम था। नमूना-जांच किए गए विभागों/मंडलों में मार्च 2021 तक उपभोक्ताओं से ₹ 278.20 करोड़ का जल प्रभार प्राप्त नहीं हुआ था। ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक अंशदान के कारण ₹ 69.36 करोड़ की कम वसूली/संग्रहण हुआ।

### 3.1 वित्त का ओवरव्यू

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) एक निश्चित अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। 2016-17 से 2020-21 के दौरान हरियाणा राज्य द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में जल आपूर्ति पर किया गया व्यय नीचे **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में जल आपूर्ति पर तुलनात्मक व्यय

| वर्ष    | जल आपूर्ति पर व्यय (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) (₹ करोड़ में) | जल आपूर्ति पर व्यय (शहरी स्थानीय निकाय) (₹ करोड़ में) | जल आपूर्ति पर व्यय (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) (₹ करोड़ में) | जल आपूर्ति पर कुल व्यय (₹ करोड़ में) | हरियाणा राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) | सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में जल आपूर्ति पर व्यय |
|---------|--|---|---|--------------------------------------|---|---|
| 2016-17 | 675.00   | 50.48   | 188.16  | 913.64                               | 5,61,424  | 0.16  |
| 2017-18 | 777.77   | 26.20   | 255.09  | 1,059.06                             | 6,44,963  | 0.16  |
| 2018-19 | 1,040.69   | 101.74  | 213.55  | 1,355.98                             | 7,04,957  | 0.19  |
| 2019-20 | 930.20   | 229.04  | 117.86  | 1,277.10                             | 7,80,612  | 0.16  |
| 2020-21 | 742.53   | 273.13  | 98.47   | 1,114.13                             | 7,64,872  | 0.15  |

उपर्युक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि 2016-17 से 2020-21 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्य पर) की प्रतिशतता के रूप में जल आपूर्ति पर राज्य द्वारा किया गया व्यय 0.15 से 0.19 प्रतिशत के मध्य रहा।

### 3.2 बजट और व्यय

वर्ष 2016-2021 के दौरान जल आपूर्ति घटक के अंतर्गत वित्त पोषण निम्नानुसार है:

#### ग्रामीण जल आपूर्ति

विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं से निधियां/बजट प्राप्त हो रहे हैं। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान विभिन्न ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए बजट प्रावधान और व्यय नीचे **तालिका 3.2 (क)** में दर्शाया गया है:

तालिका: 3.2 (क) 2016-17 से 2020-21 तक बजट और व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | योजना का नाम  | बजट प्रावधान    | व्यय            | बचत           | बचत की प्रतिशतता |
|---------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1.      | राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अथवा जल जीवन मिशन | 1,524.35        | 1,026.30        | 498.05        | 32.67            |
| 2.      | नीति आयोग*  | 2.66            | 2.66            | -             | --               |
| 3.      | ग्रामीण आवर्धन                                      | 1,595.00        | 1,464.34        | 130.66        | 8.19             |
| 4.      | नाबार्ड   | 965.09          | 855.65          | 109.44        | 11.34            |
| 5.      | एससीएसपी  | 73.50           | 47.27           | 26.23         | 35.69            |
| 6.      | महाग्राम योजना                                      | 92.57           | 81.79           | 10.78         | 11.65            |
| 7.      | महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना <sup>1</sup>      | 66.00           | 54.01           | 11.99         | 18.17            |
|         | <b>कुल</b>  | <b>4,319.17</b> | <b>3,532.02</b> | <b>787.15</b> | <b>18.22</b>     |

\* नीति आयोग की सहायता एक बार की सहायता थी।

उपर्युक्त से, यह स्पष्ट है कि 2016-21 के दौरान निधियों का कम उपयोग 8.19 से 35.69 प्रतिशत के मध्य रहा।

प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान प्रभावी बजट एवं व्यय का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

| योजना का नाम  |                    | 2016-17          | 2017-18           | 2018-19          | 2019-20           | 2020-21          | कुल               |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अथवा जल जीवन मिशन | बजट (₹ करोड़ में)  | 383.84           | 343.14            | 227.27           | 280.60            | 289.50           | 1,524.35          |
|   | व्यय (₹ करोड़ में) | 299.23           | 162.05            | 176.68           | 140.31            | 248.03           | 1,026.30          |
|   | बचत                | 84.61<br>(22.04) | 181.09<br>(52.77) | 50.59<br>(22.26) | 140.29<br>(50.00) | 41.47<br>(14.32) | 498.05<br>(32.67) |
| ग्रामीण आवर्धन                                      | बजट (₹ करोड़ में)  | 225.00           | 350.00            | 398.00           | 397.00            | 225.00           | 1,595.00          |
|   | व्यय (₹ करोड़ में) | 167.55           | 313.87            | 390.22           | 368.71            | 223.99           | 1,464.34          |
|   | बचत                | 57.45<br>(25.53) | 36.13<br>(10.32)  | 7.78<br>(1.95)   | 28.29<br>(7.13)   | 1.01<br>(0.45)   | 130.66<br>(8.19)  |
| नाबार्ड   | बजट (₹ करोड़ में)  | 50.00            | 130.00            | 315.09           | 300.00            | 170.00           | 965.09            |
|   | व्यय (₹ करोड़ में) | 44.85            | 112.87            | 289.43           | 258.67            | 149.83           | 855.65            |
|   | बचत                | 5.15<br>(10.30)  | 17.13<br>(13.18)  | 25.66<br>(8.14)  | 41.33<br>(13.78)  | 20.17<br>(11.86) | 109.44<br>(11.34) |

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बचत की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान सभी तीन प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों में 0.45 और 52.77 प्रतिशत के मध्य लगातार बचत हुई थी।

### शहरी जल आपूर्ति

विभिन्न शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के लिए बजट आबंटन/अनुदान और व्यय तालिका 3.2 (ख) में दर्शाया गया है:

तालिका: 3.2 (ख) 2016-17 से 2020-21 तक बजट और व्यय के विवरण (₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | योजना का नाम  | आबंटित बजट | किया गया व्यय | बचत      | बचत की प्रतिशतता |
|----------|---|------------|---------------|----------|------------------|
| 1        | शहरी आवर्धन   | 844.01     | 759.09        | 84.92    | 10.06            |
| 2        | शहरी एनसीआर   | 114.50     | 87.13         | 27.37    | 23.90            |
| 3        | अमृत  | 1,462.81   | 420.89        | 1,041.92 | 71.23            |
| 4        | शहरी स्थानीय निकाय में जल आपूर्ति के लिए निर्धारित निधि | 545.80     | 259.70        | 286.10   | 52.42            |
| 5        | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया व्यय       | 1,321.86   | 873.13        | 448.73   | 33.95            |

<sup>1</sup> जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना एक निक्षेप कार्य था और विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा अक्टूबर 2015 से मार्च 2020 तक ₹ 66 करोड़ की राशि जमा कराई गई थी। जुलाई 2022 तक ₹ 54.01 करोड़ की राशि खर्च की गई थी।

2016-21 के दौरान बचत की प्रतिशतता 10 से 71 प्रतिशत के मध्य रही।

शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के बजट एवं व्यय का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

| योजना का नाम   |                    | 2016-17           | 2017-18           | 2018-19          | 2019-20           | 2020-21           | कुल                 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| शहरी आवर्धन  | बजट (₹ करोड़ में)  | 305.38            | 204.00            | 122.63           | 140.00            | 72.00             | 844.01              |
|  | व्यय (₹ करोड़ में) | 292.63            | 166.73            | 115.35           | 114.43            | 69.95             | 759.09              |
|  | बचत                | 12.75<br>(4.18)   | 37.27<br>(18.27)  | 7.28<br>(5.94)   | 25.57<br>(18.26)  | 2.05<br>(2.85)    | 84.92<br>(10.06)    |
| शहरी एनसीआर  | बजट (₹ करोड़ में)  | 55.00             | 25.00             | 15.00            | 10.00             | 9.50              | 114.50              |
|  | व्यय (₹ करोड़ में) | 41.34             | 15.46             | 13.26            | 8.37              | 8.70              | 87.13               |
|  | बचत                | 13.66<br>(24.84)  | 9.54<br>(38.16)   | 1.74<br>(11.60)  | 1.63<br>(16.30)   | 0.80<br>(8.42)    | 27.37<br>(23.90)    |
| अन्य वित्तपोषण<br>(शहरी स्थानीय<br>निकाय)              | बजट (₹ करोड़ में)  | 90.25             | 36.04             | 67.20            | 86.74             | 265.58            | 545.81              |
|  | व्यय (₹ करोड़ में) | 50.48             | 20.03             | 51.25            | 68.26             | 69.68             | 259.70              |
|  | बचत                | 39.77<br>(44.07)  | 16.01<br>(44.42)  | 15.95<br>(23.74) | 18.48<br>(21.31)  | 195.90<br>(73.76) | 286.11<br>(52.42)   |
| अन्य वित्तपोषण<br>(हरियाणा शहरी<br>विकास<br>प्राधिकरण) | बजट (₹ करोड़ में)  | 373.43            | 285.38            | 306.86           | 184.57            | 171.60            | 1,321.84            |
|  | व्यय (₹ करोड़ में) | 188.16            | 255.08            | 213.55           | 117.86            | 98.47             | 873.12              |
|  | बचत                | 185.27<br>(49.61) | 30.30<br>(10.62)  | 93.31<br>(30.41) | 66.71<br>(36.14)  | 73.13<br>(42.62)  | 448.72<br>(33.95)   |
| अमृत   | बजट (₹ करोड़ में)  | 136.75            | 130.25            | 75.70            | 500.52            | 619.59            | 1,462.81            |
|  | व्यय (₹ करोड़ में) | 0                 | 6.17              | 50.49            | 160.78            | 203.45            | 420.89              |
|  | बचत                | 136.75<br>(100)   | 124.08<br>(95.26) | 25.21<br>(33.30) | 339.74<br>(67.88) | 416.14<br>(67.16) | 1,041.92<br>(71.23) |

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बचत की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2016-17 से 2020-2021 की अवधि के दौरान सभी शहरी जल आपूर्ति योजनाओं में 2.85 और 100 प्रतिशत के मध्य लगातार बचत हुई थी।

### 3.3 योजनाओं को आत्मनिर्भर बनाने में विभागीय प्रयासों का अभाव

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के पैरा 2.3 के अनुसार, 14वें वित्त आयोग (2015-2020) ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता को राष्ट्रीय महत्व की लोक सेवाओं के रूप में मान्यता दी और स्थायी पेयजल आपूर्ति प्रणालियों को 'औपचारिक प्रबंधन मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाली प्रणालियों, जिनके पास 100 प्रतिशत घरेलू मीटर स्थापित हैं तथा जिनकी पानी की दरों और सब्सिडी से निवल राजस्व कम से कम प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है' के रूप में परिभाषित किया गया है। इसने दोनों ग्रामीण और शहरी घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों में व्यक्तिगत कनेक्शनों की 100 प्रतिशत मीटरिंग की भी सिफारिश की है और व्यक्तिगत कनेक्शन केवल तभी प्रदान किए जाने चाहिए जब चालू पानी के मीटर स्थापित हों। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

1. विभाग ने मीटर कनेक्शन लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया बल्कि विभाग का ध्यान मीटर कनेक्शन के स्थान पर घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराने पर है।
2. लेखापरीक्षा ने ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं से उत्पन्न प्राप्तियों की तुलना में संचालन एवं रखरखाव व्यय के डेटा (विभाग की वेबसाइट से) का विश्लेषण किया और राजस्व संग्रह, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल रखरखाव व्यय का केवल एक प्रतिशत

और शहरी क्षेत्र के मामले में, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए रखरखाव व्यय का कुल 15 प्रतिशत था, जैसा कि **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है:

**तालिका 3.3: प्राप्तियों की तुलना में संचालन एवं रखरखाव व्यय (₹ करोड़ में)**

| वर्ष       | ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन एवं रखरखाव व्यय | ग्रामीण जल आपूर्ति से प्राप्तियां | संचालन एवं रखरखाव व्यय को प्राप्तियों का प्रतिशत | शहरी क्षेत्रों में संचालन एवं रखरखाव व्यय | शहरी जल आपूर्ति से प्राप्तियां | संचालन एवं रखरखाव व्यय को प्राप्तियों का प्रतिशत |
|------------|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| 2016-17    | 566.90                                       | 3.13                              | 0.55   | 270.78                                    | 51.97                          | 19.19  |
| 2017-18    | 558.93                                       | 11.37                             | 2.03   | 265.38                                    | 48.31                          | 18.20  |
| 2018-19    | 616.76                                       | 8.07                              | 1.31   | 298.15                                    | 37.03                          | 12.42  |
| 2019-20    | 605.03                                       | 4.57                              | 0.76   | 279.95                                    | 38.54                          | 13.77  |
| 2020-21    | 888.51                                       | 3.12                              | 0.35   | 378.58                                    | 42.98                          | 11.35  |
| <b>कुल</b> | <b>3,236.14</b>                              | <b>30.25</b>                      | <b>0.93</b>                                      | <b>1,492.84</b>                           | <b>218.83</b>                  | <b>14.66</b>                                     |

यह इंगित करता है कि उत्पन्न राजस्व, जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिससे योजनाओं का संचालन वित्तीय रूप से अस्थिर हो गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रभार सरकारी अधिसूचना के अनुसार फ्लैट रेट पर लिए गए थे। परिणामस्वरूप संचालन एवं रखरखाव लागत को पूरा करने के लिए राजस्व जनरेशन/संग्रह में अंतर था। आगे, यह बताया गया था कि बकाया जल प्रभारों के संग्रह के लिए पंचायत और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन था, जो संचालन एवं रखरखाव लागत को पूरा करने के लिए राजस्व संग्रह में सुधार करेगा।

## जल प्रभार और बकाया

### 3.4 ₹ 278.20 करोड़ की राशि के जल प्रभारों की अवसूली


#### जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

**3.4.1** हरियाणा सरकार ने सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए ₹ 40 प्रति माह और अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के लाभार्थियों के लिए ₹ 20 प्रति माह के रूप में उन गांवों, जो किसी भी नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, में जल प्रभारों के टैरिफ की दरों को अधिसूचित किया (अप्रैल 2017)। अभिलेखों<sup>2</sup> की संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 2016 से मार्च 2021 के दौरान उपभोक्ताओं से ₹ 263.64 करोड़ (ग्रामीण: ₹ 128.17 करोड़; शहरी: ₹ 135.47 करोड़) की राशि का जल उपयोगकर्ता प्रभार वसूल किया जाना था, जबकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के चयनित मंडलों के संबंध में जल प्रभारों के बकाया के रूप में ₹ 187.34 करोड़ (ग्रामीण: ₹ 119.29 करोड़; शहरी: ₹ 68.05 करोड़) (**परिशिष्ट 7**) की शेष राशि छोड़ते हुए, मंडल कार्यालयों द्वारा इस अवधि के दौरान केवल ₹ 76.30 करोड़


<sup>2</sup> जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के चयनित मंडल।

(28.94 प्रतिशत) की राशि एकत्र की गई थी। विवरण चार्ट 3.1 (क) एवं (ख) में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 3.1 (क): ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रभार का संग्रह (2016-2021)



चार्ट 3.1 (ख): शहरी क्षेत्रों में जल प्रभार का संग्रह (2016-2021)



यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 2016-21 के दौरान केवल सात प्रतिशत जल प्रभार एकत्र/वसूल किए गए थे, राजस्व संग्रहण के प्रति, विभाग द्वारा प्रयासों के अभाव को दर्शाता है।

### हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

**3.4.2** हुडा (अब इसका नाम बदलकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया है) जल विनियम 2001 के नियम 13 (iii) में जोर दिया गया है कि निर्धारित तिथि तक जल प्रभारों का भुगतान करने में विफल रहने वाले उपभोक्ता को देय तिथि से 15 दिनों के भीतर देय जल प्रभार की राशि के 10 प्रतिशत की दर से जुर्माना देना होगा, ऐसा न करने पर सात दिन का नोटिस देने के बाद उसका पानी का कनेक्शन काट दिया जायेगा।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चयनित मंडलों में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि 31 मार्च 2021 तक ₹ 19.18 करोड़ की राशि के जल प्रभार बकाया थे, जो चयनित जिलों में उपभोक्ताओं से वसूले जाने थे लेकिन संबंधित कार्यालयों द्वारा नियमानुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चयनित मंडलों में बकाया जल प्रभारों का विवरण **परिशिष्ट 7** में दिया गया है।

### शहरी स्थानीय निकाय

**3.4.3** शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा सरकार ने अगस्त 2018 में संशोधित जल उपयोगकर्ता प्रभारों को अधिसूचित किया। चयनित जिलों में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि दो नगर निगमों यथा फरीदाबाद<sup>3</sup> और करनाल में ₹ 71.68 करोड़ की राशि के जल उपयोगकर्ता प्रभार 31 मार्च 2021 तक बकाया थे (**परिशिष्ट 7**)। जल उपयोगकर्ता प्रभारों की वसूली की निगरानी के लिए शहरी स्थानीय निकाय में कोई तंत्र नहीं था।

यह आकलन किया जाता है कि राजस्व का निर्धारण न करना प्राधिकरणों अर्थात् जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्थानीय निकाय और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से चूक है। यह उच्च अधिकारियों जैसे प्रमुख अभियंता/निदेशक/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता आदि की ओर से जवाबदेही तंत्र की अनुपस्थिति या कमी को भी दर्शाता है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), विभागों ने मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

### 3.5 सामुदायिक अंशदान का संग्रह

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के पैरा 6.1.2 में निर्धारित किया गया है कि ग्राम पंचायतों और/अथवा इनकी उप-समिति, अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह आदि द्वारा गांव में पाइप जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे और संबंधित स्रोत विकास को कार्यान्वित किया जाएगा; समुदाय, पूंजीगत लागत का 10 प्रतिशत नकद और/या वस्तु और/या श्रम के रूप में योगदान करेंगे और जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) द्वारा तय किए गए अनुसार एजेंसी/विक्रेता को भुगतान किया जाएगा।

अभिलेखों<sup>4</sup> की संवीक्षा के दौरान, यह पता चला कि 6,129 ग्राम पंचायतों (**परिशिष्ट 8**) को 2016-21 के दौरान ₹ 69.76 करोड़ की सामुदायिक अंशदान राशि जमा करना अपेक्षित था, लेकिन अगस्त 2022 तक विभाग के पास केवल ₹ 0.39 करोड़ जमा किए गए थे। इस प्रकार ₹ 69.36 करोड़ की कम वसूली/संग्रह हुआ था।

<sup>3</sup> फरीदाबाद, मंडल 1 2016-21, मंडल नंबर 3 एवं 5 2019-21, मंडल नंबर 2 एवं 4 ने संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की।

<sup>4</sup> प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा।

एग्जिट काफ़्रेस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया।

### 3.6 राज्य का अंश विलंब से जारी करना

2017-18 में, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत निधियों की मांग (₹ 26.06 करोड़ का केंद्रीय अंश और राज्य के अंश के रूप में ₹ 19.74 करोड़) वित्त विभाग, हरियाणा के पास भेजी गई थी (अप्रैल 2017)। केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 26.06 करोड़ का लैटर ऑफ़ क्रेडिट (एलओसी) वित्त विभाग द्वारा जारी (19 मई 2017) किया गया था लेकिन राज्य का संबंधित अंश जारी नहीं किया गया था। ₹ 19.74 करोड़ का उक्त राज्य का अंश वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा अक्टूबर 2017 में जारी किया गया था। निर्देशों के अनुसार केंद्रीय अंश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राज्य का अंश कार्यान्वयन एजेंसी को जारी किया जाना था। इस प्रकार, विभागों के मध्य समन्वय का अभाव था क्योंकि राज्य का अंश जारी करने में पांच माह से अधिक का विलंब था।

### 3.7 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन में केंद्रीय और राज्य निधियों को जारी करना और उनका उपयोग करना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा द्वारा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) को वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के लिए प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अनुसार, 2016-21 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु केंद्र और राज्यों के हिस्से की निधियां जारी करने और उनके उपयोग के विवरण **तालिका 3.4** में दिए गए हैं:

**तालिका 3.4: 2016-2021 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधि एवं व्यय (₹ करोड़ में)**

| वर्ष       | कुल उपलब्ध निधि | व्यय            | बचत           | उपलब्ध निधि के विरुद्ध बचत की प्रतिशतता |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|---|
| 2016-17    | 383.84          | 299.23          | 84.61         | 22.04                                   |
| 2017-18    | 343.14          | 162.05          | 181.09        | 52.77                                   |
| 2018-19    | 227.27          | 176.68          | 50.59         | 22.26                                   |
| 2019-20    | 280.60          | 140.31          | 140.29        | 50.00                                   |
| 2020-21    | 289.50          | 248.03          | 41.47         | 14.32                                   |
| <b>कुल</b> | <b>1,524.35</b> | <b>1,026.30</b> | <b>498.05</b> | <b>32.67</b>                            |

जैसा कि तालिका से देखा गया है, 2016-17 से 2020-21 के दौरान बचत की प्रतिशतता 14.32 प्रतिशत और 52.77 प्रतिशत के मध्य रही। मार्च 2021 तक ₹ 498.05 करोड़ की कुल निधियां अप्रयुक्त रही।

2016-21 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की घटक-वार स्थिति और किए गए व्यय के विवरण नीचे **तालिका 3.5, 3.6 और 3.7** में दिए गए हैं:

**कवरेज:** इस घटक के अंतर्गत निधियों का उपयोग शामिल न की गई, आंशिक रूप से शामिल की गई और पिछड़ी हुई बस्तियों (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में) को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति प्रदान करने और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल (ग्रामीण परिवारों को प्रदान किए गए एफएचटीसी के संदर्भ में) के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए किया जाना था।

**संचालन एवं रख-रखाव:** इस घटक के अंतर्गत निधियों का उपयोग पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के संचालन, मरम्मत और प्रतिस्थापन लागतों पर व्यय के लिए किया जाना था।

**पानी की गुणवत्ता:** इस घटक के अंतर्गत निधियों का उपयोग पानी की गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जाना था।

**संधारणीयता:** इस घटक के अंतर्गत निधियों का उपयोग, स्रोतों और प्रणालियों की संधारणीयता के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाना था।

तालिका 3.5: 2016-2021 के दौरान कवरेज, जल गुणवत्ता, संधारणीयता, संचालन एवं रख-रखाव घटकों पर किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

| वर्ष    | कुल उपलब्ध निधियां | व्यय   | उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रतिशतता |
|---------|--------------------|--------|--------------------------------------|
| 2016-17 | 373.76             | 293.06 | 78.41                                |
| 2017-18 | 333.09             | 155.95 | 46.82                                |
| 2018-19 | 209.52             | 168.84 | 80.58                                |
| 2019-20 | 260.26             | 131.46 | 50.51                                |
| 2020-21 | 269.34             | 234.09 | 86.91                                |

### समर्थक गतिविधियां

समर्थक गतिविधियों में शामिल हैं (i) जल एवं स्वच्छता समर्थक संगठन और जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सलाहकारों की नियुक्ति, (ii) बीआरसी<sup>5</sup> की स्थापना और संचालन, (iii) जागरूकता सृजन और प्रशिक्षण गतिविधियों का समर्थन, (iv) जिला और उप-मंडल स्तर पर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समर्थन देना (v) राज्य के लिए प्रासंगिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां आदि।

<sup>5</sup> ब्लॉक संसाधन समन्वयकों

तालिका 3.6: 2016-2021 के दौरान समर्थक गतिविधियों के घटक पर किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

| वर्ष    | कुल उपलब्ध निधियां | व्यय | उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रतिशतता |
|---------|--------------------|------|--------------------------------------|
| 2016-17 | 5.99               | 3.79 | 63.27                                |
| 2017-18 | 6.34               | 3.86 | 60.87                                |
| 2018-19 | 9.11               | 4.97 | 54.56                                |
| 2019-20 | 12.03              | 5.20 | 43.23                                |
| 2020-21 | 11.78              | 6.72 | 57.05                                |

### जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस)

इस घटक के अंतर्गत निधियों का उपयोग क्षेत्र स्तर पर बस्तियों में पानी की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग और निगरानी के लिए तथा राज्य, जिला और उप-मंडल स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उन्नयन के लिए किया जाना है।

तालिका 3.7: 2016-2021 के दौरान जल गुणवत्ता, मॉनीटरिंग और निगरानी घटक पर किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

| वर्ष    | कुल उपलब्ध निधियां | व्यय | उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रतिशतता |
|---------|--------------------|------|--------------------------------------|
| 2016-17 | 4.09               | 2.38 | 58.19                                |
| 2017-18 | 3.71               | 2.24 | 60.38                                |
| 2018-19 | 8.64               | 2.87 | 33.22                                |
| 2019-20 | 8.31               | 3.65 | 43.92                                |
| 2020-21 | 8.38               | 7.22 | 86.16                                |

यह स्पष्ट है कि मुख्य घटकों अर्थात् कवरेज, पानी की गुणवत्ता, संधारणीयता और संचालन एवं रखरखाव के अंतर्गत निधियां 13.09 से 53.18 प्रतिशत की सीमा तक अप्रयुक्त रही। समर्थक गतिविधियों के अंतर्गत निधियों का कम उपयोग 36.73 से 56.77 प्रतिशत के मध्य था। जल गुणवत्ता, मॉनीटरिंग और निगरानी से संबंधित गतिविधियों में कम उपयोग 13.84 से 66.78 प्रतिशत के मध्य था।

### 3.8 समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा न करने के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त देयता

13वें वित्त आयोग, शहरी<sup>6</sup> (शिवालिक और दक्षिणी हरियाणा) के अंतर्गत ₹ 79.58 करोड़ की अनुमानित लागत पर कार्यान्वयन के लिए हिसार शहर में जल आपूर्ति योजना के विस्तार का प्रस्ताव किया गया था (2013)। तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों की चूक से बचने के लिए परियोजना को 31 मार्च 2016 तक पूरा करना निर्धारित था। कार्य<sup>7</sup> 18 माह की अवधि में पूर्ण करने हेतु आबंटित (अक्टूबर 2013) किया गया था। लेकिन स्थल विवाद और विभाग की लापरवाही के कारण कार्य समय पर शुरू नहीं हुआ और निर्धारित समय में पूरा नहीं हो

<sup>6</sup> योजना शहरी क्षेत्रों के लिए है और शीर्ष पी-01-38-4215-01-101-99-97 बनाकर तेरहवें वित्त आयोग से केंद्रीय सहायता के अंतर्गत वित्त पोषित है।

<sup>7</sup> वृद्धि जल आपूर्ति विस्तार योजना हिसार शहर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (पीएलसी) की डिजाइनिंग, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग। आरसीसी, एनपी3 पाइप इनलेट चैनल का निर्माण एवं अन्य संबद्ध कार्य और तीन महीने के ट्रायल रन के बाद पांच वर्ष के लिए संचालन एवं रखरखाव सहित अन्य सभी आकस्मिक कार्यों को पूरा करना।

सका। इस बीच, तेरहवें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केंद्रीय सहायता 31 मार्च 2016 को समाप्त हो गई, तब तक विभाग तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से केवल ₹ 48.54 करोड़ का उपयोग कर सका।

परियोजना को पूरा करने के लिए, विभाग ने ₹ 31.04 करोड़ की राशि का पूरक प्राक्कलन तैयार किया (जुलाई 2016 में अनुमोदित) और राज्य योजना (शहरी आवर्धन योजना) से ₹ 31.04 करोड़ की राशि खर्च की। यदि कार्य समय पर पूरा हो जाता तो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ से बचा जा सकता था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के जवाब में, विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2021) कि भूमि के कब्जे में विलंब और डिजाइन एवं ड्राइंग के देरी से अनुमोदन के कारण तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग नहीं किया जा सका। हालांकि, तथ्य यह है कि विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई करने से देयता से बचा जा सकता था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि मामले की जांच के बाद विस्तृत उत्तर लेखापरीक्षा को दिया जाएगा। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2022)।

#### निष्कर्ष

वित्तीय प्रबंधन प्रभावी नहीं था, क्योंकि केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत सतत बचत देखी गई थी। योजनाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में विभागीय प्रयास का अभाव था क्योंकि राजस्व संग्रहण बहुत कम था। नमूना-जांच किए गए विभागों/मंडलों में मार्च 2021 तक उपभोक्ताओं से ₹ 278.20 करोड़ का जल प्रभार प्राप्त नहीं हुआ था। ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक अंशदान के कारण ₹ 69.36 करोड़ की कम वसूली/संग्रहण हुआ।

#### सिफारिश

3. योजनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग/संबंधित संस्थाओं को बकाया जल प्रभारों की वसूली, सामुदायिक अंशदान की वसूली के प्रयास करने चाहिए।

## **अध्याय-IV**

# **पानी की अपर्याप्त आपूर्ति**



## अध्याय-IV

### पानी की अपर्याप्त आपूर्ति

फ्लो मीटर 58 स्थानों की आवश्यकता के विरुद्ध 32 स्थानों पर स्थापित किए गए थे। इन 32 स्थानों में से 23 स्थानों पर लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) के संदर्भ में जल आपूर्ति मानकों से कम पाई गई। यह देखा गया था कि नमूना-जांच किए गए 604 मामलों में से 72 मामलों में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्राकृतिक जल का डिस्चार्ज वास्तविक आवश्यकता से कम था, जबकि 604 मामलों में से 63 मामलों में भंडारण एवं अवसादन टैंकों की भंडारण क्षमता वास्तविक आवश्यकता से कम पाई गई थी। शहरी क्षेत्र में, 3.16 लाख कनेक्शनों में से 48 प्रतिशत बिना मीटर वाले थे। पम्पिंग मशीनरी की हिस्ट्री से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित नहीं पाए गए थे।

#### 4.1 आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा का आकलन

आपूर्ति किए जा रहे पानी की मात्रा का आकलन इस निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक था। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि पानी की मोटरों/नलकूपों के परिचालन घंटों और मशीनरी विवरणों जैसे ब्रेक हॉर्स पावर (बीएचपी), लीटर प्रति मिनट (एलपीएम) आदि से संबंधित विस्तृत डेटा मंडलों में उपलब्ध नहीं था।

अतः, आपूर्ति किए गए पानी की वास्तविक मात्रा का निर्धारण करने के लिए 58 स्थानों का चयन किया गया था जहां संबंधित विभाग (अर्थात् जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी स्थानीय निकाय) वाटर वर्क्स में फ्लो मीटर स्थापित करने के लिए सहमत हुए। विवरण नीचे **तालिका 4.1** में दिए गए हैं।

तालिका 4.1: फ्लो मीटर के स्थापन की स्थिति

| विभाग का नाम                    | स्थानों की संख्या जहां फ्लो मीटर स्थापित किए जाने थे | उन स्थानों की संख्या जहां फ्लो मीटर स्थापित नहीं किए गए थे/संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था | उन स्थानों की संख्या जहां पानी की आपूर्ति निर्धारित मानदंडों से कम पाई गई |
|---------------------------------|--|--|---|
| जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | 15   | 3  | 8   |
| हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण    | 31   | 11   | 15  |
| शहरी स्थानीय निकाय              | 12   | 12   | --  |
| <b>कुल</b>                      | <b>58</b>  | <b>26</b>  | <b>32 में से 23</b>   |

उपर्युक्त से, यह आकलन किया जा सकता है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 12 स्थानों में से 8 स्थानों के संबंध में जल आपूर्ति तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 20 स्थानों में से 15 स्थानों के संबंध में जल आपूर्ति निर्धारित मानकों से कम थी। विवरण **परिशिष्ट 9** में दिए गए हैं। इस प्रकार, विभाग निर्धारित मानकों के अनुसार निवासियों को जल आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहे।

लाभार्थी सर्वेक्षण: 608 लाभार्थियों में से 95 (16 प्रतिशत) ने बताया कि पानी की आपूर्ति एक या एक से अधिक दिनों के अंतराल के बाद उपलब्ध थी जबकि 608 लाभार्थियों में से 125 (21 प्रतिशत) ने बताया कि गर्मी के मौसम में पानी की आपूर्ति कम थी। तथापि, लोग अपनी जरूरतों को टैंकों (या तो विभागीय या निजी) के माध्यम से पूरा करते थे।

#### 4.2 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति की स्थिति

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए गैर-डेजर्ट विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) और डेजर्ट विकास कार्यक्रम (डीडीपी) क्षेत्रों के लिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) के रूप में जल आपूर्ति के मानकों को अपनाया है। मई 1999 में प्रकाशित केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन मैनुअल के अनुसार, परियोजना के घटक अर्थात् जल उपचार इकाइयां और स्वच्छ पानी के जलाशय तथा बैलेंसिंग टैंक 15 वर्ष की डिजाइन अवधि लेकर डिजाइन किए गए हैं। प्राकृतिक जल और स्वच्छ पानी के वाहक और वितरण प्रणाली जैसे घटकों को 30 वर्ष की डिजाइन अवधि लेकर डिजाइन किया गया है। विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध पानी की आपूर्ति और उससे संबंधित घटकों से संबंधित डंप डेटा, प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा के कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया था। आठ चयनित जिलों के डंप डेटा का विश्लेषण पद्धति के अनुसार किया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट 10** में दिया गया है।

विश्लेषण के परिणामों से निम्नलिखित का पता चला:

##### 4.2.1 वाटर वर्क्स के लिए स्वीकृत डिस्चार्ज से कम अपेक्षित डिस्चार्ज

सतही जल आपूर्ति योजनाओं में सिंचाई विभाग किसी स्थान विशेष पर आउटलेट की स्वीकृति देता है। सिंचाई विभाग से स्वीकृत आउटलेट से प्राकृतिक जल लिया जाता है तथा नहर के बंद होने के दौरान पानी की आवश्यकता/मांग को पूरा करने के लिए भंडारण एवं अवसादन टैंक में संग्रहित किया जाता है। आउटलेट के आकार को स्वीकृति देते समय, कई घटकों जैसे प्रति वर्ष दो प्रतिशत वृद्धि पर विचार करते हुए भविष्य की भावी जनसंख्या, नहर के बंद होने, नहर के चालू रहने की अवधि को ध्यान में रखा जाता है। नहर के चालू रहने एवं बंद होने की अवधि में परिवर्तन के कारण सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत डिस्चार्ज को संशोधित किया जा सकता है।

सिंचाई विभाग से प्राकृतिक जल के अपेक्षित डिस्चार्ज<sup>1</sup> की गणना करने के लिए, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2021 के लिए संभावित जनसंख्या, नहर के चालू रहने के दिनों, नहर के बंद होने के दिनों, नॉन-डेजर्ट क्षेत्रों के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता और डेजर्ट क्षेत्रों के लिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता (**परिशिष्ट 11 एवं 12**) को ध्यान में रखते हुए वास्तविक स्थिति की गणना की। यह देखा गया था कि चयनित जिलों के 12 प्रतिशत

<sup>1</sup> लीटर में पानी की कुल आवश्यकता: कुल जनसंख्या \* लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (55/70) + 15 प्रतिशत वाष्पीकरण हानियां।

मामलों<sup>2</sup> (604 मामलों में से 72) में, वास्तविक स्वीकृत डिस्चार्ज अपेक्षित डिस्चार्ज की तुलना में बहुत कम था, जिसमें अधिकतम मामलों में डिस्चार्ज में 26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की कमी थी, जैसा कि **तालिका 4.2 (क)** एवं **4.2 (ख)** में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.2 (क): जिलेवार वाटर वर्क्स/मामलों की संख्या जहां स्वीकृत डिस्चार्ज अपेक्षित डिस्चार्ज से कम था**

| जिले का नाम   | हिसार | फतेहाबाद | करनाल | रेवाड़ी | रोहतक |
|---|-------|----------|-------|---------|-------|
| कुल वाटर वर्क्स जिनके लिए सिंचाई विभाग द्वारा आउटलेट स्वीकृत किए गए | 259   | 120      | 1     | 86      | 138   |
| ऐसे मामले जहां स्वीकृत डिस्चार्ज अपेक्षित डिस्चार्ज से कम था        | 53    | 4        | 0     | 1       | 14    |
| प्रतिशतता के संदर्भ में मामले                                       | 20    | 3        | --    | --      | 10    |

**तालिका 4.2 (ख): प्रतिशतता के संदर्भ में कमी के आधार पर वाटर वर्क्स /मामलों का विभाजन**

| जिला/क्षेत्र     | 0-10 प्रतिशत | 11-25 प्रतिशत | 26-50 प्रतिशत | 51-75 प्रतिशत | 76-100 प्रतिशत |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| हिसार            | 5            | 7             | 20            | 14            | 7              |
| फतेहाबाद         | 0            | 1             | 1             | 2             | 0              |
| रेवाड़ी          | 0            | 0             | 0             | 0             | 1              |
| रोहतक            | 3            | 4             | 6             | 1             | 0              |
| <b>कुल मामले</b> | <b>8</b>     | <b>12</b>     | <b>27</b>     | <b>17</b>     | <b>8</b>       |

इस प्रकार, यह आकलन किया जाता है कि मानकों के अनुसार अपेक्षित डिस्चार्ज की तुलना में कम स्वीकृत डिस्चार्ज के कारण लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना नहीं है।

#### 4.2.2 भंडारण एवं अवसादन (एस एंड एस) टैंक की कम भंडारण क्षमता

नहर के बंद होने की अवधि के दौरान भंडारण एवं अवसादन टैंक की अपेक्षित क्षमता के लिए, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2021 के लिए संभावित जनसंख्या की आवश्यकता, नहर के चालू रहने के दिनों, नहर के बंद होने के दिनों, भंडारण एवं अवसादन टैंक की क्षमता, 15 प्रतिशत की दर से वाष्पीकरण हानि, नॉन-डेजर्ट विकास कार्यक्रम क्षेत्रों के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता एवं डेजर्ट विकास कार्यक्रम क्षेत्रों के लिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गणना की (**परिशिष्ट 10**)।

यह अवलोकित किया गया था कि चयनित जिलों में जहां नहर जल आपूर्ति के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है, 11 प्रतिशत मामलों<sup>3</sup> (604 मामलों में से 63) में भंडारण एवं अवसादन टैंकों की भंडारण क्षमता, नहर के बंद होने की अवधि के दौरान आबादी की वास्तविक आवश्यकता से कम पाई गई थी जैसा कि **तालिका 4.3 (क)** एवं **4.3 (ख)** में दर्शाया गया है। विवरण **परिशिष्ट 13 और 14** में देखे जा सकते हैं।

<sup>2</sup> डेजर्ट विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में 58 मामले तथा गैर-डेजर्ट विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में 14 मामले थे, जहां डिस्चार्ज स्वीकृति अपेक्षित स्वीकृति से कम थी।

<sup>3</sup> डेजर्ट विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में जहां पानी 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अपेक्षित है, 61 मामलों का पता चला जबकि गैर-डेजर्ट विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में जहां पानी 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अपेक्षित है, दो मामलों का पता चला।

तालिका 4.3 (क): जिलेवार मामले जहां भंडारण एवं अवसादन टैंकों की भंडारण क्षमता आवश्यकता के अनुसार कम थी

| जिला का नाम                                    | हिसार | फतेहाबाद | करनाल | रेवाड़ी | रोहतक |
|--|-------|----------|-------|---------|-------|
| कुल भंडारण एवं अवसादन टैंक                     | 259   | 120      | 1     | 86      | 138   |
| ऐसे मामले जहां भंडारण क्षमता आवश्यकता से कम थी | 47    | 12       | 0     | 2       | 2     |
| प्रतिशतता में मामले                            | 18    | 10       | --    | --      | --    |

तालिका 4.3 (ख): प्रतिशतता में कमी के आधार पर मामलों का विभाजन

| जिला/क्षेत्र | 0-10 प्रतिशत | 11-25 प्रतिशत | 26-50 प्रतिशत | 51-75 प्रतिशत | 76-100 प्रतिशत |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| हिसार        | 15           | 15            | 5             | 8             | 4              |
| फतेहाबाद     | 2            | 2             | 3             | 3             | 2              |
| रेवाड़ी      | 0            | 1             | 0             | 1             | 0              |
| रोहतक        | 0            | 0             | 1             | 1             | 0              |
| कुल मामले    | 17           | 18            | 9             | 13            | 6              |

इस प्रकार, यह आकलन किया जाता है कि नहर के बंद होने की अवधि के दौरान पानी की पूर्ण भंडारण क्षमता के अभाव में, विभाग द्वारा निवासियों के लिए 55/70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना नहीं है।

#### 4.3 रेवाड़ी शहर की केस स्टडी

जल प्रभारों के राजस्व संग्रह में आवश्यकता और दक्षता के विरुद्ध शहर में जल आपूर्ति के निष्पादन का आकलन करने के लिए रेवाड़ी शहर की केस स्टडी की गई थी। केस स्टडी का परिणाम निम्नानुसार है:

रेवाड़ी शहर में, पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत नहर आधारित (जेएलएन फीडर) है और नहर बंद होने की अवधि के दौरान आवश्यकता को पूरा करने के लिए नलकूप भी स्थापित किए गए हैं। रेवाड़ी शहर में जल आपूर्ति से संबंधित संरचनाओं की प्रदानगी तथा उन्नयन के लिए निम्नलिखित एजेंसियां उत्तरदायी हैं:

| क्र. सं. | एजेंसी का नाम                   | लाभान्वित जनसंख्या (2021 तक) | क्षेत्राधिकार/क्षेत्र   | 135 एलपीसीडी की तुलना में वास्तविक जल आपूर्ति | क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) की क्षमता |
|----------|---------------------------------|------------------------------|---|---|---|
| 1.       | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | 1,79,001                     | संपूर्ण नगर क्षेत्र (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों को छोड़कर) | 111   | 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन (168 एलपीसीडी)                            |
| 2.       | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण    | 43,966                       | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर क्षेत्र                            | 86  | 7 मिलियन लीटर प्रतिदिन (159 एलपीसीडी)                             |

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, रेवाड़ी शहर में पीने के पानी के उपचार के लिए जल उपचार संयंत्रों की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध थी।

एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जल आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है:

- **जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र:** जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रेवाड़ी शहर में रहने वाले निवासियों को पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए दो नहर आधारित वाटर वर्क्स

(एक कालका में और दूसरा लिसाना में स्थित है) हैं। इनके अलावा दो नलकूप भी हैं जो जरूरत को पूरा करने के लिए लगाए गए हैं। अवसादन टैंकों की भंडारण क्षमता (636.87 मिलियन लीटर) आवश्यकता (1,039.10 मिलियन लीटर) से कम पाई गई थी। अपर्याप्त भंडारण क्षमता के कारण 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जल आपूर्ति की आवश्यकता के विरुद्ध जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग केवल 111 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आपूर्ति कर सका।

मानकों के अनुरूप जल आपूर्ति करने हेतु अतिरिक्त भण्डारण टैंक के निर्माण एवं अन्य सहायक कार्यों के लिए जून 2019 में प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया था। मार्च 2021 तक, ₹ 20.62 करोड़ (2019-20: ₹ 7.94 करोड़; 2020-21: ₹ 12.68 करोड़) की राशि उपर्युक्त परियोजना के निष्पादन के लिए आबंटित की गई थी। भूमि के अंतिमकरण में विलंब के कारण अतिरिक्त भण्डारण टैंक का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इस प्रकार, निधियों और प्राकृतिक जल की उपलब्धता के बावजूद, अतिरिक्त भंडारण टैंक का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया जिससे नागरिक सुविधा के अपेक्षित लाभ से वंचित रहे।

- **हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र:** मंडल कार्यालय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, यह देखा गया था कि लोगों को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता की तुलना में 86 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी मिल रहा था।
- **नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र:** शहरी क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य अप्राप्त रहा क्योंकि अमृत योजना के अंतर्गत रेवाड़ी शहर की अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में भी लगभग 11.14 प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया गया था। विवरण निम्नानुसार है:

| कुल घर | परियोजना के निष्पादन से पहले कवर किए गए घर | इस परियोजना में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित घर | परियोजना के कार्यान्वयन के बाद कवर किए गए घरों की कुल संख्या | परियोजना के पूरा होने के बाद बिना नल कनेक्शन वाले शेष घर | शेष घरों की प्रतिशतता  |
|--------|--|---|--|--|------------------------|
| (ए)    | (बी)                                       | (सी)  | (डी) = (बी) + (सी)   | (ई) = (ए) - (डी)   | (एफ) = (ई) * 100 / (ए) |
| 28,702 | 23,597                                     | 1,909   | 25,506   | 3,196  | 11.14                  |

#### रेवाड़ी शहर में जल आपूर्ति के संबंध में अन्य मुद्दे

- 2016-21 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अगले 30 वर्षों के लिए संभावित जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल के अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जल आपूर्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुल आवश्यकता का आकलन करता है। हालांकि, रेवाड़ी शहर के लिए कुल पानी की आवश्यकता का आकलन

करते समय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संस्थागत<sup>4</sup> आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया गया था।

- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा मशीनरी की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए पंपों और मोटरों के रखरखाव के संबंध में कोई अभिलेख नहीं रखा गया था।
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में लॉग बुक का रखरखाव नहीं किया गया था जहां आउटसोर्सिंग स्टाफ द्वारा संचालन एवं रखरखाव किया जाता था।

### राजस्व संग्रह में दक्षता

2016-21 की अवधि के दौरान, रेवाड़ी शहर के उपभोक्ताओं से जल प्रभारों के रूप में ₹ 20.70 करोड़ (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग: ₹ 17.55 करोड़ + हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण: ₹ 3.15 करोड़) की राशि एकत्र की जानी थी। इसमें से ₹ 6.50 करोड़ (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग: ₹ 5.71 करोड़ + हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण: ₹ 0.79 करोड़) 31 मार्च 2021 तक उपभोक्ताओं से बकाया थे। हालांकि, 2016-21 के दौरान इन दोनों विभागों द्वारा जल आपूर्ति घटक के संचालन एवं रखरखाव पर ₹ 47.93 करोड़ (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग: ₹ 32.02 करोड़ + हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण: ₹ 15.91 करोड़) का व्यय किया गया था। इस प्रकार, जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव व्यय को कवर करने के लिए सृजित राजस्व पर्याप्त नहीं था।

### 4.4 कुछ विशिष्ट प्रणालीगत मुद्दे

नहर आधारित जल आपूर्ति के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों में जल की उपलब्धता के आधार पर नहर के चालू रहने और नहर के बंद होने की अवधि में संशोधन किया जाता है। लेखापरीक्षा ने नहर के बंद होने के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए नियोजित/शुरू किए गए कार्यों में, अनुचित योजना के कारण देरी देखी, विवरण निम्नानुसार हैं:

#### 4.4.1 योजना के अभाव के कारण अतिरिक्त भंडारण टैंक के निर्माण में विलंब

अभिलेखों<sup>5</sup> की संवीक्षा से पता चला कि "पटौदी रोड एवं लिसाना (वाटर वर्क्स) में पम्पिंग स्टेशन और नए भंडारण एवं अवसादन टैंकों के निर्माण द्वारा प्राकृतिक जल की भंडारण क्षमता में वृद्धि तथा जिला रेवाड़ी में रेवाड़ी शहर के लिए लिसाना (वाटर वर्क्स) की संरचनाओं का नवीकरण एवं अद्यतन" के कार्य को "शहरी जल आपूर्ति में आवर्धन" के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए जल आपूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था (जून 2019)। रेवाड़ी शहर के लिए पटौदी रोड में नए भंडारण एवं अवसादन (एस एंड एस) टैंकों के निर्माण

<sup>4</sup> अस्पतालों के लिए: 340 से 450 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (प्रति बेड), हॉस्टल और बोर्डिंग स्कूल/कॉलेज: 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, डे स्कूल/कॉलेज: 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, रेस्तरां: 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (प्रति सीट) और सिनेमा और थिएटर के लिए: 15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।

<sup>5</sup> कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल-1, रेवाड़ी।

तथा लिसाना वाटर वर्क्स, मौजूदा वाटर वर्क्स लिसाना की संरचनाओं के नवीकरण एवं अद्यतन की लागत को पूरा करने के लिए ₹ 50.58 करोड़ की राशि का अनुमान तैयार किया गया था। संवीक्षा में पाया गया कि प्रशासनिक अनुमोदन के बावजूद परियोजना का विस्तृत प्राक्कलन आज तक अनुमोदित नहीं किया गया था। अब तक, उक्त परियोजना के निष्पादन के लिए ₹ 20.62 करोड़ (2019-20: ₹ 7.94 करोड़; 2020-21: ₹ 12.68 करोड़) की राशि आबंटित की गई थी, लेकिन मंडल कार्यालय परियोजना शुरू करने में विफल रहा। दोनों टैंकों की भंडारण क्षमता 636.87 मिलियन लीटर थी तथा शेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए नलकूप लगाए गए थे, जो मंडलीय कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रतिदिन औसतन 8 घंटे चलते थे। लेखापरीक्षा ने 24 दिनों के नहर के बंद होने के दौरान प्रदान किए गए निवल पानी (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) की मात्रा की गणना की जैसा कि **तालिका 4.4** में दिया गया है।

**तालिका 4.4: नहर के बंद होने के दौरान उपलब्ध कराए गए पानी की मात्रा**

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | प्राकृतिक जल टैंकों की क्षमता                                    | 636.87 मिलियन लीटर  |
| 2 | नलकूपों से उपलब्ध जल (100 प्रतिशत क्षमता कारक पर विचार करते हुए) | 2.3 मिलियन लीटर <sup>6</sup>  |
| 3 | कुल उपलब्ध जल  | 639.17 मिलियन लीटर  |
| 4 | 25 प्रतिशत वाष्पीकरण हानि घटाना                                  | 159.79 मिलियन लीटर  |
| 5 | 24 दिनों के लिए निवल पानी, वितरण के लिए उपलब्ध है                | 479.38 मिलियन लीटर  |
| 6 | 2011 की जनगणना के अनुसार रेवाड़ी शहर की जनसंख्या                 | 1,43,201  |
| 7 | प्रति वर्ष 2.5 प्रतिशत की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए (2021)    | 1,79,001  |
| 8 | निवल पानी, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान किया जाता है            | $479.38 \text{ मिलियन लीटर} / (1,79,001^7 \times 24) = 111 \text{ लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन}$ |

उपर्युक्त से, यह आकलन किया गया था कि विभाग, रेवाड़ी शहर के निवासियों को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानकों के विपरीत 111 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान कर रहा था। इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता और प्राकृतिक जल की उपलब्धता के बावजूद, मंडलीय कार्यालय, योजना की कमी (भूमि के अंतिम रूप देने में देरी) के कारण कार्य (अतिरिक्त भंडारण टैंक के निर्माण में देरी) शुरू करने में सक्षम नहीं था, जिससे नागरिक पीने योग्य पानी की अपेक्षित मात्रा प्राप्त करने से वंचित रह गए।

#### 4.4.2 योजना की विफलता के कारण, मानदंडों के अनुसार जल आपूर्ति का प्रावधान नहीं किया गया

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 6.5.5 में प्रावधान है कि मंडल अधिकारी अपने प्रभार के अंतर्गत, वास्तव में निर्मित कार्यों, बाद में किसी भी बदलाव के साथ (अर्थात् सड़कों, नहरों, डिस्ट्रीब्यूट्रीज, नालों, सीवरों, जल आपूर्ति लाइनों आदि की योजनाओं) की पूरी योजनाओं का अभिलेख रखेगा।

<sup>6</sup> 8 घंटे x 60 x 200 एलपीएम x 24 दिन।

<sup>7</sup> 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की जनसंख्या प्लस 2021 तक प्रति वर्ष 2.5 प्रतिशत की वृद्धि (1,43,201+35,800=1,79,001)।

कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, फतेहाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि भूना में नहर आधारित वाटर वर्क्स के आवर्धन का कार्य क्रियात्मक नहीं हो सका क्योंकि इनलेट चैनल का कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका, विवरण **तालिका 4.5** में दिए गए हैं।

**तालिका 4.5: भूना शहर में नहर आधारित वाटर वर्क्स के आवर्धन कार्य की स्थिति**

| क्र. सं. | कार्य का नाम                              | एजेंसी का नाम  | कार्य प्रारंभ करने की तिथि | कार्य की निर्धारित पूर्णता      | मई 2022 तक कार्य की स्थिति | अभ्युक्तियां   |
|----------|---|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| 1.       | भूना में नहर आधारित वाटर वर्क्स का आवर्धन | महा लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी<br>सुंदर लाल शर्मा ठेकेदार | 19 दिसंबर 2017             | 18 मार्च 2019<br>18 दिसंबर 2018 | प्रगति पर<br>पूर्ण         | कार्य पूरा करने के लिए दो अलग-अलग अनुबंध (मेन और इनलेट चैनल) किए गए। भूमि उपलब्ध न होने के कारण इनलेट चैनल का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। |

विभाग अस्थायी व्यवस्था के रूप में भंडारण टैंकों में पानी के भंडारण के लिए साइफन के माध्यम से माइनर<sup>8</sup> से प्राकृतिक जल ले रहा था। इस परियोजना के लिए स्वीकृत प्राकृतिक जल (5.33 क्यूसेक) की उपलब्धता के बावजूद तथा इस कार्य पर ₹ 24.76 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध ₹ 21.09 करोड़ का व्यय करने के बाद भी निवासियों को अपेक्षित लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति संभव नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, अस्थायी व्यवस्था के कारण पानी के नुकसान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि विवरणों के सत्यापन के बाद उत्तर दिया जाएगा। उत्तर दिसंबर 2022 तक प्रतीक्षित है।

#### 4.5 मीटर कनेक्शन का प्रावधान

हरियाणा राज्य ग्रामीण जल नीति 2012 में बाहरवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अंत तक अर्थात् वर्ष 2017 तक 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को व्यक्तिगत घरेलू मीटर कनेक्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

अभिलेखों<sup>9</sup> की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि विभाग मीटर रीडिंग के अनुसार बिलिंग के बजाय फ्लैट रेट के आधार पर (दिनांक 03 अप्रैल 2017 की अधिसूचना<sup>10</sup> का पालन करते हुए जिसके अनुसार सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों तथा अनुसूचित जाति श्रेणी के लाभार्थियों के लिए टैरिफ प्रभार क्रमशः ₹ 40 प्रति माह तथा ₹ 20 प्रति माह उन गांवों में निर्धारित हैं, जो किसी भी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं) जल प्रभार वसूल कर रहा है। इस प्रकार, विभाग मीटर कनेक्शन के अंतर्गत 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को कवर करने के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा।

<sup>8</sup> एक क्यूसेक से कम के हेड डिस्चार्ज के साथ मुख्य नहर अथवा डिस्ट्रीब्यूट्री से निकलने वाला चैनल।

<sup>9</sup> जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

<sup>10</sup> अधिसूचना, मीटर वाली आपूर्ति के लिए प्रति किलोलीटर की दर तथा बिना मीटर वाली आपूर्ति के लिए फ्लैट दर के साथ उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी से एकत्र किए जाने वाले जल प्रभार का विवरण प्रदान करती है।

#### 4.5.1 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

हुडा (अब इसका नाम बदलकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया है) ने अधिसूचना (19 अप्रैल 2017) के माध्यम से स्पष्ट किया है कि बिना मीटर कनेक्शन वाले संस्थागत, औद्योगिक, व्यावसायिक आदि उपभोक्ताओं को कोई जल आपूर्ति सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी।

संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने अवलोकित कि घरेलू लाभार्थियों में 37 प्रतिशत बिना मीटर वाले और 0.7 प्रतिशत अवैध कनेक्शन पाए गए थे। इसी प्रकार, घरेलू लाभार्थियों के अलावा अन्य के मामले में 32 प्रतिशत बिना मीटर वाले और 1.4 प्रतिशत अवैध कनेक्शन पाए गए थे (परिशिष्ट 15)।

आज तक, इन बिना मीटर वाले और साथ ही अवैध कनेक्शन धारकों पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्राधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है (न ही कोई जुर्माना लगाया गया है)।

#### 4.5.2 शहरी स्थानीय निकाय विभाग

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2018) कि यदि पानी का मीटर कार्य नहीं कर रहा है तो इसे बिना मीटर वाला कनेक्शन माना जाएगा और उपयोगकर्ताओं से प्लाट के आकार के आधार पर फ्लैट दर से प्रभार लिया जाएगा। तथापि, भविष्य में संस्थागत/व्यावसायिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बिना मीटर वाले जल आपूर्ति कनेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। मौजूदा जल आपूर्ति के लिए भी, आदेश की तिथि से तीन महीने की अवधि में बिना मीटर वाले कनेक्शनों को निवासियों द्वारा मीटर वाले कनेक्शनों में परिवर्तित करवाना होगा अन्यथा बिल प्रभारों की दर न्यूनतम ₹ 2,000 प्रति माह होगी।

नगर निगम मंडलों<sup>11</sup> में घरेलू लाभार्थियों में 53 प्रतिशत बिना मीटर वाले तथा 22 प्रतिशत अवैध कनेक्शन पाए गए थे। इसी प्रकार, घरेलू लाभार्थियों के अलावा अन्य लाभार्थियों के मामले में 41 प्रतिशत बिना मीटर वाले और 18 प्रतिशत अवैध कनेक्शन पाए गए थे जैसा कि तालिका 4.6 में विवरण दिए गए हैं।

तालिका 4.6: नगर निगमों में जल कनेक्शन के विवरण

| जिले का नाम | कुल उपभोक्ता | घरेलू लाभार्थी      |                   |                        |              | घरेलू लाभार्थी के अलावा |                   |                        |              |
|-------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
|             |              | कनेक्शनों की संख्या | मीटर वाले कनेक्शन | बिना मीटर वाले कनेक्शन | अवैध कनेक्शन | कनेक्शनों की संख्या     | मीटर वाले कनेक्शन | बिना मीटर वाले कनेक्शन | अवैध कनेक्शन |
| फरीदाबाद    | 1,91,711     | 1,34,625            | 27,598            | 1,07,027               | 49,932       | 5,629                   | 2,277             | 3,352                  | 1,525        |
| करनाल       | 38,671       | 37,516              | 27,070            | 10,446                 | 0            | 1,155                   | 1,064             | 91                     | 0            |
| कुल         | 2,30,382     | 1,72,141            | 54,668            | 1,17,473               | 49,932       | 6,784                   | 3,341             | 3,443                  | 1,525        |

<sup>11</sup> नगर निगम-फरीदाबाद और करनाल। आंकड़े संबंधित नगर निगम द्वारा प्रदान किए गए हैं और दोनों नगर निगमों द्वारा प्रदान किए गए डेटा में मेल नहीं है क्योंकि कुल उपभोक्ताओं की संख्या कनेक्शन की कुल संख्या (घरेलू के साथ-साथ घरेलू लाभार्थी के अलावा अन्य) से मेल नहीं खाती है।

आज तक, इन बिना मीटर वाले तथा अवैध कनेक्शन धारकों पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है (न ही कोई जुर्माना लगाया गया है)।

#### 4.5.3 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

घरेलू लाभार्थियों के अलावा अन्य (संस्थागत, व्यावसायिक, औद्योगिक आदि) बिना मीटर वाले कनेक्शनों से संबंधित जानकारी नहीं दी गई थी।

#### 4.6 जल लेखापरीक्षा का आयोजन

केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) के संचालन और रखरखाव मैनुअल (अध्याय-15) के अनुसार, जल आपूर्ति योजनाओं की जल लेखापरीक्षा को प्राधिकरण द्वारा उत्पादित कुल जल की क्षमता के आकलन तथा प्राधिकरण के पूरे सर्विस क्षेत्र में वितरित पानी की वास्तविक मात्रा, जिससे नुकसान का अनुमान लगाया जा सके, के रूप में परिभाषित किया गया है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि दोनों विभागों अर्थात् हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा शहरी स्थानीय निकायों ने मैनुअल में उल्लेखित अनुसार जल लेखापरीक्षा संचालित नहीं की थी। पानी की उपलब्धता की गणना करके और उपभोक्ताओं को आगे वितरण करके अनुमानित पानी के नुकसान का पता लगाने के लिए इन विभागों द्वारा कभी भी ऐसा कोई अभ्यास नहीं किया गया था। जल लेखापरीक्षा के अभाव में पानी के नुकसान का आकलन संभव नहीं है, जो चिंता का विषय है।

#### 4.7 वितरण प्रणाली में लीकेज के कारण गैर-राजस्व जल का उत्पादन

ग्रामीण जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव मैनुअल का अध्याय-15, जल के लिए गैर-राजस्व जल/अलेखित जल (एनआरडब्ल्यू/यूएफडब्ल्यू) को उत्पादित जल की मात्रा और बिल किए गए या हिसाब में लिए गए जल की मात्रा के बीच अंतर के लिए प्रयुक्त की जाने वाली अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है।

गैर-राजस्व जल/गैर-लेखांकित जल = उत्पादित पानी की मात्रा - बिल किए गए पानी की मात्रा/लेखांकित जल

सतही जल आपूर्ति योजनाओं में सिंचाई विभाग किसी विशेष स्थान पर आउटलेट की स्वीकृति देता है। इस आउटलेट से, प्राकृतिक जल को इनलेट चैनल के माध्यम से ले जाया जाता है और अंततः निवासियों को आगे की आपूर्ति के लिए जल भंडारण एवं अवसादन टैंक में संग्रहित किया जाता है। प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 2016-21 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि सिंचाई विभाग से प्राकृतिक जल की उपलब्धता की मात्रा निर्धारित करने के लिए उत्पादन बिंदुओं पर बल्क फ्लो मीटर स्थापित नहीं किए गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी के मीटर नहीं लगे थे। मीटरिंग प्रणाली के अभाव में, विभाग के पास प्राकृतिक जल की कुल उपलब्धता एवं उपभोक्ताओं को वितरित कुल जल के आंकड़े नहीं थे।

इसी प्रकार, नलकूप आधारित आपूर्ति में, नलकूपों से लिए गए पानी की सही मात्रा (निवासियों को आगे की आपूर्ति के लिए) जानने के लिए ऐसा कोई मीटरिंग तंत्र उपलब्ध नहीं था। आपूर्ति किए गए पानी की उचित मीटरिंग के अभाव में लेखापरीक्षा वितरण प्रणाली में पानी की वास्तविक हानि का पता नहीं लगा सकी।

लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने बताया (दिसंबर 2021) कि आपूर्ति किए गए प्राकृतिक जल की मात्रा को मापने के उपकरण के रूप में आउटलेट के आकार का उपयोग किया गया था। इसी प्रकार, नलकूप आधारित आपूर्ति के मामले में, लिए गए पानी की मात्रा को वास्तविक पम्पिंग घंटों एवं पम्पिंग सेट की क्षमता पर विचार करके मापा गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बताया गए तथ्य किसी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे। यह भी देखा गया था कि स्थापित पम्पिंग सेटों की लॉग बुक उन स्थानों पर नहीं रखी गई थी, जहां इस प्रयोजन के लिए संविदा पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था।

इस प्रकार, विभाग के पास आपूर्ति के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा (या तो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग<sup>12</sup> से प्राप्त अथवा नलकूपों से भूजल को पंप करके) के साथ-साथ उपभोक्ता को वास्तव में आपूर्ति किए जा रहे पानी की मात्रा का आकलन करने के लिए कोई ठोस तंत्र नहीं था।

विभाग ने (जून 2022) लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमत होते हुए बताया कि एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी और अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ताकि प्रत्येक योजना के लिए फ्लो के मापन का एक अंतर्निहित तंत्र बनाए रखा जा सके, जो प्रभावी जल प्रबंधन में लाभकारी होगा।

**लाभार्थी सर्वेक्षण:** 564 लाभार्थियों में से 118 (21 प्रतिशत) ने पानी के लीकेज की शिकायत की जबकि 564 लाभार्थियों में से 211 (37 प्रतिशत) ने पानी के कम प्रवाह की शिकायत की।

#### 4.8 पम्पिंग मशीनरी की हिस्ट्री शीट से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव न करना

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित (मई 2013) ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए संचालन एवं रखरखाव मैनुअल का पैरा 11.3, पम्पिंग मशीनरी के रखरखाव के बारे में विवरण प्रदान करता है। पैरा 11.3.2 के अनुसार, पंप और मोटर की एक हिस्ट्री शीट रखी जानी चाहिए जिसमें इसकी विशिष्टताओं, स्थापना/चालू होने की तिथि, आवधिक रखरखाव के अभिलेख, मरम्मत, निरीक्षण और परीक्षण का उल्लेख हो।

अभिलेखों<sup>13</sup> की संवीक्षा में पाया गया कि मंडलीय कार्यालयों द्वारा पंपों एवं मोटरों से संबंधित ऐसा कोई अभिलेख नहीं रखा गया था। पंपों एवं मोटरों के रखरखाव से संबंधित अभिलेख के अभाव में लेखापरीक्षा मशीनरी के संचालन एवं रखरखाव की क्षमता का पता नहीं लगा सकी।

<sup>12</sup> सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।

<sup>13</sup> जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल: रेवाड़ी, फतेहाबाद, कोसली, टोहाना, बावल, फरीदाबाद, नंबर 1 और 2: रोहतक।

### निष्कर्ष

23 स्थानों पर, जहां फ्लो मीटर का उपयोग करके जल आपूर्ति की मात्रा की जांच की गई, लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) के अनुसार जल आपूर्ति मानकों से कम पाई गई। यह देखा गया था कि नमूना-जांच किए गए 604 मामलों में से 72 मामलों में सिंचाई विभाग द्वारा प्राकृतिक जल का डिस्चार्ज वास्तविक आवश्यकता से कम था, जबकि 604 मामलों में से 63 मामलों में भंडारण एवं अवसादन टैंकों की भंडारण क्षमता वास्तविक आवश्यकता से कम पाई गई थी। विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैट रेट पर जल प्रभार वसूल कर रहा है जो हरियाणा राज्य ग्रामीण जल नीति 2012 के प्रावधानों के विरुद्ध था। शहरी क्षेत्र में, 3.16 लाख कनेक्शनों में से 48 प्रतिशत बिना मीटर वाले थे। पम्पिंग मशीनरी की हिस्ट्री से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित नहीं पाए गए थे।

### सिफारिशें

उपर्युक्त लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए:

4. जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए आवधिक मूल्यांकन अर्ध-वार्षिक/वार्षिक रिटर्न तैयार करके किया जाना चाहिए।
5. प्रभावी जल प्रबंधन के लिए मीटरिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि कीमती पानी के रिसाव/बर्बादी को रोका जा सके और बिना मीटर वाले और अवैध कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सके।
6. वितरण के लिए कुल जल उपलब्धता का आकलन करने के लिए, विभाग को स्रोत/वाटर वर्क्स पर वास्तविक समय आधारित डेटा/आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आधारित डेटा को कैचर करने का विकल्प तलाशना चाहिए ताकि किसी भी समय और किसी भी स्तर पर उचित निगरानी की जा सके।

## अध्याय-V

आपूर्ति किए गए पानी की  
खराब गुणवत्ता



## अध्याय-V

### आपूर्ति किए गए पानी की खराब गुणवत्ता

कुछ चुनिंदा स्थानों पर पानी की गुणवत्ता अनुमेय सीमा से अधिक कोलीफॉर्म और भौतिक एवं रासायनिक मापदंडों की उपस्थिति के कारण प्रभावित पाई गई। राज्य, जिला एवं उप-मंडल प्रयोगशालाओं में मैनपावर की कमी थी। परिणामस्वरूप, चयनित जिलों की जिला/उप-मंडल प्रयोगशालाओं में पानी के नमूने के परीक्षण में कमी देखी गई। लेखापरीक्षा, परीक्षण के दौरान अनुपयुक्त पाए गए नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पता नहीं लगा सकी क्योंकि इस प्रयोजन के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कोई अभिलेख नहीं रखा गया था। प्रयोगशालाओं (राज्य, जिला/उप-मंडल) की कार्यप्रणाली में कमियां देखी गई थीं। यूरेनियम संदूषण के परीक्षण के लिए कोई सुविधा नहीं थी और राज्य में भारी धातुओं के परीक्षण के लिए केवल एक सुविधा मौजूद थी। फील्ड परीक्षण किटों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि न तो किटों की खरीद एवं वितरण से संबंधित अभिलेख रखा गया था और न ही फील्ड परीक्षण किटों का उपयोग करके अयोग्य नमूनों को आगे की जांच के लिए नजदीकी प्रयोगशालाओं में भेजा गया था।

मंत्रालय द्वारा जारी (फरवरी 2013 एवं मार्च 2019 में संशोधित) समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल (यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी) राज्यों में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करके पेयजल गुणवत्ता की निगरानी के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। इन प्रयोगशालाओं के पैरामीटरों को बुनियादी ढांचे, मैनपावर एवं जल गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं के संदर्भ में भी निर्दिष्ट किया गया है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि प्रयोगशालाएं अर्थात् राज्य प्रयोगशाला, जिला प्रयोगशालाएं और उप-मंडल प्रयोगशालाएं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में थीं। पानी की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी अन्य संस्थाओं अर्थात् शहरी स्थानीय निकाय विभाग एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में कोई प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा/बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन मैनुअल के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पानी के नमूनों के परीक्षण के लक्ष्यों को निर्धारित न करने के साथ-साथ उनकी प्राप्ति नहीं हुई जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाया गया है।

#### 5.1 आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता का आकलन

शहरी क्षेत्रों में नहर आधारित योजनाओं पर जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) स्थापित किए गए थे। शहरी क्षेत्रों के मामले में, जहां नलकूप आधारित आपूर्ति अस्तित्व में है, उपभोक्ताओं को पानी की आपूर्ति से पहले क्लोरीनीकरण के माध्यम से कीटाणुशोधन किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में 108<sup>1</sup> जल उपचार संयंत्र हैं। आठ चयनित जिलों में से

<sup>1</sup> जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-87, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-18 और शहरी स्थानीय निकाय-3.

छः<sup>2</sup> में, हालांकि 38 जल उपचार संयंत्र स्थापित किए गए थे, लेखापरीक्षा ने आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता में कमियां देखीं, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए विभागीय प्रतिनिधियों के सहयोग से उपभोक्ता की ओर से 25 स्थानों<sup>3</sup> पर संयुक्त नमूनाकरण (परीक्षण हेतु एकत्रित पानी का नमूना) किया गया था।

आगे, पानी के नमूनों के विभिन्न मापदंडों<sup>4</sup> के परिणामों की दुतरफा जांच करने के लिए, पानी के नमूने का एक सेट करनाल में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया था तथा उसी नमूने का दूसरा सेट विश्लेषण के लिए श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान<sup>5</sup>, नई दिल्ली को भेजा गया था। दोनों प्रयोगशालाओं में बैक्टीरियोलॉजिकल विश्लेषण (अवशिष्ट क्लोरीन की उपस्थिति सहित) एवं विभिन्न मापदंडों का भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण किया गया था।

**लेखापरीक्षा ने पानी के नमूने एकत्र करने एवं विभिन्न साइटों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान निम्नलिखित अवलोकित किया था:**

- 1. क्लोरीनीकरण:** यह देखा गया था कि 12 स्थानों (चयनित 25 स्थानों में से) में पानी के नमूनों में क्लोरीनीकरण नहीं पाया गया था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के केमिस्टों द्वारा ऑर्थोटोलिडाइन (ओटी) किट का उपयोग करके साइट पर क्लोरीनीकरण परीक्षण किया गया था। 11 स्थानों पर क्लोरीनीकरण निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया था (0.2 पार्ट्स प्रति मिलियन (पीपीएम) की अपेक्षित मात्रा के विरुद्ध तीन पार्ट्स प्रति मिलियन (पीपीएम) का अधिकतम मूल्य) तथा दो स्थानों<sup>6</sup> पर क्लोरीनीकरण अनुमेय सीमा के मध्य पाया गया था। तथापि, जब इन 25 नमूनों का श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान में विश्लेषण किया गया, तो दो नमूनों में क्लोरीन अनुमेय सीमा से थोड़ा अधिक पाया गया तथा बाकी 23 नमूनों में क्लोरीनीकरण का पता नहीं चल पाया था।
- 2. सभी 25 स्थानों पर यह पाया गया था कि क्लोरीन की मात्रा से संबंधित कोई अभिलेख नहीं रखा गया था। इसकी अनुपस्थिति में, यह आकलन किया जाता है कि जल पंप आपरेटरों/कनिष्ठ अभियंताओं ने क्लोरीनीकरण के लिए उचित मात्रा (डोसिंग) के बारे में लापरवाही बरती थी।**

<sup>2</sup> करनाल: 1, फतेहाबाद: 5, हिसार: 12, पंचकुला: 4, रेवाड़ी: 2 और रोहतक: 14.

<sup>3</sup> जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-13, शहरी स्थानीय निकाय-8 और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-4.

<sup>4</sup> यूरेनियम मापदंडों का विश्लेषण केवल पांच स्थानों पर किया गया है।

<sup>5</sup> इस कार्यालय द्वारा किराए पर ली गई थर्ड पार्टी प्रयोगशाला।

<sup>6</sup> 1. कल्वा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-कुरुक्षेत्र); 2. खलेता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-बावल, रेवाड़ी)।

3. **स्वच्छता:** 25 स्थानों में से सात स्थानों पर स्वच्छ पानी के टैंक (सीडब्ल्यूटी)/ओवर हेड सर्विस जलाशय (ओएचएसआर) उपयोग में थे तथा तीन स्थानों पर स्वच्छ पानी के टैंकों/ ओवर हेड सर्विस जलाशयों की स्वच्छता की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, (कटेसरा में स्वच्छ पानी के टैंक के अंदर शैवाल थी, साहू में स्वच्छ पानी के टैंक में मेंढक, कबरेल में स्वच्छ पानी के टैंक बिना ढक्कन के थे), खिजुरी में भंडारण एवं अवसादन टैंक में सरकंडा की वृद्धि थी जैसा कि नीचे दिए गए चित्र से स्पष्ट है:



#### 5.1.1 दोनों प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किए गए पानी के नमूनों के परिणाम:

1. **बैक्टीरियोलॉजिकल विश्लेषण:** पानी के नमूने के बैक्टीरियोलॉजिकल विश्लेषण में, कोलीफॉर्म की उपस्थिति पुष्टि करती है कि पानी पीने योग्य नहीं था। यह अवलोकित किया गया था कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण के अनुसार, 25 नमूनों में से 19 नमूनों (76 प्रतिशत पानी के नमूने) में कोलीफॉर्म (*परिशिष्ट 16*) की उपस्थिति पाई गई थी। तथापि, श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान प्रयोगशाला में विश्लेषण के अनुसार, कोलीफॉर्म केवल पाँच नमूनों (20 प्रतिशत पानी के नमूने) में पाया गया था। इस प्रकार, आपूर्ति किया गया पानी, पीने योग्य नहीं पाया गया था क्योंकि इसमें कोलीफॉर्म की उपस्थिति का पता चला था (*परिशिष्ट 16*)।

2. **भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण:** भौतिक और रासायनिक मापदंडों के संबंध में, परीक्षण रिपोर्ट/परिणाम इंगित करते हैं कि नगर निगम, फरीदाबाद में स्थिति उत्साहजनक नहीं थी। नगर निगम, फरीदाबाद में कुल आठ स्थानों का चयन किया गया था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण के अनुसार सात स्थानों पर विभिन्न मापदंड (जैसा कि **परिशिष्ट 17** में वर्णित है) अनुमेय सीमा से अधिक पाए गए थे। यहां तक कि श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान प्रयोगशाला के विश्लेषण में पांच स्थानों के संबंध में विभिन्न मापदंडों की सीमा अनुमेय सीमा से अधिक थी।

आगे, निरंतरता के लिए, लेखापरीक्षा ने दोनों प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गए सामान्य मापदंडों<sup>7</sup> के परिणामों के बीच तुलना की थी। कुछ सामान्य मापदंडों के परिणाम **परिशिष्ट 18** में दिए गए हैं। पानी के नमूनों के परीक्षण के परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि विभाग निवासियों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहा।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2016-21 के दौरान जल जनित रोगों के 2,901 मामले और इन मामलों से संबंधित 14 मृत्यु दर्ज की गई। 2016-21 के दौरान आठ चयनित जिलों में से चार<sup>8</sup> (करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद और पंचकुला) में जल जनित रोगों के 1,382 मामले और इन मामलों के विरुद्ध 12 मृत्यु के मामले देखे गए। उल्लेखनीय है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहर आधारित जल आपूर्ति पर इन जिलों में 10 डब्ल्यूटीपी (करनाल-1, फतेहाबाद-5 और पंचकुला 4 डब्ल्यूटीपी) स्थापित किए गए थे और इन जिलों में शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नलकूप/रेनीवेल आधारित जल आपूर्ति के लिए क्लोरीनीकरण किया जा रहा था।

**लाभार्थी सर्वेक्षण:** 564 लाभार्थियों<sup>9</sup> में से 50 (नौ प्रतिशत) ने खराब गुणवत्ता वाले पानी की शिकायत की। इन 50 लाभार्थियों में से 44 लाभार्थी फरीदाबाद जिले के थे।

## 5.2 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न प्रयोगशालाओं में जांच किए गए पानी के नमूनों का विश्लेषण

समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल, 2019 के पैरा 4.1 के अनुसार जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं, जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग की रीढ़ हैं। सुरक्षित पेयजल के प्रावधान के लिए जल की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए राज्य के भीतर एक मजबूत अच्छी तरह से स्थित और

<sup>7</sup> रंग, गंध, पीएच, गंदगी, कुल घुलित ठोस, कुल कठोरता, कैल्शियम, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयरन, मैंगनीशियम मैंगनीज, नाइट्रेट, सल्फेट, कुल क्षारीयता, जिंक, लीड, कुल आर्सेनिक, अवशिष्ट क्लोरीन तथा कुल कोलीफॉर्म।

<sup>8</sup> फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला।

<sup>9</sup> कंप्यूटर सहायित लेखापरीक्षा तकनीक के माध्यम से चयनित फ्लो मीटर की स्थापना के लिए पहले से ही चयनित 58 स्थानों में से यादृच्छिक रूप से चयनित 20 स्थानों से लाभार्थियों का चयन किया गया है।

अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशाला नेटवर्क की आवश्यकता है। वर्ष 2016-21 के लिए जल नमूना रिपोर्टों (परिशिष्ट 19) के संबंध में लेखापरीक्षा विश्लेषण इस प्रकार है:

- वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, भौतिक और रासायनिक परीक्षण के लिए अनुपयुक्त पाए गए नमूने 0.12 प्रतिशत से 25.57 प्रतिशत के मध्य थे।
- वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण के लिए अनुपयुक्त पाए गए नमूने 0.17 प्रतिशत से 14.50 प्रतिशत के मध्य थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चार<sup>10</sup> चयनित जिलों में विभिन्न जल जनित रोगों के 1,382 मामले और 12 मौत के मामले देखे गए।
- कालका, असंध, इन्द्री तथा हांसी उप-मंडल जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के संबंध में भौतिक एवं रासायनिक परीक्षण की कोई सुविधा नहीं थी।

चयनित जिलों में, कुल आठ जिला प्रयोगशालाएं और सात उप-मंडल प्रयोगशालाएं थीं। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए 3000 जल नमूनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विभिन्न जिला/उप-मंडल प्रयोगशालाओं द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में कमियां तालिका 5.1 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 5.1: जिला/उप-मंडल प्रयोगशाला में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

| वर्ष                        | 2016-17  |       | 2017-18  |       | 2018-19  |       | 2019-20  |       | 2020-21  |       |
|-----------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|                             | प्राप्ति | कमी   |
| उप-मंडल प्रयोगशाला, हांसी   | 2,832    | 168   | 2,626    | 374   | 1,791    | 1,209 | 2,267    | 733   | 3,595    | 0     |
| उप-मंडल प्रयोगशाला, असंध    | 1,898    | 1,102 | 3,018    | 0     | 2,581    | 419   | 2,378    | 622   | 1,920    | 1,080 |
| उप-मंडल प्रयोगशाला, इन्द्री | 0        | 3,000 | 509      | 2,491 | 1,378    | 1,622 | 1,460    | 1,540 | 1,621    | 1,379 |
| उप-मंडल प्रयोगशाला, कोसली   | 3,203    | 0     | 3,007    | 0     | 2,978    | 22    | 1,253    | 1,747 | 3,098    | 0     |
| जिला प्रयोगशाला, रेवाड़ी    | 4,200    | 0     | 3,340    | 0     | 3,000    | 0     | 1,968    | 1,032 | 2,796    | 204   |
| जिला प्रयोगशाला, फरीदाबाद   | 3,012    | 0     | 3,933    | 0     | 3,126    | 0     | 2,958    | 42    | 3,196    | 0     |
| जिला प्रयोगशाला, फतेहाबाद   | 3,285    | 0     | 3,868    | 0     | 3,454    | 0     | 2,832    | 168   | 3,345    | 0     |
| उप-मंडल प्रयोगशाला, पेहवा   | 4,353    | 0     | 3,774    | 0     | 3,628    | 0     | 3,598    | 0     | 2,761    | 239   |

2020-21 के दौरान, 2019-20 की तुलना में जिला/उप-मंडल प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति में सुधार हुआ था। 2019-20 में आठ जिला/उप-मंडल प्रयोगशालाओं में से सात की तुलना में आठ जिला/उप-मंडल प्रयोगशालाओं में से चार (50 प्रतिशत) द्वारा निर्धारित मानदंडों के नीचे परीक्षण किया गया था।

### 5.3 विफल नमूनों की पुनःजांच के लिए तंत्र का अभाव

चयनित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडलों में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विफल नमूनों/अनुपयुक्त पाए गए नमूनों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अभिलेखों के रखरखाव की कोई प्रथा नहीं थी। मंडल कार्यालयों द्वारा पानी के नमूनों की जांच के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2016 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान कुल

<sup>10</sup> फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला।

2,64,025 पानी के नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 18,104 नमूने (6.86 प्रतिशत) अनुपयुक्त पाए गए थे। विवरण **तालिका 5.2** में दिए गए हैं:

**तालिका 5.2: 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए जांच किए गए नमूनों की कुल संख्या**

| वर्ष       | परीक्षण किए गए कुल नमूने | उपयुक्त नमूने   | अनुपयुक्त नमूने | अनुपयुक्त नमूनों की प्रतिशतता |
|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 2016-17    | 51,637                   | 48,291          | 3,346           | 6.48                          |
| 2017-18    | 60,601                   | 57,394          | 3,207           | 5.29                          |
| 2018-19    | 54,430                   | 51,093          | 3,337           | 6.13                          |
| 2019-20    | 47,422                   | 43,694          | 3,728           | 7.86                          |
| 2020-21    | 49,935                   | 45,449          | 4,486           | 8.98                          |
| <b>कुल</b> | <b>2,64,025</b>          | <b>2,45,921</b> | <b>18,104</b>   | <b>6.86</b>                   |

लेखापरीक्षा ने अनुपयुक्त नमूनों पर विभाग की अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में पूछताछ की (अगस्त 2021 से मई 2022), मंडल प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल रहे। विफल नमूने पर की गई कार्रवाई से संबंधित अभिलेख के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि जहां पानी के नमूने अनुपयुक्त पाए गए थे, वहां के निवासियों के लिए सुरक्षित और पीने योग्य पानी सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई की गई थी या नहीं।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), विभाग/संस्थाओं ने आश्वासन दिया कि पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

#### 5.4 योजनाओं को शुरू करने से पहले स्रोत का परीक्षण

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) (अनुरूपता आकलन), विनियम 2018 की योजना IV के अंतर्गत आईएस 10500:2012 के अनुसार पेयजल के प्रमाणन के लिए निरीक्षण एवं परीक्षण योजना की क्लॉज 6.0 के अनुसार, पेयजल के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले स्रोत जल का प्रारंभिक रूप से ऑर्गेनोलेप्टिक और भौतिक मापदंडों, रासायनिक आवश्यकता और घर में परीक्षण की जाने वाली सभी सूक्ष्म जैविक आवश्यकताओं के लिए परीक्षण किया जाएगा। आगे क्लॉज 6.3 के अनुसार, जब भी स्रोत के पानी में परिवर्तन होता है या प्राकृतिक जल के नए स्रोत को जोड़ा जाता है, तो इसकी सूचना बीआईएस को दी जाएगी। नए स्रोत से एकत्र किए गए प्राकृतिक जल का क्लॉज 6 के अनुसार परीक्षण किया जाएगा और ऐसे स्रोत के पानी से उत्पादित उपचारित पानी का नियमित उत्पादन शुरू करने से पहले आईएस 10500 के अनुरूप परीक्षण किया जाएगा। उसी के अंकन और अभिलेख को बनाए रखा जाना चाहिए।

अभिलेखों<sup>11</sup> की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय/नगर निगमों के मंडल कार्यालयों के अंतर्गत निवासियों को पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए विभिन्न नलकूप आधारित योजनाएं चल रही थीं। लेकिन हरियाणा राज्य में इस तरह की कोई प्रथा प्रचलित

<sup>11</sup> कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल (फतेहाबाद, फरीदाबाद, नंबर 1 एवं नंबर 2, करनाल, कुरुक्षेत्र); हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मंडल-फरीदाबाद, रोहतक, रेवाड़ी, करनाल; नगर निगम फरीदाबाद और करनाल।

नहीं थी क्योंकि सभी संबंधित विभाग/इकाइयां पूर्वोक्त विनियम 2018 के अनुसार प्राकृतिक जल के स्रोत या नए स्रोत के परिवर्तन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को अनुरोध के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहीं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मामले में, केवल उन पैरामीटरों के लिए नियमित परीक्षण किया जा रहा था जिनके लिए स्थानीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध थीं जबकि अन्य विभागों अर्थात् हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय विभाग/एमसी नियमित परीक्षण भी नहीं कर रहे हैं। एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2022) के दौरान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि चालू करने से पहले सभी स्रोतों का परीक्षण किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फील्ड विजिट के दौरान मंडल कार्यालयों द्वारा अभिलेख/समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

## 5.5 प्रयोगशाला अवसंरचना

केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन मैनुअल के पैरा 9.8.3 में बताया गया है कि जल गुणवत्ता प्रयोगशाला जल गुणवत्ता निगरानी का मुख्य आधार है। जल गुणवत्ता के संबंध में जल उपयोगिता सेवाओं की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम कर्मचारियों के साथ एक अच्छी तरह से स्थित और अच्छी तरह से सुसज्जित विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला बहुत आवश्यक है।

हरियाणा राज्य में 43<sup>12</sup> जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के अलावा एक मोबाइल जल परीक्षण वैन है। प्रयोगशालाओं के भौतिक सत्यापन (अगस्त 2021 से मई 2022) के दौरान विभिन्न कमियां पाई गईं जो निम्नानुसार हैं:

### 5.5.1 समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल 2019 के अनुसार प्रयोगशालाओं के कार्यचालन में कमी

#### (i) राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला

समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल 2019 का अध्याय 5 चीफ केमिस्ट की अध्यक्षता वाली राज्य जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के कार्यचालन का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल 2019 के अध्याय 8 में चीफ केमिस्ट की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां दी गई हैं। वह राज्य में स्थापित पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के समग्र प्रभारी हैं। राज्य प्रयोगशाला के भौतिक सत्यापन के दौरान (मई 2022) यह देखा गया था कि इन कार्यों के क्रियान्वयन की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया था। देखी गई कमियों का विवरण **तालिका 5.3** में दिया गया है:

<sup>12</sup> राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला, करनाल-1, जोनल स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला, सिरसा-1, जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला-20 एवं ब्लॉक/उप-मंडल जल परीक्षण प्रयोगशाला-21.

तालिका 5.3: राज्य प्रयोगशाला में परिकल्पित कार्यों की तुलना में प्रचलित कार्य

| क्र.सं. | क्या परिकल्पित किया गया था  | क्या प्रचलित है   |
|---------|---|---|
| 1.      | विशिष्ट या नई/उभरती जल गुणवत्ता समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए एक संदर्भ संस्थान के रूप में कार्य करना  | किसी भी विभागीय/अन्तर्विभागीय प्रयोगशाला से कोई संदर्भित नमूना प्राप्त नहीं हुआ।  |
| 2.      | राज्य और जिला वार्षिक कार्य योजना तैयार करना, नए उभरते प्रदूषकों की पहचान करना, आवश्यक सामान/उपकरण और राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) में अनुमोदन।   | राज्य प्रयोगशाला एक नियमित जिला प्रयोगशाला की तरह कार्य कर रही थी जिसमें प्रभावी डब्ल्यूक्यूएमएंडएस के लिए कार्य योजना तैयार करने में कोई भागीदारी नहीं थी।   |
| 3.      | जिला, उप-मंडल/ब्लॉक/मोबाइल प्रयोगशालाओं के निष्पादन को मॉनीटर करना और इन प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता आश्वासन एवं गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूए एंड क्यूसी) सुनिश्चित करना।   | अन्य प्रयोगशालाओं के निष्पादन को मॉनीटर करने के लिए कोई प्रथा प्रचलित नहीं थी जो गुणवत्ता आश्वासन एवं गुणवत्ता नियंत्रण को निर्देशित करने और सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यों में से एक थी।  |
| 4.      | "आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025:2017" के अनुसार प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) का उपयोग करके सभी सामान/उपकरणों का उचित एएमसी/सीएएमसी/कैलिब्रेशन सुनिश्चित करना।   | एएमसी/सीएएमसी केवल दो उपकरणों अर्थात् परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अर्थात् एएस (भारी धातुओं के परीक्षण के लिए) और जीसी-एमएस/एमएस (कीटनाशक अवशेषों के परीक्षण के लिए) के संबंध में किया गया था। जबकि प्रोटोकॉल सभी उपकरणों के लिए एएमसी/सीएएमसी करने पर जोर देता है। शेष हरियाणा में, संबंधित प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सामान/उपकरणों के संबंध में कोई एएमसी/सीएएमसी नहीं किया गया था। |
| 5.      | जिला, उप-मंडल/ब्लॉक/मोबाइल प्रयोगशालाओं के सकारात्मक परीक्षण वाले नमूनों सहित राज्य प्रयोगशालाओं के लक्षित नमूनों का विश्लेषण करना।   | जिला/उप-मंडल प्रयोगशालाओं ने कभी भी सकारात्मक नमूनों को राज्य प्रयोगशाला को संदर्भित नहीं किया था। राज्य प्रयोगशाला ने भी संबंधित प्रयोगशालाओं से सकारात्मक पाए गए नमूनों को संदर्भित करने के लिए कभी नहीं कहा था।  |
| 6.      | जल गुणवत्ता परीक्षण और मॉनीटरिंग से संबंधित दस्तावेज/नियमावली तैयार करना।   | राज्य प्रयोगशाला में ऐसी कोई प्रथा प्रचलित नहीं थी।   |
| 7.      | सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए डेटा विश्लेषण और अनुवर्ती सुधारात्मक कार्रवाई।   | राज्य प्रयोगशाला में ऐसी कोई प्रथा प्रचलित नहीं थी।   |
| 8.      | राज्य में अन्य विभागों की समान प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय करना और विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षण परिणामों के प्रति सत्यापन के लिए एक तंत्र स्थापित करना।  | ऐसा कोई समन्वय कभी नहीं बनाया गया था  |
| 9.      | फील्ड टेस्ट किट, स्वच्छता निगरानी का उपयोग करके ग्राम पंचायतों (जीपी)/वीडब्ल्यूएससी द्वारा किए गए परिणामों का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करना और जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी में समुदाय को मजबूत करना। | फील्ड टेस्ट किट, सैनिटरी सर्विलांस का उपयोग करके ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी द्वारा परीक्षण किए गए नमूनों के संबंध में राज्य प्रयोगशाला द्वारा कोई मॉनीटरिंग नहीं की गई थी। करनाल में जिला सलाहकार और चीफ केमिस्ट, राज्य प्रयोगशाला में भी जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी में समुदाय को मजबूत करने के लिए एक-दूसरे के साथ कोई समन्वय नहीं था।                                    |
| 10.     | रेडियोधर्मी और वायरोलॉजिकल मापदंडों की मॉनीटरिंग के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं/एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के साथ नेटवर्किंग और समन्वय।                                  | हरियाणा में कुछ स्थानों पर सीजीडब्ल्यूबी द्वारा अपनी रिपोर्ट (2020) में यूरेनियम संदूषण की उपस्थिति को इंगित किए जाने के बावजूद राज्य प्रयोगशाला ने रेडियोधर्मी और वायरोलॉजिकल मापदंडों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं के साथ कोई पत्राचार नहीं किया था।   |

| क्र.सं. | क्या परिकल्पित किया गया था   | क्या प्रचलित है   |
|---------|--|---|
| 11.     | समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल, 2019 के पैरा 9.1 में बताया गया है कि राज्य स्तरीय प्रयोगशाला को स्थानीय महत्व के विशिष्ट मापदंडों जैसे कीटनाशकों, विषाक्त पदार्थों, सूक्ष्मजीवविज्ञानी और विषाणु संबंधी मापदंडों, पॉली एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच), पॉली क्लोरीनयुक्त बाइफिनाइल्स (पीसीबी) और ट्राई क्लोरो मीथेन (टीसीएम) आदि जैसे कीटाणुशोधन उत्पादों के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। | विशिष्ट मापदंडों के संबंध में, राज्य प्रयोगशाला ने केवल कीटनाशक अवशेषों का परीक्षण शुरू किया था और वह भी वर्ष 2022 से और प्रोटोकॉल में उल्लिखित अन्य विशिष्ट मापदंडों में से किसी का भी परीक्षण नहीं किया गया था। |
| 12.     | समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल, 2019 के पैरा 7.2 में बताया गया है कि सभी स्तरों पर प्रयोगशाला का निष्पादन संबंधित इंजीनियरों और प्रयोगशाला कर्मियों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में मूल्यांकन के कारकों में से एक होना चाहिए।   | प्रयोगशालाओं का निष्पादन संबंधित केमिस्टों और इंजीनियरों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में मूल्यांकन का हिस्सा नहीं था।   |

यदि विभाग ने प्रयोगशालाओं के निष्पादन को संबंधित इंजीनियरों और प्रयोगशाला कर्मियों (प्रोटोकॉल में परिभाषित) की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के मूल्यांकन के मानदंड के रूप में माना होता तो संबंधित इंजीनियरों और चीफ केमिस्ट ने प्रयोगशाला के कार्यचालन पर विशेष ध्यान दिया होता। ऐसे मानदंड के अभाव में, राज्य प्रयोगशाला ऐसे कार्य नहीं कर रही थी जिन्हें समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल, 2019 के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

### (ii) जिला एवं उप-मंडल जल परीक्षण प्रयोगशाला

समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल 2019 का अध्याय 5 जिला और उप-मंडल जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के कार्यचालन का विवरण देता है। जिला प्रयोगशाला की अध्यक्षता केमिस्ट द्वारा की जाती है और उप-मंडल प्रयोगशाला की अध्यक्षता जूनियर केमिस्ट द्वारा की जाती है। जिले के कार्यकारी अभियंता और जिला प्रयोगशाला के केमिस्ट अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयोगशालाओं के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। जल गुणवत्ता परीक्षण, जल स्रोतों की मॉनीटरिंग एवं निगरानी के अलावा इन प्रयोगशालाओं का कार्य मॉनीटरिंग एवं निगरानी की गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना है।

चयनित सात<sup>13</sup> जिला स्तरीय एवं सात<sup>14</sup> उप-मंडल प्रयोगशालाओं की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि:

- इन प्रयोगशालाओं में चयनित पैरामीटरों, जिनमें परीक्षण सुविधा उपलब्ध थी, का केवल नियमित परीक्षण किया जा रहा था और जल परीक्षण के परिणाम संबंधित उप-मंडल अभियंताओं को भेजे गए थे।
- सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जिला परिषद एवं ग्राम पंचायत को परिणामों की सूचना देने की विभाग में कोई प्रथा प्रचलित नहीं थी।

<sup>13</sup> जिला प्रयोगशाला- हिसार, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, फतेहाबाद, रोहतक, फरीदाबाद और पंचकुला।

<sup>14</sup> उप-मंडल प्रयोगशाला- असंध, इन्द्री, हांसी, कोसली, कालका, पेहोवा और टोहाना।

इन प्रयोगशालाओं की उपलब्ध आधारभूत संरचना की तथ्यात्मक स्थिति के साथ-साथ कार्यप्रणाली का आकलन करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई कमियों को **तालिका 5.4 (क)** और **5.4 (ख)** में दर्शाया गया है:

**तालिका 5.4 (क): जिला प्रयोगशालाओं की आधारभूत संरचना की स्थिति**

| जिला प्रयोगशाला/श्रेणी   | फतेहाबाद   | फरीदाबाद  | पंचकुला  | रेवाड़ी                                       |
|--|--|---|--|---|
| 1. खाली जगह<br>2. भंडारण की सुविधा<br>3. उपकरण/किट   | 1. कोई सैंपल कलेक्शन रूम नहीं था क्योंकि बिल शाखा प्रयोगशाला के स्टोर रूम में चल रही थी।<br>2. ₹ 0.50 लाख की राशि का एक लेमिनार फ्लो <sup>15</sup> अक्टूबर 2020 (खरीद की तिथि) से अप्रयुक्त पड़ा हुआ था और आर्सेनिक फील्ड टेस्टिंग किटों-500 अप्रयुक्त पाया गया था।<br>3. फरवरी 2021 (खरीद की तिथि) से ₹ 6.25 लाख की राशि का एक बैक्टीरियोलॉजिकल उपकरण परित्यक्त पड़ा हुआ था।<br>4. ₹ 0.28 लाख की राशि की ई. कोली/कोलीफॉर्म टेस्ट किट (25 टेस्ट) इस्तेमाल किए बिना ही एकसपायर हो गई। | नेफेलोमीटर (टुरबिडमीटर) और बैक्टीरियोलॉजिकल इनक्यूबेटर कार्य करने की स्थिति में नहीं थे | बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण के लिए कोई जगह नहीं।<br>ग्लासवेयर/उपकरण/रसायन के भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। | बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण के लिए कोई जगह नहीं। |
| * जिला जल परीक्षण प्रयोगशाला, फतेहाबाद (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल) की एनएबीएल मान्यता दिनांक 08 मई 2022 से निलंबित कर दी गई है। |  |   |  |   |

**तालिका 5.4 (ख): उप-मंडल प्रयोगशालाओं की आधारभूत संरचना की स्थिति**

| उप-मंडल प्रयोगशाला/श्रेणी   | इंदी  | हांसी                               | कोसली   | टोहाना   |
|---|---|-------------------------------------|---|--|
| 1. एनएबीएल मान्यता<br>2. जगह<br>3. भंडारण की सुविधा<br>4. उपकरण/किट | 1. एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।<br>2. जगह यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी, 2019 के अनुसार नहीं है।<br>3. कम्प्यूटर, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। | 1. एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं है। | 1. जगह यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी, 2019 के अनुसार नहीं है। | 1. एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।<br>2. एक कमरे में डब्ल्यूएसएसओ का कब्जा है।<br>3. अलग-अलग विशिष्टताओं के लिए आपूर्ति किया गया एक वोल्टास रेफ्रिजरेटर (570 लीटर) फरवरी 2022 से अप्रयुक्त पड़ा हुआ था। |

**(iii) प्रयोगशाला भवनों का पूरा न होना**

अभिलेखों<sup>16</sup> की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि पंचकुला, कालका और हांसी में प्रयोगशाला भवनों के उन्नयन का सिविल कार्य पूरा हो गया था (अप्रैल 2019-मार्च 2020) लेकिन इन्हें चालू नहीं किया जा सका (मार्च 2022)। विवरण **तालिका 5.5** में दिए गए हैं:

<sup>15</sup> लेमिनार फ्लो एक संलग्न बेंच है जिसे दूषित पदार्थों से रहित कार्य क्षेत्र को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

<sup>16</sup> कार्यकारी अभियंता, हांसी तथा पंचकुला।

तालिका 5.5: विभिन्न प्रयोगशाला भवनों की स्थिति

| प्रयोगशाला का नाम         | स्थिति   |
|---------------------------|--|
| जिला प्रयोगशाला, पंचकुला  | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रयोगशाला भवन के उन्नयन का सिविल कार्य अप्रैल 2019 में पूरा कर लिया गया था, लेकिन फरवरी 2021 में आबंटित शेष कार्य (सीढ़ियों का निर्माण, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, पेंटिंग) आज तक (मार्च 2022) पूरा नहीं किया गया था।</li> <li>प्रयोगशाला पुराने भवन में चल रही थी।</li> </ul>   |
| उप-मंडल प्रयोगशाला, कालका | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रयोगशाला भवन के उन्नयन का सिविल कार्य अप्रैल 2019 में पूर्ण कर लिया गया था।</li> <li>आधारभूत संरचना की स्थापना न होने के कारण उपमंडल प्रयोगशाला भौतिक एवं रासायनिक परीक्षण करने के लिए क्रियाशील नहीं थी तथा प्रयोगशाला पुराने भवन में चल रही थी।</li> </ul>  |
| उप-मंडल प्रयोगशाला, हांसी | <ul style="list-style-type: none"> <li>"प्रयोगशाला के नवीनीकरण और उन्नयन" और "एसी, पंखा, सोलर लाइटिंग आदि की आपूर्ति और फिक्सिंग" के कार्यों को मार्च 2020 में आबंटित किया गया था और इन कार्यों को जून 2020 तक पूरा किया जाना था।</li> <li>भवन निर्माण का कार्य वास्तविक रूप से पूरा हो गया था लेकिन जुलाई 2022 तक एसी, पंखा, सोलर लाइटिंग, अग्निशामक यंत्र, मॉड्यूलर प्रयोगशाला फर्नीचर आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं स्थापित नहीं की गई थीं। कार्य में प्रयोगशाला की निर्धारित तिथि से 14 महीने से अधिक की देरी हुई थी।</li> <li>प्रयोगशाला का कार्य एक कमरे से संचालित होता है और समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत कमरे में कोई उचित बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं था।</li> </ul> |

### 5.6 समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल के मापदंडों के अनुसार पानी के नमूने का परीक्षण न करना

समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल के अनुसार, राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला में 73 मापदंडों के परीक्षण की क्षमता और सुविधाएं होनी चाहिए, जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला में 32 मापदंडों के परीक्षण की क्षमता और सुविधाएं होनी चाहिए और उप-मंडल/ब्लॉक स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला में 19 मापदंडों के परीक्षण की क्षमता और सुविधाएं होनी चाहिए। आगे, पेयजल और स्वच्छता विभाग, भारत सरकार ने भी विभिन्न स्तर की प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (दिसंबर 2021)।

चयनित जिला और उप-मंडल प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि प्रयोगशालाएं समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल के अनुसार मानकों का परीक्षण नहीं कर रही थीं जैसा कि नीचे तालिका 5.6 में वर्णित है:

तालिका 5.6: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न प्रयोगशालाओं में जांच किए गए मापदंडों के विवरण

| प्रयोगशाला   | स्थान       | यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी के अनुसार मानदंडों के मानक | अप्रैल-मई 2022 तक परीक्षण किए गए मापदंडों (भौतिक और रासायनिक) की संख्या | कमी | एनएबीएल मान्यता प्राप्त पैरामीटर की संख्या |
|--------------|-------------|--|---|-----|--|
| राज्य स्तरीय | करनाल       | 73   | 43  | 30  | 15   |
| जिला स्तरीय  | हिसार       | 32   | 15  | 17  | 06   |
|              | कुरुक्षेत्र |  | 12  | 20  | 09   |
|              | पंचकुला     |  | 15  | 17  | 07   |
|              | फतेहाबाद    |  | 11  | 21  | 06   |
|              | रेवाड़ी     |  | 15  | 17  | 15   |
|              | फरीदाबाद    |  | 11  | 21  | 11   |
|              | रोहतक       |  | 11  | 21  | 07   |

| प्रयोगशाला | स्थान  | यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी के अनुसार मानदंडों के मानक | अप्रैल-मई 2022 तक परीक्षण किए गए मापदंडों (भौतिक और रासायनिक) की संख्या | कमी | एनएबीएल मान्यता प्राप्त पैरामीटर की संख्या |
|------------|--------|--|---|-----|--|
| उप-मंडल    | असंध   | 19   | 00  | 19  | --   |
|            | इंद्री |  | 00  | 19  | --   |
|            | हांसी  |  | 00  | 19  | --   |
|            | पेहोवा |  | 15  | 04  | 11   |
|            | कालका  |  | 00  | 19  | --   |
|            | टोहाना |  | 15  | 04  | --   |
|            | कोसली  |  | 15  | 04  | 11   |

उपर्युक्त तालिका से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परीक्षण किए गए मापदंडों की संख्या के संबंध में कमी थी और सभी मापदंडों के लिए एनएबीएल प्रत्यायन की मांग नहीं की गई थी। यह निवासियों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए निगरानी तंत्र और सरकारी निर्देश की अभाव का सूचक है।

### 5.7 जल नमूनाकरण के संबंध में लक्ष्यों का निर्धारण न करना

केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के मैनुअल के पैरा 15.3.4 में पानी के नमूने के परीक्षण की बारंबारता के बारे में विवरण दिए गए हैं। कम से कम हर तीन महीने में जहरीले पदार्थों की जांच के लिए प्राकृतिक और उपचारित पानी दोनों के नमूने एकत्र करना आवश्यक है। बैक्टीरियोलॉजिकल नमूनाकरण के लिए, समग्र मूल्यांकन को सक्षम करने के लिए प्रत्येक अवसर पर विभिन्न बिंदुओं से नमूने लिए जाने चाहिए। वितरण प्रणाली से एकत्र किए जाने वाले नमूनों की न्यूनतम संख्या **तालिका 5.7** में दी गई है:

तालिका 5.7: शहरी क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता के परीक्षण के मानक

| जनसंख्या जिसे सेवा दी गई | लगातार नमूनाकरण के बीच अधिकतम अंतराल | संपूर्ण वितरण प्रणाली से लिए जाने वाले नमूनों की न्यूनतम संख्या |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| 20,000 तक                | एक माह                               | प्रति 5,000 जनसंख्या पर प्रति माह एक नमूना                      |
| 20,000-50,000            | दो सप्ताह                            |   |
| 50,001-1,00,000          | चार दिन                              |   |
| 1,00,000 से अधिक         | एक दिन                               | प्रति 10,000 जनसंख्या पर प्रति माह एक नमूना                     |

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि विभागों अर्थात् जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (नियमित जल परीक्षण किया जा रहा है) और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से संबंधित जनसंख्या पर सुलभ डेटा नहीं था जिससे लक्ष्यों के निर्धारण में बाधा उत्पन्न हुई। अतः, लक्ष्यों का निर्धारण बिना किसी वैज्ञानिक विश्लेषण के संचालन और परीक्षण करने के लिए मंडल अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग में स्थिति उत्साहजनक नहीं थी क्योंकि चयनित कार्यालयों<sup>17</sup> में संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने नमूना परीक्षण के लिए

<sup>17</sup> नगर निगम, करनाल तथा फरीदाबाद।

लक्ष्यों के निर्धारण के संबंध में किसी तंत्र का पालन नहीं किया था। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के मैनुअल में प्रावधानों के बावजूद न तो उच्च स्तर पर कोई निर्देश जारी किया गया था और न ही विभाग द्वारा परीक्षण किए गए थे। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कितने परीक्षण किए गए थे, इसका प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध कराने में विभाग विफल रहा। अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा चयनित मंडलों/कार्यालयों द्वारा आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता के पहलू पर टिप्पणी नहीं कर सकी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चयनित मंडलों में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मंडल कार्यालय कोई लक्ष्य निर्धारित किए बिना परीक्षण कर रहे थे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मंडल कार्यालयों द्वारा 2016-21 के दौरान अन्य विभाग/ निजी प्रयोगशालाओं की विभिन्न प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों के विस्तृत विवरण **तालिका 5.8** में दिए गए हैं।

**तालिका 5.8: 2016-21 के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चयनित मंडलों द्वारा परीक्षण किए गए पानी के नमूनों के विवरण**

| इकाई का नाम                                  | केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन मैनुअल के अनुसार मानक (प्रति 10,000 जनसंख्या पर प्रति माह एक नमूना) | वाटर वर्क्स के अंतर्गत परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या | अनुपयुक्त नमूना |
|--|---|--|-----------------|
| <b>नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग</b>            |   |  |                 |
| हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-I, पंचकुला      | 2,711   | 2,638  | 0               |
| हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-II, पंचकुला     | 1,314   | 427  | 14              |
| हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, करनाल          | 975   | 2,371  | 0               |
| हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, कलाका, रेवाड़ी | 477   | 270  | 0               |
| हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-I, फरीदाबाद     | 470   | 11   | 0               |
| हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-III, फरीदाबाद   | 87  | 5  | 0               |
| हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-I, हिसार        | 1,200   | 3  | 0               |
| हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-II, हिसार       | 600   | 29   | 0               |
| <b>कुल</b>                                   | <b>7,834</b>  | <b>5,754</b>   | <b>14</b>       |

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि चयनित मंडल कार्यालयों ने 7,834 जल परीक्षणों की आवश्यकता के विरुद्ध 5,754 जल परीक्षण किए थे। मानक/आवश्यकता के विरुद्ध 26 प्रतिशत की कमी थी।

### 5.8 प्रयोगशाला में मैनपावर की कमी

समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल 2019 उप-मंडल/ब्लॉक स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के लिए सुझावात्मक स्टाफिंग पैटर्न प्रदान करता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रयोगशाला कर्मियों की स्वीकृत संख्या की जानकारी नहीं दी गई थी। समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल मानकों (करनाल में राज्य स्तरीय प्रयोगशाला; जिला प्रयोगशालाओं और उप-मंडल प्रयोगशालाओं) का उपयोग करते हुए लेखापरीक्षा के दौरान राज्य प्रयोगशाला, जिला प्रयोगशालाओं और उप-विभागीय प्रयोगशालाओं में मैनपावर की कमी का आकलन किया गया था। राज्य जल परीक्षण प्रयोगशाला, करनाल के

संबंध में मैनापावर की कमी, विभिन्न श्रेणी के पदों के अंतर्गत 67 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच रही जो **तालिका 5.9** में दर्शाई गई है।

**तालिका 5.9: राज्य जल परीक्षण प्रयोगशाला, करनाल में कर्मचारियों की स्थिति**

| क्र. सं. | पद का नाम                                       | यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी के अनुसार | करनाल राज्य प्रयोगशाला   |     | कमी की प्रतिशतता |
|----------|---|-------------------------------|--------------------------|-----|------------------|
|          |   |                               | वास्तविक स्थिति          | कमी |                  |
| 1        | चीफ केमिस्ट/मुख्य जल विश्लेषक                   | 1                             | 1                        | 0   | -                |
| 2        | वरिष्ठ केमिस्ट/<br>वरिष्ठ जल विश्लेषक           | 1                             | 0                        | 1   | 100              |
| 3        | केमिस्ट/जल विश्लेषक                             | 2                             | 0                        | 2   | 100              |
| 4        | माइक्रोबायोलॉजिस्ट/बैक्टीरियोलॉजिस्ट            | 1                             | 0                        | 1   | 100              |
| 5        | प्रयोगशाला सहायक                                | 3                             | 1                        | 2   | 67               |
| 6        | लैब अटेंडेंट                                    | 2                             | 0                        | 2   | 100              |
| 7        | डेटा एंट्री ऑपरेटर                              | 2                             | 1<br>(आरएमई स्टाफ तैनात) | 2   | 100              |
| 8        | फील्ड सहायक (कार्य/आवश्यकता आधारित फील्ड स्टाफ) | 2                             | 0                        | 2   | 100              |

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि मैनापावर की कमी जिला प्रयोगशालाओं के संबंध में 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच थी और उप-मंडल प्रयोगशालाओं के संबंध में यह 100 प्रतिशत तक थी (**परिशिष्ट 20**)।

2016-2021 के दौरान प्रयोगशालाओं में अपेक्षित और तैनात कर्मचारियों (संविदात्मक कर्मचारियों सहित) से संबंधित डेटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

- राज्य प्रयोगशाला में वर्ष 2016-2021 के दौरान 14 की आवश्यकता के विरुद्ध औसतन 10 पद रिक्त रहे।
- वर्ष 2016-21 के दौरान चयनित सात जिला प्रयोगशालाओं में प्रत्येक जिला प्रयोगशाला में आठ पदों की आवश्यकता के विरुद्ध दो से छः के बीच पद रिक्त रहे।
- वर्ष 2016-21 के दौरान चयनित सात उप-मंडल प्रयोगशालाओं में प्रत्येक अनुमंडलीय प्रयोगशाला में छः पदों की आवश्यकता के विरुद्ध एक से पांच के बीच पद रिक्त रहे।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2016-21 के दौरान, सभी प्रयोगशालाओं में पर्याप्त स्टाफ तैनात नहीं किया गया था।

इस प्रकार, कर्मचारियों की कमी प्रयोगशाला की गतिविधियों में बाधा डाल रही है जिसके परिणामस्वरूप जल नमूनाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है (अनुच्छेद 5.2) और कम संख्या में मानदंडों का परीक्षण किया जा रहा है (अनुच्छेद 5.6)।

## 5.9 फील्ड टेस्टिंग किटों (एफटीके) के उपयोग में कमियां

### 5.9.1 ₹ 0.78 लाख मूल्य की फील्ड टेस्टिंग किटों की खरीद पर विवेकहीन व्यय

समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल के पैरा 4.2 में बताया गया है कि भौतिक-रासायनिक संदूषण की जांच के लिए फील्ड टेस्टिंग किट न केवल संदूषण की प्रारंभिक जांच

के उद्देश्य को पूरा करती है बल्कि सुरक्षित पेयजल का उपभोग करने के लिए समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक प्रभावी उपकरण भी है। यह मल्टी पैरामीटर फील्ड टेस्ट किट 100 टेस्ट कर सकती है। बैक्टीरियोलॉजिकल जांच के लिए, एक साधारण उपस्थिति/अनुपस्थिति (पी/ए) जल परीक्षण किट भी उपलब्ध है जो पानी के नमूनों में कोलीफॉर्म की उपस्थिति/अनुपस्थिति को इंगित करती है।

अभिलेखों<sup>18</sup> की नमूना-जांच के दौरान, यह देखा गया था कि वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 0.78 लाख की लागत से 31 रासायनिक किटों (रेवाड़ी-8, रोहतक-23), जो 11 मापदंडों का परीक्षण करने में सक्षम थी, की खरीद की गई थी। यह पाया गया था कि मंडल कार्यालयों ने केवल एक से पांच पैरामीटरों (रेवाड़ी-दो पैरामीटर और रोहतक-एक से पाँच पैरामीटर) का परीक्षण किया जिसके कारण इन किटों का अविवेकपूर्ण उपयोग हुआ। विवरण तालिका 5.10 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 5.10: रासायनिक किटों (एटीके) से संबंधित जानकारी

| जिले का नाम | वर्ष    | खरीदे गए/खरीदे/प्राप्त किए गए रासायनिक किटों की संख्या | दर (प्रति किट) ₹ में | परीक्षण किए गए मापदंडों की संख्या | किया गया व्यय |
|-------------|---------|--|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| रेवाड़ी     | 2016-17 | कोई किट नहीं खरीदी गई                                  |                      |                                   |               |
|             | 2017-18 | कोई किट नहीं खरीदी गई                                  |                      |                                   |               |
|             | 2018-19 | कोई किट नहीं खरीदी गई                                  |                      |                                   |               |
|             | 2019-20 | 8  | 2,500                | 2 मापदंड                          | 20,000        |
|             | 2020-21 | कोई किट नहीं खरीदी गई                                  |                      |                                   |               |
| रोहतक       | 2016-17 | 13   | 2,500                | 1 से 5 मापदंडों                   | 57,500        |
|             | 2017-18 | 0  | -                    |                                   |               |
|             | 2018-19 | 5  | 2,500                |                                   |               |
|             | 2019-20 | 5  | 2,500                |                                   |               |
|             | 2020-21 | 0  | -                    |                                   |               |

आगे, यह देखा गया था कि अन्य मंडलों ने फील्ड टेस्टिंग किटों से खरीद, वितरण, नमूना परीक्षण से संबंधित अभिलेख का रखरखाव नहीं किया। लेखापरीक्षा जांच के जवाब में, जिला सलाहकार<sup>19</sup> फील्ड टेस्टिंग किटों के स्टॉक रजिस्टर को प्रस्तुत करने में विफल रहे जो डब्ल्यूएसएसओ कर्मचारियों द्वारा खरीदी और वितरित की गई थी। अभिलेख के अभाव में, मंडल कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सका।

पंजाब वित्तीय नियमों (पीएफआर) की अवहेलना करते हुए न तो मुख्यालय कार्यालय में नियंत्रण प्राधिकारियों और न ही मंडल अधिकारी ने कभी भी फील्ड टेस्टिंग किटों से संबंधित स्टॉक रजिस्टर की जांच की। यह निगरानी तंत्र की कमी का संकेतक था जिसके कारण फील्ड टेस्टिंग किटों की खरीद और वितरण के अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया।

<sup>18</sup> कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, (रेवाड़ी) और कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल-2, रोहतक।

<sup>19</sup> जागरूकता निर्माण (आईईसी) और प्रशिक्षण गतिविधियों (मानव संसाधन विकास) हेतु सहायता प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा डब्ल्यूएसएसओ स्टाफ के रूप में जिला सलाहकारों को कार्य पर रखा जाता है तथा राज्य सलाहकार की देखरेख में कार्य करते हैं और निदेशक (डब्ल्यूएसएसओ) द्वारा समग्र पर्यवेक्षण किया जाता है।

### 5.9.2 फील्ड टेस्टिंग किटों के माध्यम से पाए गए अनुपयुक्त नमूनों को नजदीकी प्रयोगशालाओं में न भेजना

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अध्याय 10 के अनुसार, पानी की गुणवत्ता निगरानी गतिविधियों में संदूषण की सीमा जानने के लिए जीपी स्तर पर फील्ड टेस्टिंग किटों का उपयोग शामिल है और पुष्टि के लिए सकारात्मक रूप से परीक्षण किए गए नमूनों को पास की जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में भेजना शामिल है।

चयनित मंडलों<sup>20</sup> में डब्ल्यूएसएसओ कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अभिलेख/विश्लेषण की जांच के दौरान, यह देखा गया था कि दिशानिर्देशों के विपरीत, फील्ड टेस्टिंग किटों के विफल नमूनों में से किसी को भी कभी भी नजदीकी प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया था।

### 5.9.3 एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) वेबसाइट पर फील्ड टेस्टिंग किटों के विस्तृत परीक्षण परिणाम अपलोड न करना

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, जल जीवन मिशन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल निम्नलिखित कैप्चर करेगा:

- आवृत्ति के अनुसार सभी स्तरों पर प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से जल गुणवत्ता निगरानी;
- परीक्षण की आवृत्ति के अनुसार सभी गांवों में फील्ड टेस्टिंग किटों के माध्यम से समुदाय द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी की जाती है।

अभिलेखों<sup>21</sup> की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान फील्ड टेस्टिंग किटों की परीक्षण रिपोर्ट का विवरण वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था। एक नियमित अभ्यास के रूप में, पोर्टल पर परिणामों को अपलोड किए बिना परीक्षण परिणामों को फ़ाइलों में अलग से रखा गया था। फील्ड टेस्टिंग किटों का उपयोग करके पता लगाए गए अनुपयुक्त नमूनों के परिणामों को पोर्टल पर अपलोड करने से विभाग को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संदूषण के स्रोत की पहचान करने में मदद मिल सकती थी। इस प्रकार, पोर्टल के माध्यम से जल गुणवत्ता निगरानी सुनिश्चित करने का परिकल्पित उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि न तो परिणाम अपलोड किए गए थे और न ही फील्ड टेस्टिंग किटों का उपयोग करके अनुपयुक्त पाए गए नमूनों को विस्तृत विश्लेषण के लिए नजदीकी प्रयोगशालाओं में भेजा गया था।

### 5.10 यूरेनियम की उपस्थिति का पता लगाने के लिए परीक्षण सुविधाओं की कमी और उन क्षेत्रों में भारी धातुओं के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण न करना जहां पानी की आपूर्ति जमीन आधारित है

#### यूरेनियम

"भारत में शैलो एक्विफर में यूरेनियम की उपस्थिति" पर केंद्रीय भूजल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की रिपोर्ट (जून 2020)

<sup>20</sup> रेवाड़ी, फतेहाबाद, रोहतक-2, करनाल-1, हिसार, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और फरीदाबाद।

<sup>21</sup> कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, फतेहाबाद, रेवाड़ी और नंबर 2: रोहतक, करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, फरीदाबाद।

के अनुसार 19.5 प्रतिशत नमूनों (कुल 450 नमूनों में से 88) का विश्लेषण किया गया था जहां हरियाणा राज्य में यूरेनियम की सघनता 30 पीपीबी<sup>22</sup> (विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित पेयजल के लिए अनुमेय सीमा) से अधिक पाई गई, जिसका अधिकतम 131.4 भाग प्रति बिलियन (हिसार जिले के साहू गांव में पाया गया) के रूप में देखा गया। भूजल में उच्च यूरेनियम से आंशिक रूप से प्रभावित होने वाले जिले थे - अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पलवल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुना नगर।

यह देखा गया था कि करनाल स्थित राजकीय प्रयोगशाला में यूरेनियम संदूषण के परीक्षण के लिए कोई परीक्षण सुविधा नहीं थी। जिन क्षेत्रों में नलकूप आधारित जल आपूर्ति चल रही थी, वहां भूजल में यूरेनियम की उपस्थिति की जांच के लिए अन्य प्रयोगशालाओं के साथ गठबंधन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल, 2019 इस बात पर जोर देता है कि राज्य प्रयोगशालाओं को रेडियोधर्मी और वायरोलॉजिकल मापदंडों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं/एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय करना चाहिए।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2022) कि उथले नलकूपों से निकाले गए पीने के पानी में यूरेनियम के संदूषण से उस खंड/क्षेत्र में गुर्दे की बीमारियां हो सकती थीं जो एक महामारी विज्ञान सर्वेक्षण के माध्यम से आसानी से पकड़ी जा सकती थीं लेकिन ऐसा कोई सबूत पूरे राज्य में कभी भी रिपोर्ट नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा का विचार है कि यूरेनियम संदूषण के संबंध में समय पर और उचित उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता थी ताकि दूषित भूमिगत जल के संपर्क में आने की संभावना को समय पर प्रतिबंधित किया जा सके क्योंकि नमूनाकरण अभ्यास के दौरान यादृच्छिक रूप से चयनित पांच में से तीन<sup>23</sup> स्थानों पर यूरेनियम की उपस्थिति (यद्यपि अनुमेय सीमा के भीतर) का पता लगाया गया है।

### भारी धातु

प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रत्येक भूजल स्रोत यानी नलकूप और झरने आधारित स्रोतों के लिए रासायनिक संदूषण के परीक्षण के लिए निर्देश जारी किए (दिसंबर 2017) और भूजल स्रोतों के नमूने राज्य जल परीक्षण प्रयोगशाला, करनाल को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किए गए। विफल नमूनों के लिए प्रत्येक परीक्षण रिपोर्ट की जांच संबंधित कार्यकारी अभियंता द्वारा की जानी अपेक्षित थी तथा प्राथमिकता के आधार पर उपचारात्मक उपाय किए जाने अपेक्षित थे। इस उद्देश्य के लिए, राज्य जल परीक्षण प्रयोगशाला, करनाल में परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (एएस) स्थापित किया गया था (अक्टूबर 2016), जिसमें पीने के पानी में भारी धातुओं की उपस्थिति का परीक्षण करने की क्षमता थी। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, यह देखा गया था कि 2835 गहरे नलकूप (2480-ग्रामीण, 355-शहरी) और 268 (244-ग्रामीण,

<sup>22</sup> भाग प्रति अरब।

<sup>23</sup> स्थान: थाना (कुरुक्षेत्र), मूंड (करनाल) और बल्लभगढ़।

24-शहरी) उथले नलकूप चयनित मंडलों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा द्वारा संचालित किए गए थे। चयनित मंडल कार्यालयों से राज्य प्रयोगशाला में प्राप्त नमूनों की वर्षवार संख्या एवं स्रोत के परीक्षण की प्रतिशतता नीचे **तालिका 5.11** में दर्शाई गई है:

**तालिका 5.11: राज्य प्रयोगशाला, करनाल में भारी धातुओं के लिए परीक्षण किए गए स्रोतों की वर्षवार संख्या**

| क्र. सं. | मंडल का नाम                                 | परीक्षण किए जाने वाले स्रोतों की कुल संख्या (मई 2022 तक) | 2017-18                  |  | 2018-19                  |  | 2019-20                  |  | 2020-21                  |  |
|----------|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
|          |   |  | प्राप्त नमूनों की संख्या | वास्तव में परीक्षण किए गए स्रोतों की आयु प्रतिशतता | प्राप्त नमूनों की संख्या | वास्तव में परीक्षण किए गए स्रोतों की आयु प्रतिशतता | प्राप्त नमूनों की संख्या | वास्तव में परीक्षण किए गए स्रोतों की आयु प्रतिशतता | प्राप्त नमूनों की संख्या | वास्तव में परीक्षण किए गए स्रोतों की आयु प्रतिशतता |
| 1        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, हांसी       | 44   | 30                       | 68   | 01                       | 2  | 0                        | 0  | 11                       | 25   |
| 23       | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, कुरुक्षेत्र | 789  | 154                      | 20   | 282                      | 36   | 12                       | 2  | 0                        | 0  |
| 3        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, पंचकुला     | 248  | 67                       | 27   | 159                      | 64   | 0                        | 0  | 0                        | 0  |
| 4        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, रेवाड़ी     | 104  | 0                        | 0  | 20                       | 19   | 0                        | 0  | 0                        | 0  |
| 5        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, बावल        | 287  | 25                       | 9  | 118                      | 41   | 0                        | 0  | 0                        | 0  |
| 6        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, कोसली       | 183  | 0                        | 0  | 0                        | 0  | 0                        | 0  | 0                        | 0  |
| 7        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, फतेहाबाद    | 85   | 11                       | 13   | 42                       | 49   | 15                       | 18   | 0                        | 0  |
| 8        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, टोहाना      | 145  | 22                       | 15   | 58                       | 40   | 58                       | 40   | 0                        | 0  |
| 9        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल 1, करनाल     | 393  | 601                      | 153  | 288                      | 73   | 406                      | 103  | 530                      | 135  |
| 10       | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल 2, करनाल     | 370  | 152                      | 41   | 314                      | 85   | 169                      | 46   | 607                      | 164  |
| 11       | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल 1, रोहतक     | 64   | 0                        | 0  | 0                        | 0  | 0                        | 0  | 0                        | 0  |
| 12       | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल 2, रोहतक     | 42   | 0                        | 0  | 0                        | 0  | 0                        | 0  | 0                        | 0  |
| 13       | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, फरीदाबाद    | 349  | 89                       | 26   | 40                       | 11   | 0                        | 0  | 35                       | 10   |
|          | <b>कुल</b>                                  | <b>3,103</b>   | <b>1,151</b>             | <b>37</b>  | <b>1,336</b>             | <b>43</b>  | <b>660</b>               | <b>21</b>  | <b>1,183</b>             | <b>38</b>  |

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2017-21 के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंडल-1, करनाल ने स्रोतों की संख्या से अधिक भारी धातुओं के लिए पानी के नमूनों का

परीक्षण किया था लेकिन इस संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं था जिससे यह पुष्टि हो सके कि सभी स्रोतों का वास्तव में परीक्षण किया गया था या नहीं। इसलिए, लेखापरीक्षा स्रोतों के 100 प्रतिशत कवरेज पर टिप्पणी नहीं कर सकती। जबकि 2017-21 के दौरान अन्य मंडलों के मामले में स्रोत परीक्षण की प्रतिशतता शून्य से 68 प्रतिशत के बीच थी। इस प्रकार, रासायनिक संदूषण के लिए सभी स्रोतों का परीक्षण करने के लिए उच्च प्राधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया गया क्योंकि मंडल कार्यालयों ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी स्रोतों के नमूने नहीं भेजे थे।

**5.11 सामुदायिक जल उपचार संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) की स्थापना न करने के परिणामस्वरूप निवासी पीने योग्य पानी से वंचित रहे**

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार, हरियाणा राज्य में 128 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां (अप्रैल 2017) थीं। इस संबंध में प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को सूचित (अप्रैल 2017) किया था कि इनमें से उपर्युक्त 128 बस्तियों में से 90 बस्तियों को विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत कवरेज के लिए लिया गया था और अभी भी 38 बस्तियां ऐसी थीं जिन्हें वैकल्पिक सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराने के लिए किसी भी परियोजना के अंतर्गत नहीं लिया गया था। प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को इन शेष 38 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के कवरेज के लिए जनवरी 2018 तक परियोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अभिलेखों/वेबसाइट (पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली) डेटा की संवीक्षा के दौरान (फरवरी 2022) यह देखा गया था कि विभाग ने 2016-17 से 2020-21 तक से लगातार जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों का पता लगाने के बावजूद चयनित जिलों में अंतरिम उपाय के रूप में कोई सीडब्ल्यूपीपी स्थापित नहीं किया था जैसा कि नीचे **तालिका 5.12** में दर्शाया गया है:

**तालिका 5.12: वर्षवार पता लगाई गई गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के विवरण**

| ज़िला   | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| हिसार   | --      | --      | 11      | 15      | 16      |
| रेवाड़ी | 36      | 25      | 0       | 2       | 19      |
| पंचकुला | --      | --      | --      | --      | 2       |

आगे यह देखा गया था कि उपर्युक्त जिलों की बस्तियां लगातार दो या अधिक वर्षों तक गुणवत्ता प्रभावित रहीं (**परिशिष्ट 21**)।

यह देखा गया था कि हिसार में जिले की आठ बस्तियां 2018-19 से 2020-21 तक लगातार गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां (फ्लोराइड और कुल घुलित ठोस) बनी रहीं। रेवाड़ी में वर्ष 2016-17 से 2017-18 की अवधि में लगातार दो वर्षों तक जिले की आठ बस्तियों को गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों (फ्लोराइड) के रूप में पाया गया। इसके अलावा पंचकुला में वर्ष

2020-21 और 2021-22 में रासायनिक परीक्षण के दौरान बलदवाल और डूंगा नामक दो बस्तियों को फ्लोराइड प्रभावित पाया गया।

विभाग ने इन बस्तियों में कोई सीडब्ल्यूपीपी स्थापित नहीं किया और निवासियों को गैर-पीने योग्य पानी का उपभोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परिमंडल, हिसार ने स्वीकार किया (दिसंबर 2021) कि नहर आधारित पानी की कमी के दौरान निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उथले नलकूप स्थापित किए गए थे। उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है।

### 5.12 नलकूप आधारित योजना को नहर आधारित योजना में बदलने में विलंब

अभिलेखों<sup>24</sup> की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि नलकूप आधारित जल आपूर्ति नौ बस्तियों/कालोनियों (*परिशिष्ट-22*) में उपलब्ध कराई गई थी, जहां भूजल में फ्लोराइड संदूषण<sup>25</sup> पाया गया था।

नलकूप आपूर्ति के इन नौ<sup>26</sup> स्थानों में से विभाग ने नलकूप आधारित जल आपूर्ति को चार<sup>27</sup> बस्तियों में नहर आधारित करने की योजना बनाई थी (2018-21)। इन चार बस्तियों में से केवल एक बस्ती का कार्य भौतिक रूप से 2021 में पूर्ण किया गया था तथा अन्य तीन कार्य अभी भी प्रगति पर थे (मई 2022)। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा कोई अंतरिम उपाय नहीं किए गए थे। ये बस्तियां गैर-पीने योग्य पानी का उपभोग करती रहीं, जैसा कि बिजली के मीटर बिल से स्पष्ट है कि नलकूप चालू हैं।

लेखापरीक्षा ने नलकूप आधारित आपूर्ति को नहर आधारित आपूर्ति में बदलने से संबंधित अन्य परियोजनाओं/योजनाओं में देरी देखी, विवरण *परिशिष्ट 23* में दर्शाए गए हैं।

### 5.13 ओवर हेड टैंकों (ओएचटी)/क्विलर वाटर टैंकों (सीडब्ल्यूटी) की नियमित सफाई नहीं की गई

केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन प्रचालन एवं रखरखाव मैनुअल के अनुसार, ओवर हेड टैंकों/जलाशयों को नियमित अंतराल पर (छ: महीने में कम से कम एक बार) साफ किया जाना है घोंघे और कीड़े की उपस्थिति को देखने के लिए जैविक विश्लेषण हेतु टैंक में जमा पानी और गाद/मिट्टी का नमूना एकत्र किया जाना है।

चयनित मंडलों<sup>28</sup> में यह देखा गया था कि मंडल स्तर पर ओवर हेड टैंकों/जलाशयों की आवधिक सफाई की पुष्टि के लिए अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था। यह मौजूदा

<sup>24</sup> कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, फतेहाबाद।

<sup>25</sup> स्रोत: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की प्रयोगशाला रिपोर्टें।

<sup>26</sup> 1. अजीत नगर, अहेरवां; 2. माजरा; 3. नूर की अहली; 4. दौलतपुर (बिजली खाता संख्या के अनुसार दो स्थापना); 5. ढाणी बिंजा लांबा; 6. हंसपुर; 7. चंदरवाल; 8. हंस कॉलोनी; 9. कैरन।

<sup>27</sup> 1. अहेरवां, 2. माजरा, 3. नूर की अहली और 4. दौलतपुर।

<sup>28</sup> कार्यकारी अभियंता (पीएचईडी, नंबर 1 एवं 2, रोहतक, फरीदाबाद, कोसली), कार्यकारी अभियंता (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नंबर 1 और 2, पंचकुला, रेवाड़ी, नंबर 1 और 3, फरीदाबाद), नगर निगम (करनाल)

निर्देशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने का संकेत देता है। अभिलेखों के अभाव में निवासियों को आपूर्ति किए जाने वाले जल की स्वच्छता का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।

### निष्कर्ष

कुछ चुनिंदा स्थानों पर पानी की गुणवत्ता अनुमेय सीमा से अधिक कोलीफॉर्म और भौतिक एवं रासायनिक मापदंडों की उपस्थिति के कारण प्रभावित पाई गई। राज्य, जिला एवं उप-मंडल प्रयोगशालाओं में मैनपावर की कमी थी। परिणामस्वरूप, चयनित जिलों की जिला/उप-मंडल प्रयोगशालाओं में पानी के नमूने के परीक्षण में कमी देखी गई। लेखापरीक्षा, परीक्षण के दौरान अनुपयुक्त पाए गए नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पता नहीं लगा सकी क्योंकि इस प्रयोजन के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कोई अभिलेख नहीं रखा गया था। समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल के विरुद्ध प्रयोगशालाओं (राज्य, जिला/उप-मंडल) की कार्यप्रणाली में कमियां देखी गई थीं। यूरेनियम संदूषण के परीक्षण के लिए कोई सुविधा नहीं थी और राज्य में भारी धातुओं के परीक्षण के लिए केवल एक सुविधा मौजूद थी। फील्ड परीक्षण किटों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि न तो किटों की खरीद एवं वितरण से संबंधित अभिलेख रखा गया था और न ही फील्ड परीक्षण किटों का उपयोग करके अयोग्य नमूनों को आगे की जांच के लिए नजदीकी प्रयोगशालाओं में भेजा गया था। कुछ गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में, सामुदायिक जल उपचार संयंत्र स्थापित नहीं किए गए थे और गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में भूजल आधारित योजना को नहर आधारित योजना में बदलने में विलंब देखे गए थे।

### सिफारिशें

उपर्युक्त लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि

7. विभाग को प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे को उन्नत करके और आवश्यकता के अनुसार मैनपावर को तैनात करके परीक्षण सुविधाओं में सुधार पर ध्यान देना चाहिए।
8. फील्ड-परीक्षण किट संदूषण की प्रारंभिक जांच के लिए एक महत्वपूर्ण पता लगाने वाला उपकरण है, विभाग को विवेकपूर्ण ढंग से और मौजूदा निर्देशों के अनुसार इसका उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
9. यूरेनियम और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा समय पर और उचित उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों के दूषित भूमिगत जल के संपर्क में आने की संभावना को रोका जा सके।
10. विभाग को गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में जल आपूर्ति परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि निवासियों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।



## **अध्याय-VI**

**स्थिरता पर कम जोर और  
अपर्याप्त निगरानी**



## अध्याय-VI

### स्थिरता पर कम जोर और अपर्याप्त निगरानी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत टिकाऊ संरचनाओं, वर्षा जल संचयन प्रणालियों, जल पुनर्भरण प्रणालियों के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य अप्राप्त रहे। भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए विभाग द्वारा प्रयासों में कमी थी। मॉनीटरिंग तंत्र कमजोर था क्योंकि जल आपूर्ति कार्यों को पूरा करने में देरी, उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव न होना पाया गया था।

#### 6.1 स्थिरता उपायों को तैयार/कार्यान्वित न करना

स्थिरता के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम दिशानिर्देश) के अंतर्गत पैरा 3 में बताया गया है कि पेयजल स्रोतों की स्थिरता भूजल, सतही जल और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के संचयन के संयुक्त उपयोग के माध्यम से संकट की अवधियों के दौरान भी सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करती है। इसे ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से जल संचयन प्रणालियों, जल पुनर्भरण प्रणालियों और सतही जल अवरोधन प्रणालियों जैसी टिकाऊ संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

अभिलेखों<sup>1</sup> की जांच के दौरान, यह पाया गया था कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने वाटर वर्क्स के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत जल संचयन प्रणालियों, जल पुनर्भरण प्रणालियों और सतही जल अवरोधन प्रणालियों आदि जैसी टिकाऊ संरचनाओं के निर्माण के लिए लक्ष्य<sup>2</sup> निर्धारित किए, जो अप्राप्त थे। विभाग ने कोई व्यय किए बिना सात कार्यों, जो ₹ 111.81 लाख की राशि के लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किए गए थे (मई 2015), को बंद कर दिया। कार्य बंद करने के कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा का विचार है कि पानी की स्थिरता हेतु टिकाऊ संरचना को शामिल किया जाना चाहिए तथा अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण द्वारा स्रोत पुनर्भरण के लिए वाटरशेड सिद्धांतों को अपनाने के अलावा विभाग द्वारा तदनुसार स्थिरता योजना बनाई जानी चाहिए।

#### 6.2 भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए विभागीय प्रयासों की कमी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम दिशानिर्देशों ने 12वीं योजना अवधि के दौरान भूजल पर निर्भरता में कमी तथा सतही जल स्रोतों में बदलाव और विभिन्न स्रोतों से पानी के संयुक्त उपयोग को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में समाधान हेतु पहचाना। इसका उद्देश्य भूजल निकासी के दबाव को कम करना और जल के पीने की योग्यता को सुनिश्चित करना था। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को सलाह दी (फरवरी 2016) कि वे सेवा

<sup>1</sup> प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।

<sup>2</sup> 2015-16: 3 और 2016-17: 10

वितरण की स्थिरता के हित में भूजल आधारित योजना को प्राथमिकता देने की बजाय अधिक से अधिक संख्या में सतही जल आधारित योजना शुरू करें। तथापि, यह अवलोकित किया गया था कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने नहरी जल आधारित योजनाओं की तुलना में अधिक भूजल आधारित योजनाएं शुरू करना जारी रखा। आगे, यह अवलोकित किया गया था कि 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, नई चालू नहर आधारित योजनाओं का नए चालू नलकूपों की संख्या से अनुपात लगातार घट रहा था। आगे, यह अवलोकित किया गया था कि 2018-19 से 2020-21 तक चालू की गई नई नहर आधारित योजनाओं की संख्या घटती रही। विवरण नीचे **तालिका 6.1** में दिए गए हैं:

**तालिका 6.1: पिछले पांच वर्षों के दौरान शुरू की गई नहर आधारित और नलकूप आधारित योजनाओं का विवरण**

| वर्ष       | नहर आधारित योजनाएं | स्थापित नलकूप | नलकूपों की तुलना में नहर आधारित वाटरवर्क्स की प्रतिशतता |
|------------|--------------------|---------------|---|
| 2016-17    | 34                 | 497           | 6.84  |
| 2017-18    | 28                 | 412           | 6.8   |
| 2018-19    | 35                 | 525           | 6.67  |
| 2019-20    | 24                 | 528           | 4.55  |
| 2020-21    | 13                 | 405           | 3.21  |
| <b>कुल</b> | <b>134</b>         | <b>2,367</b>  | <b>5.66</b>   |

उन क्षेत्रों, अर्थात् करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, फरीदाबाद (कुल आठ चयनित जिलों में से चार जिलों में) जहां पानी की आपूर्ति पूरी तरह से भूजल आधारित है, में विभाग ने उत्तर दिया (मई 2022) कि पिछले पांच वर्षों में कभी कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं खोजा गया था (करनाल, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद जिले)। पंचकुला मंडल कार्यालय ने अनुस्मारक जारी करने के बावजूद कोई उत्तर नहीं दिया। ब्लॉक-वार भूजल संसाधन मूल्यांकन 2020 (केंद्रीय भूजल बोर्ड की वेबसाइट पर जुलाई 2022 तक उपलब्ध) के अनुसार, इन चार जिलों में 16 अतिदोहित ब्लॉक थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2022), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि ज्यादातर जगहों पर भूजल मीठा था और लोगों ने भूजल आधारित योजनाओं को ही प्राथमिकता दी। आगे यह बताया गया था कि विस्तृत उत्तर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर दिसंबर 2022 तक प्रतीक्षित है।

### 6.3 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन न करना

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव पर केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल के पैरा 9.8.1 के अनुसार, सामुदायिक भागीदारी मॉनीटरिंग एवं निगरानी ढांचे का एक अनिवार्य घटक है।

शहरी स्थानीय निकाय और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार (अप्रैल-मई 2022) संस्थाओं द्वारा ऐसा कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था।

यद्यपि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि उसने विभिन्न सहायक गतिविधियां, जैसे ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के सदस्यों का प्रशिक्षण, मास मीडिया कार्यक्रम एवं गतिविधियां, स्कूलों में आईईसी, लक्षित नमूनाकरण आदि, करवाई हैं परंतु कार्यक्रम के आयोजन और समय का ऐसा कोई वार्षिक कैलेंडर विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। जब भी उक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे, विभाग फील्ड कार्यालयों को निर्देश जारी कर रहा था। इस प्रकार, विभाग अच्छी प्रथाओं और निगरानी गतिविधियों के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करने में विफल रहे।

#### 6.4 लोक परिवाद/शिकायतें

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग ने नागरिकों को जल आपूर्ति से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया था। तथापि, नागरिक अन्य प्लेटफार्मों जैसे सीएम विंडो, ट्विटर आदि पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभागों द्वारा प्राप्त एवं अटेंड की गई शिकायतों के विवरण **परिशिष्ट 24** में दर्शाए गए हैं।

यह अवलोकित किया गया था कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 24 तथा 72 घंटों के मध्य 20,451 शिकायतों (13 प्रतिशत) पर कार्रवाई की गई थी, 1,12,257 शिकायतों (71 प्रतिशत) पर 72 घंटों के बाद कार्रवाई की गई थी। विभाग इन शिकायतों के संबंध में प्रासंगिक/समर्थक अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा। अभिलेखों का रखरखाव न करने के कारण लेखापरीक्षा 2,403 उपेक्षित शिकायतों के कारणों/स्थिति का पता नहीं लगा सकी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में, यह अवलोकित किया गया था कि 1,898 शिकायतों (58 प्रतिशत) का समाधान 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर किया गया था और 141 शिकायतों (चार प्रतिशत) का समाधान 72 घंटे के बाद किया गया था। यह देखा गया था कि 141 शिकायतों पर तीन दिनों के बाद ध्यान देने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किए गए थे। पूर्ण विवरण दर्शाने वाला डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। पूर्ण विवरण के अभाव में, शिकायतों के समाधान में लगने वाले वास्तविक समय का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

नगर निगमों<sup>3</sup> (**परिशिष्ट 24**) में यह पाया गया कि सभी शिकायतों का समाधान 24 घंटे से 72 घंटे की समयावधि के अंदर किया गया दर्शाया गया था परंतु शिकायतों को समाधान करने के लिए मंडल कार्यालय द्वारा लिए गए वास्तविक समय का पता लगाने के लिए कोई अभिलेख नहीं रखा गया था।

<sup>3</sup> एमसी मंडल- फरीदाबाद और करनाल।

यद्यपि, शिकायतों का उनकी श्रेणी के आधार पर समाधान करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई थी, तथापि, विभागों/संस्थाओं के पास प्राप्त शिकायतों के वर्गीकरण के लिए कोई आधार/प्रणाली नहीं थी। शिकायतों के वर्गीकरण और प्रासंगिक अभिलेख के अभाव में, लेखापरीक्षा विभाग/संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए डेटा की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सकी।

**लाभार्थी सर्वेक्षण:** 685 लाभार्थियों में से केवल 66 (10 प्रतिशत) ने टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। 541 लाभार्थियों में से 96 (17 प्रतिशत) ने बताया कि उनकी शिकायतों का समाधान तीन या तीन दिनों से अधिक के अंतराल के बाद किया गया था। तीन लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि उनकी शिकायतों पर विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था।

### 6.5 जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस)

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के पैरा 10.1 के साथ पठित पैरा 4.5 के अनुसार ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/यूजर ग्रुप, आदि अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत फील्ड टेस्टिंग किटों का उपयोग करके निजी स्रोतों और स्वच्छता निरीक्षण<sup>4</sup> सहित 100 प्रतिशत पेयजल स्रोतों का परीक्षण सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम दिशानिर्देशों में फील्ड टेस्टिंग किटों द्वारा स्वच्छता निरीक्षण और जल स्रोतों के परीक्षण के प्रावधान का भी उल्लेख किया गया था।

प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में 2016-17 से 2020-21 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित अभ्युक्तियां पाई गईं:

- 1. स्वच्छता निरीक्षण:** 2016-21 के दौरान कोई स्वच्छता निरीक्षण नहीं किया गया था। स्वच्छता निरीक्षण न करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं रखा गया था।
- 2. सभी स्रोतों का गैर-कवरेज:** यह अवलोकित किया गया था कि स्रोत परीक्षण 10.84 प्रतिशत से 35.33 प्रतिशत के मध्य था (**परिशिष्ट 25**)। अतः, विभाग 100 प्रतिशत स्रोत परीक्षण के दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। इस प्रकार, प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

### 6.6 स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के कार्यों के पूर्ण होने में विलंब

हरियाणा सरकार ने जनगणना के अनुसार 10,000 या उससे अधिक की आबादी वाले गांवों के नियोजित विकास के लिए एक नई योजना "स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना" शुरू की (नवंबर 2015)। वित्त वर्ष 2018-19 से इस योजना के लिए बजट का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बजट में किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (डब्ल्यूएसएसबी) द्वारा लगभग 10,000 व्यक्तियों की आबादी वाले कुल 132 गांवों को शहरी क्षेत्र के समान जल आपूर्ति और सीवरेज सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई थी।

<sup>4</sup> स्वच्छता निरीक्षण, प्रणाली की भौतिक संरचना एवं संचालन और बाह्य पर्यावरणीय कारकों के मूल्यांकन के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानी संदूषण के वास्तविक एवं संभावित स्रोतों की पहचान करने के लिए जल आपूर्ति सुविधा का ऑन-साइट निरीक्षण है।


इस योजना के अंतर्गत चयनित गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल आपूर्ति प्रदान की जानी है। यह तीन फेज में किया जाना था।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दी गई जानकारी (अगस्त 2022) के अनुसार यह देखा गया था कि फेज-1 के 20 गांवों में से (31 मार्च 2021 की लक्ष्य पूर्णता तिथि) केवल दो गांवों (सोतई-फरीदाबाद, नाहरपुर-गुरुग्राम) में जल आपूर्ति एवं सीवरेज सुविधा प्रदान करने का कार्य पूरा किया गया था। फेज-1 के शेष 18 गांवों में से 16 गांवों में कार्य प्रगति पर था, एक गांव में अगस्त 2022 तक निविदाकरण का कार्य प्रगति पर था। एक गांव में यह घोषित किया गया था कि कार्य संभव नहीं था। यह गांवों को जल आपूर्ति के लाभों को पहुंचाने में विलंब को दर्शाता है।

### 6.7 कार्य के पूर्ण होने में विलंब

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 16.37.1 में बताया गया है कि टाइम ओवर रन के परिणामस्वरूप उच्च परियोजना लागत, संविदात्मक दावे, सुविधा के उपयोग में देरी और राजस्व की संभावित हानि हो सकती है। आगे पैरा 16.38.1 निर्धारित करता है कि उचित योजना, प्रतिबद्धता और सरलता से लागत वृद्धि को काफी हद तक टाला जा सकता है।

6.7.1 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के डेटा डंप से वर्ष 2016 से 2021 की अवधि से संबंधित चयनित जल आपूर्ति कार्यों (इन चयनित मंडलों में कुल 2,236 कार्यों का 10 प्रतिशत) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कार्यों/परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हुई थी। 221 चयनित कार्यों में से केवल 60 कार्य (27 प्रतिशत) समय पर पूर्ण किए गए थे। पूर्णता में विलंब एक माह से 37 माह के मध्य था जैसा कि **परिशिष्ट 26** में वर्णित है।



उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि कार्यों में विलंब हुआ जिसके कारण इन योजनाओं का वास्तविक लाभ इन क्षेत्रों के निवासियों को हस्तांतरित नहीं हो सका।

6.7.2 2016-2021 की अवधि के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय के मंडलों में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि 17 कार्य/परियोजनाओं (परिशिष्ट 27 एवं 28) को पूरा करने में देरी हुई थी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यों में देरी मुख्य रूप से साइट के गलत चयन, पाइपों की अनुपलब्धता आदि के कारण हुई, जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगमों में, पाइप लाइन बिछाने के लिए स्पष्ट भूमि की अनुपलब्धता, भुगतानों के मामले, संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त न करने, सामग्री की आपूर्ति में देरी आदि के कारण कार्यों में देरी हुई। इस प्रकार, कार्य पूरा करने में देरी अकुशल योजना का संकेत है और परियोजनाओं/कार्य को समय पर पूरा करने के लिए मॉनीटरिंग तंत्र की कमी है, जिससे जनता को परिकल्पित लाभ नहीं मिल पाता है।

### 6.8 शहरी स्थानीय निकायों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) का अभाव

सूचना प्रबंधन प्रणाली को प्रबंधन को सटीक, सामयिक, पर्याप्त और प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने की एक औपचारिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके तथा संगठन को विशिष्ट कार्य को प्रभावी ढंग से और कुशलता से संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप करने में सक्षम बनाया जा सके। जहां तक जल आपूर्ति प्रणाली का संबंध है, प्रणाली का निष्पादन लिकेज को कम और नियंत्रित करने, प्रवाह एवं दबाव का माप करने और जल आपूर्ति प्रणाली की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है। प्रसंस्करण के लिए अधीनस्थ कार्यालयों से एमआईएस पर डेटा उत्पन्न करने की जिम्मेदारी परिचालन प्रबंधन की है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) के अनुसार, इस संबंध में सूचना प्रणाली विकसित करना आवश्यक है। यह अवलोकित किया गया था कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अपनी विभागीय वेबसाइट पर विभिन्न माइयूएल पर डाटा रखा था।

तथापि, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के चयनित कार्यालयों में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह अवलोकित किया गया था कि मानव संसाधन से संबंधित सूचना प्रणाली, मंडल स्तर पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रोफाइल, लिकेज का पता लगाने और उसे ठीक करने से संबंधित डेटा, नियमित संचालन रखरखाव, ई-सूचना, जल परीक्षण रिपोर्टों से संबंधित आंकड़ों की नियमित जांच अस्तित्व में नहीं थी। परिणामस्वरूप, प्रबंधन नियंत्रण के साथ-साथ कुशल और प्रभावी जल आपूर्ति प्रणाली के परिणामों का आकलन नहीं किया जा सका।

### निष्कर्ष

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत टिकाऊ संरचनाओं, वर्षा जल संचयन प्रणालियों, जल पुनर्भरण प्रणालियों के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य अप्राप्त रहे। भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए विभाग द्वारा प्रयास में कमी थी। मॉनीटरिंग तंत्र कमजोर था क्योंकि जल

आपूर्ति कार्यों को पूरा करने में देरी, उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव न होना पाया गया था।

### सिफारिशें

उपर्युक्त परिणामों को ध्यान में रखते हुए:

11. विभाग को परिकल्पना के अनुसार टिकाऊ संरचनाओं का निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए और अतिदोहित ब्लॉकों में भूजल पर निर्भरता कम करने के विकल्प तलाशने चाहिए।
12. विभागों/संस्थाओं को निवासियों के लाभ के लिए समय पर निष्पादन और कार्यों/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उचित योजना सुनिश्चित करनी चाहिए।
13. विभाग को अपने मॉनीटरिंग तंत्र को मजबूत करना चाहिए और प्रत्येक गतिविधि जैसे जागरूकता कार्यक्रम, शिकायतों, सर्वेक्षण रिपोर्टों, खरीद डेटा के लिए उचित प्रलेखन किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक स्तर पर उचित मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सके।
14. यह सिफारिश की जाती है कि राज्य स्तर पर डेटा प्राप्त करने के लिए एक कॉमन पोर्टल तैयार किया जाए।

चंडीगढ़

दिनांक: 28 अप्रैल 2023


  
(नवनीत गुप्ता)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 04 मई 2023

  
(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



## परिशिष्ट-1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.2 एवं 1.3; पृष्ठ 3 एवं 4)

### ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के विवरण

#### ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं

ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को उनके वित्त पोषण पैटर्न के आधार पर राज्य योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।

#### केंद्रीय प्रायोजित योजना

(i) **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का नाम बदलकर अब जल जीवन मिशन (जेजेएम) कर दिया गया है:**

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का नाम बदलकर 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन कर दिया गया था। जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण हरियाणा क्षेत्र में 2022 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन के तीन मुख्य घटक हैं अर्थात् कवरेज, समर्थन गतिविधियां और जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं सर्विलांस। कवरेज के लिए फंडिंग पैटर्न 50:50 है जबकि सहायक गतिविधियों और जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं सर्विलांस के लिए यह केंद्रीय और राज्य के हिस्से के रूप में क्रमशः 60:40 है।

(ii) **नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग सहायता/योजना:** गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों (क्यूएएच) से निपटने और गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के रूप में तत्काल मध्यवर्ती समाधान प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने अपने स्वयं की निधि से एकमुश्त केंद्रीय सहायता प्रदान की (मार्च 2016)।

#### राज्य प्लान योजनाएं

(i) **आवर्धन ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम:** यह 100 प्रतिशत राज्य क्षेत्र की योजना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, गांवों में मौजूदा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में सुधार/सुदृढीकरण गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू करके किया जाता है, जिसमें अन्य गतिविधियों के अलावा अतिरिक्त नलकूपों की ड्रिलिंग, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं का आवर्धन, नई नहर आधारित जल कार्यों का निर्माण, बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण, मौजूदा वितरण प्रणाली को मजबूत करना शामिल है।

(ii) **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) से सहायता प्राप्त योजनाएं:** प्रमुख ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के आवर्धन के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष 2000-2001 से नाबाई से वित्त पोषण प्राप्त कर रहा है। नाबाई ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यापक बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्य सरकार की भागीदारी कर रहा है। फंडिंग पैटर्न 85:15 है जिसमें 85 प्रतिशत ऋण घटक के रूप में नाबाई से आता है जबकि 15 प्रतिशत राज्य का अंशदान है।

(iii) **विशेष घटक उप योजना (एससीएसपी) (ग्रामीण):** विशेष घटक उप योजना के अंतर्गत, मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों वाले गांवों/बस्तियों में पेयजल सुविधा प्रदान/उन्नत की जाती है। विशेष घटक उप योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का विशेष रूप से महिलाओं के लिए समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य वंचित वर्ग के कल्याण के लिए उपयोग किया जाना है।

(iv) **स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना ग्रामीण जल आपूर्ति:** इस योजना के अंतर्गत, लगभग 10000 की आबादी वाले 132 गांवों को शहरी क्षेत्र के बराबर तीन चरणों में जल आपूर्ति और सीवरेज सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत चयनित गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल आपूर्ति प्रदान की जानी है।

(v) **महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना (एमजीजीबीवाई):** महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना हरियाणा राज्य में वर्ष 2008-09 के दौरान समाज के गरीब वर्गों के लाभ के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने लाभार्थियों को निःशुल्क आवासीय प्लॉट आबंटित किए तथा जल आपूर्ति पाइप लाइन बिछाने का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विकास एवं पंचायत विभाग के निक्षेप कार्य के रूप में किया जाना था।

### शहरी जल आपूर्ति योजनाएं

शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति हेतु विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

#### केंद्र प्रायोजित योजनाएं

(i) **अमृत:** भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय ने जून, 2015 में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) नामक एक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ नल की सुविधा हो। अमृत में जल आपूर्ति घटक के अंतर्गत कार्य का दायरा यह सुनिश्चित करना है कि हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति, मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं, जल उपचार संयंत्रों और सार्वभौमिक पैमाइश के संवर्द्धन/पुनर्वास के साथ नल तक पहुंच हो।

#### राज्य प्रायोजित योजनाएं

(i) **शहरी जल आपूर्ति राज्य योजना:** जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी 87 शहरों (83 अधिसूचित एवं 4 अनधिसूचित) में यह योजना/कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में मौजूदा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में सुधार/का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

(ii) **शहरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) (जल आपूर्ति):** यह योजना/कार्यक्रम राज्य के आठ जिलों अर्थात् गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत और पलवल में आने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कस्बों में संचालित किया जा रहा है।

## परिशिष्ट-2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 3)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अंतर्गत शहरों और क्षेत्रों के विवरण

| उन शहरों के नाम जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के अधिकार क्षेत्र में हैं   |                |         |             |         |             |
|--|----------------|---------|-------------|---------|-------------|
| क्र.सं.  | शहर का नाम     | क्र.सं. | शहर का नाम  | क्र.सं. | शहर का नाम  |
| <b>अधिसूचित शहर</b>  |                |         |             |         |             |
| 1.   | अंबाला शहर     | 2.      | झज्जर       | 3.      | पिंजौर      |
| 4.   | असंध           | 5.      | जींद        | 6.      | पुंडरी      |
| 7.   | अटेली मंडी     | 8.      | जुलाना      | 9.      | पून्हाणा    |
| 10.  | बहादुरगढ़      | 11.     | कैथल        | 12.     | रादौर       |
| 13.  | बराड़ा         | 14.     | कलानौर      | 15.     | रानिया      |
| 16.  | बरवाला         | 17.     | कालावाली    | 18.     | रतिया       |
| 19.  | बावल           | 20.     | कलायत       | 21.     | रेवाड़ी     |
| 22.  | बवानी खेड़ा    | 23.     | कालका       | 24.     | रोहतक       |
| 25.  | बेरी           | 26.     | कनीना       | 27.     | सफीदों      |
| 28.  | भिवानी         | 29.     | खरखौदा      | 30.     | समालखा      |
| 31.  | चरखी दादरी     | 32.     | कुरुक्षेत्र | 33.     | सांपला      |
| 34.  | चीका           | 35.     | लाडवा       | 36.     | शाहबाद      |
| 37.  | धारुहेड़ा      | 38.     | लोहारू      | 39.     | सिरसा       |
| 40.  | ऐलनाबाद        | 41.     | महेन्द्रगढ़ | 42.     | सिवानी      |
| 43.  | फिरोजपुर झिरका | 44.     | मंडी डबवाली | 45.     | सोहना       |
| 46.  | फारुख नगर      | 47.     | महम         | 48.     | तावडू       |
| 49.  | फतेहाबाद       | 50.     | नारायणगढ़   | 51.     | तरावड़ी     |
| 52.  | गन्नौर         | 53.     | नांगल चौधरी | 54.     | टोहाना      |
| 55.  | घरौंडा         | 56.     | नारनौल      | 57.     | उचाना       |
| 58.  | गोहाना         | 59.     | नारनौंद     | 60.     | यमुनानगर    |
| 61.  | हेली मंडी      | 62.     | नरवाना      | 63.     | उकलाना मंडी |
| 64.  | हांसी          | 65.     | नीलोखेड़ी   | 66.     | बास         |
| 67.  | हथीन           | 68.     | निसिंग      | 69.     | भूना        |
| 70.  | हिसार          | 71.     | नूंह        | 72.     | इस्माइलाबाद |
| 73.  | होडल           | 74.     | पलवल        | 75.     | राजौंद      |
| 76.  | इंद्री         | 77.     | पानीपत      | 78.     | सदौरा       |
| 79.  | जगाधरी         | 80.     | पटौदी       | 81.     | सिसई        |
| 82.  | जाखल           | 83.     | पेहोवा      |         |             |
| <b>अनधिसूचित शहर</b>   |                |         |             |         |             |
| 1.   | छछरौली         | 2.      | तोशाम       | 3.      | हसनपुर      |
| 4.   | कोसली          |         |             |         |             |
| <b>शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शहरों के नाम</b>   |                |         |             |         |             |
| 1.   | करनाल          | 2.      | सोनीपत      | 3.      | फरीदाबाद    |
| 4.   | गुरुग्राम      |         |             |         |             |
| <b>हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शहरों के नाम</b>   |                |         |             |         |             |
| 1.   | पंचकुला        |         |             |         |             |
| * सभी शहरों में, जहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रों का विकास किया गया है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जल आपूर्ति का रखरखाव किया जाता है।                           |                |         |             |         |             |
| ** अधिसूचित शहर वे शहर हैं जिन्हें संबंधित राज्य द्वारा कानून के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है और उनकी जनसांख्यिकीय विशेषताओं के बावजूद नगर निगमों/परिषदों/समितियों जैसे स्थानीय निकाय हैं। |                |         |             |         |             |
| *** अनधिसूचित शहर वे शहर हैं जो पहले अधिसूचित शहरों की श्रेणी में आते थे लेकिन किसी कारण से अब वे अधिसूचित शहरों की श्रेणी में नहीं आते हैं।   |                |         |             |         |             |

परिशिष्ट-3

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.4 (III); पृष्ठ 6)

कार्यान्वयन एजेंसियों की संगठनात्मक संरचना

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संगठनात्मक संरचना

मुख्यालय में मुख्य प्रशासक समग्र प्रभारी होता है और प्राधिकरण के कार्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होता है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला और रोहतक में तैनात पांच क्षेत्रीय प्रशासकों और मुख्यालय में एक प्रशासक द्वारा उनकी सहायता की जाती है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (टीसीपीडी) के प्रभारी मंत्री (प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नामित) की अध्यक्षता वाले प्राधिकरण द्वारा बनाई गई नीतियों द्वारा मुख्य प्रशासक का मार्गदर्शन किया जाता है।



शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना

अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, सभी शहरी स्थानीय निकायों के शासन के लिए नोडल विभाग है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय (डीयूएलबी) राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय शहरी स्थानीय निकायों का प्रशासन, सुविधा, समन्वय और निगरानी करता है।



## परिशिष्ट-4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7; पृष्ठ 7)

## विस्तृत लेखापरीक्षा पद्धति

22 जिलों में से, 20 जिलों को व्यय, क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी आबादी, औसत वर्षा और अधिक शोषित ब्लॉकों के आधार पर कुल भार के घटते क्रम में जिलों की व्यवस्था के बाद दो समान श्रेणियों/संस्तरों (प्रत्येक समूह में 10 जिले) में विभाजित किया गया था। तत्पश्चात् कंप्यूटर सहायक लेखापरीक्षा तकनीकों (सीएएटी) के माध्यम से यादृच्छिक प्रतिचयन किया गया और दोनों स्तरों से कुल सात जिलों का चयन किया गया। एक अतिरिक्त जिला, पंचकुला को चुना गया था क्योंकि पंचकुला शहर में पानी की आपूर्ति हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा की जा रही है। इस लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के डंप डेटा, जैसे विभाग के पास उपलब्ध था, का विस्तार से विश्लेषण किया गया था। फील्ड अध्ययन के दौरान निदेशालय स्तर के कार्यालयों सहित 36 कार्यालयों में लेखापरीक्षा की गई थी। आगे, कवरेज को सत्यापित करने के लिए चयनित जिलों के गांवों में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना बस्तियों में सर्वेक्षण किया गया था। इसके अलावा, इन जिलों में कुछ स्थानों का चयन निम्नलिखित के मूल्यांकन के लिए किया गया था:

- (i) फ्लो मीटर तथा सब-मीटर की स्थापना और उनकी एक महीने की रीडिंग और गणितीय गणना को लागू करके आपूर्ति की जाने वाली पानी की मात्रा।
- (ii) विभागीय प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से नमूने एकत्रित करके निजी रूप से किराए पर ली गई प्रयोगशाला (तृतीय पक्ष) के साथ-साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, करनाल में राज्य जल परीक्षण प्रयोगशाला को भेजकर पानी की गुणवत्ता।
- (iii) लाभार्थी सर्वेक्षण कराकर जल की मात्रा एवं गुणवत्ता। लाभार्थी सर्वेक्षण दिनांक 03 अगस्त 2022 से 08 अगस्त 2022 तक किया गया था। कुल 20 स्थानों का चयन किया गया था और उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक स्थान से 30 लाभार्थियों को चुना गया था। कुल मिलाकर, 617 लाभार्थियों (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग: 243; एमसीज: 254 और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण: 120) का सर्वेक्षण किया गया।

फील्ड स्टडी के दौरान शामिल किए गए कार्यालय

| क्र. सं.   | जिला        | कार्यालय का नाम  | कार्यालयों की संख्या |
|------------|-------------|--|----------------------|
| 1.         | हिसार       | कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तथा हांसी | 7                    |
|            |             | नगर निगम   |                      |
|            |             | कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मंडल नंबर 1 एवं नंबर 2             |                      |
| 2.         | कुरुक्षेत्र | कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल                                  | 2                    |
|            |             | कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मंडल, अंबाला (उप-मंडल कुरुक्षेत्र) |                      |
| 3.         | पंचकुला     | प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग                                    | 7                    |
|            |             | निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय   |                      |
|            |             | नगर निगम   |                      |
|            |             | मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण  |                      |
|            |             | कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग                                 |                      |
| 4.         | रेवाड़ी     | कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (रेवाड़ी, बावल, कोसली)          | 5                    |
|            |             | कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मंडल                               |                      |
|            |             | नगरपालिका परिषद  |                      |
| 5.         | फतेहाबाद*   | कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (फतेहाबाद एवं टोहाना)          | 2                    |
| 6.         | करनाल       | कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, नंबर 1 एवं नंबर 2               | 4                    |
|            |             | नगर निगम   |                      |
|            |             | कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मंडल                               |                      |
| 7.         | रोहतक       | कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, नंबर 1 एवं नंबर 2               | 5                    |
|            |             | नगर निगम   |                      |
|            |             | कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मंडल नंबर 1 एवं नंबर 2             |                      |
| 8.         | फरीदाबाद    | कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल,                                 | 4                    |
|            |             | नगर निगम   |                      |
|            |             | कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मंडल नंबर 1 एवं नंबर 3             |                      |
| <b>कुल</b> |             |  | <b>36</b>            |

\* फतेहाबाद जिले का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मंडल नंबर 2, हिसार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

## परिशिष्ट-5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7 (ख); पृष्ठ 18)

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण के लिए शामिल किए गए  
गांवों के विवरण

| क्र. सं. | जिला का नाम | ब्लॉक का नाम | गांव का नाम  | क्र. सं. | जिला का नाम | ब्लॉक का नाम | गांव का नाम        |
|----------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------------|
| 1        | फरीदाबाद    | बल्लभगढ़     | अटाली        | 23       | कुरुक्षेत्र | इस्माइलाबाद  | धांगली             |
| 2        | फरीदाबाद    | बल्लभगढ़     | मलेरना       | 24       | कुरुक्षेत्र | इस्माइलाबाद  | मंडी               |
| 3        | फरीदाबाद    | बल्लभगढ़     | समयपुर       | 25       | कुरुक्षेत्र | पेहोवा       | अरनेचा             |
| 4        | फरीदाबाद    | फरीदाबाद     | भैंसरावाली   | 26       | कुरुक्षेत्र | पेहोवा       | चनल्हेड़ी          |
| 5        | फरीदाबाद    | फरीदाबाद     | खेड़ी कलां   | 27       | कुरुक्षेत्र | पेहोवा       | साइना सैदां        |
| 6        | फरीदाबाद    | फरीदाबाद     | ताजपुर       | 28       | पंचकुला     | पिंजौर       | खोखरा              |
| 7        | फतेहाबाद    | फतेहाबाद     | बड़ीपाल      | 29       | पंचकुला     | पिंजौर       | पात्तर             |
| 8        | फतेहाबाद    | फतेहाबाद     | दरियापुर     | 30       | पंचकुला     | पिंजौर       | टिब्बी             |
| 9        | फतेहाबाद    | फतेहाबाद     | नागपुर       | 31       | पंचकुला     | रायपुररानी   | नारायणपुर          |
| 10       | फतेहाबाद    | रतिया        | अलीपुर बरोटा | 32       | पंचकुला     | रायपुररानी   | नटवाल              |
| 11       | फतेहाबाद    | रतिया        | हुकमावाली    | 33       | पंचकुला     | रायपुररानी   | रायपुररानी         |
| 12       | फतेहाबाद    | रतिया        | रोजांवाली    | 34       | रेवाड़ी     | धारुहेड़ा    | असियाकी टप्पा जरथल |
| 13       | हिसार       | बरवाला       | बहबलपुर      | 35       | रेवाड़ी     | बावल         | जलियावास           |
| 14       | हिसार       | बरवाला       | खेड़ी बरकी   | 36       | रेवाड़ी     | बावल         | बोलनी              |
| 15       | हिसार       | बरवाला       | भादा खेड़ा   | 37       | रेवाड़ी     | बावल         | खंडोला             |
| 16       | हिसार       | हिसार-1      | मिरकन        | 38       | रेवाड़ी     | रेवाड़ी      | गेंदोखर            |
| 17       | करनाल       | नीलोखेड़ी    | बरनी खालसा   | 39       | रेवाड़ी     | रेवाड़ी      | किशनगढ़            |
| 18       | करनाल       | नीलोखेड़ी    | कुरक जागीर   | 40       | रेवाड़ी     | रेवाड़ी      | नंद रामपुरपास      |
| 19       | करनाल       | नीलोखेड़ी    | सोहलां       | 41       | रोहतक       | लाखन माजरा   | सुंदरपुर           |
| 20       | करनाल       | इंद्री       | पतेहड़ा      | 42       | रोहतक       | रोहतक        | डोभ                |
| 21       | करनाल       | इंद्री       | बुतां खेड़ी  | 43       | रोहतक       | रोहतक        | कबूलपुर            |
| 22       | कुरुक्षेत्र | इस्माइलाबाद  | भुस्थला      | 44       | रोहतक       | रोहतक        | ताज माजरा          |

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के भौतिक सत्यापन के दौरान जल आपूर्ति की स्थिति

| कुल चयनित गांव | जिन गांवों में जल आपूर्ति सेवा उपलब्ध थी | जिन गांवों में जल आपूर्ति सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई थी | जल आपूर्ति सेवाओं से वंचित गांवों की प्रतिशतता |
|----------------|--|---|--|
| 44             | 27                                       | 17  | 39 %   |

परिशिष्ट-6  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8; पृष्ठ 19)

लंबित विद्युत कनेक्शनों के कारण अक्रियाशील नलकूपों के विवरण

| क्र. सं. | योजना/नलकूप का नाम | चुनाव क्षेत्र का नाम | मंडल का नाम | वर्ष    | नलकूपों की संख्या | ट्रिलिंग की तिथि | स्थिति                             |
|----------|--------------------|----------------------|-------------|---------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| 1.       | नथेड़ा             | कोसली                | कोसली       | 2020-21 | 1                 | 17 जनवरी 2021    | विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया गया |
| 2.       | शादीपुर            | कोसली                | कोसली       | 2020-21 | 1                 | 18 जनवरी 2021    | विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया गया |
| 3.       | खेड़ी रामगढ़       | कोसली                | कोसली       | 2020-21 | 1                 | 20 दिसंबर 2020   | विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया गया |
| 4.       | सिहा               | कोसली                | कोसली       | 2020-21 | 1                 | 24 नवंबर 2020    | विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया गया |
| 5.       | उंचा               | कोसली                | कोसली       | 2020-21 | 1                 | 14 दिसंबर 2020   | विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया गया |
| 6.       | माजरा गुरदास       | रेवाड़ी              | रेवाड़ी     | 2019-20 | 1                 | 12 सितंबर 2020   | विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया गया |

## परिशिष्ट-7

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.1, 3.4.2 एवं 3.4.3; पृष्ठ 24-26-26)

## बकाया जल प्रभारों के विवरण

(क) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में बकाया जल प्रभार

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | मंडल का नाम   | ग्रामीण                         |                          |               | शहरी                            |                          |              |
|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|
|          |               | कुल राजस्व जो वसूल किया जाना था | वसूल किया गया कुल राजस्व | शेष           | कुल राजस्व जो वसूल किया जाना था | वसूल किया गया कुल राजस्व | शेष          |
| 1        | नंबर 1, हिसार | 24.85                           | 1.10                     | 23.75         | 10.40                           | 2.06                     | 8.34         |
| 2        | नंबर 2, हिसार | 32.69                           | 0.87                     | 31.82         | 15.53                           | 13.44                    | 2.09         |
| 3        | हांसी         | उपलब्ध नहीं कराया               |                          |               | 5.29                            | 4.79                     | 0.50         |
| 4        | फतेहाबाद      | 4.32                            | 0.54                     | 3.78          | 3.34                            | 0.14                     | 3.20         |
| 5        | टोहाना        | 17.26                           | 1.02                     | 16.24         | 10.22                           | 6.14                     | 4.08         |
| 6        | कुरुक्षेत्र   | 14.23                           | 1.24                     | 12.99         | 45.81                           | 13.72                    | 32.09        |
| 7        | नंबर 1, करनाल | 2.33                            | 0.86                     | 1.47          | 4.41                            | 3.29                     | 1.12         |
| 8        | नंबर 2, करनाल | 6.93                            | 1.04                     | 5.89          | 3.59                            | 3.07                     | 0.52         |
| 9        | पंचकुला       | 7.84                            | 1.45                     | 6.39          | 10.67                           | 5.94                     | 4.73         |
| 10       | रेवाड़ी       | 1.23                            | 0.17                     | 1.06          | 17.55                           | 11.84                    | 5.71         |
| 11       | बावल          | 10.98                           | 0.44                     | 10.54         | 3.76                            | 1.55                     | 2.21         |
| 12       | कोसली         | 2.37                            | 0.02                     | 2.35          | 1.97                            | 0.19                     | 1.78         |
| 13       | फरीदाबाद      | 3.14                            | 0.13                     | 3.01          | उपलब्ध नहीं                     |                          |              |
| 14       | नंबर 1, रोहतक | उपलब्ध नहीं कराया               |                          |               | 2.93                            | 1.25                     | 1.68         |
| 15       | नंबर 2, रोहतक | उपलब्ध नहीं कराया               |                          |               | उपलब्ध नहीं कराया               |                          |              |
|          | <b>कुल</b>    | <b>128.17</b>                   | <b>8.88</b>              | <b>119.29</b> | <b>135.47</b>                   | <b>67.42</b>             | <b>68.05</b> |

हांसी में ग्रामीण क्षेत्रों और टोहाना में गैर-घरेलू कनेक्शन का डेटा प्रदान नहीं किया गया था।  
कोसली में, डेटा 08/2019 के बाद से उपलब्ध है।

(ख) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में बकाया जल प्रभार

| क्र. सं. | मंडल कार्यालय का नाम  | बकाया राशि (₹ करोड़ में) |
|----------|---|--------------------------|
| 1        | कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नंबर 2, हिसार                 | 0.95                     |
| 2        | कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नंबर 1, पंचकुला               | 2.16                     |
| 3        | कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नंबर 2, पंचकुला               | 0.29                     |
| 4        | कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद                     | 3.23                     |
| 5        | कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रेवाड़ी                      | 0.79                     |
| 6        | कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक                        | 7.16                     |
| 7        | कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, करनाल                        | 4.2                      |
| 8.       | कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, अंबाला (उप-मंडल कुरुक्षेत्र) | 0.40                     |
|          | <b>कुल</b>  | <b>19.18</b>             |

(ग) नगर निगमों में बकाया जल प्रभार

| क्र.सं. | इकाई का नाम        | 31 मार्च 2021 को बकाया राशि (₹ करोड़ में) |
|---------|--------------------|---|
| 1       | नगर निगम, फरीदाबाद | 30.04                                     |
| 2       | नगर निगम, करनाल    | 41.64                                     |
|         | <b>कुल</b>         | <b>71.68</b>                              |

परिशिष्ट-8

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 26)

सामुदायिक अंशदान संग्रह के विवरण

| क्र. सं. | जिला        | विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की कुल संख्या | ग्राम पंचायतों से एकत्र किए जाने वाले 10 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान की राशि (₹ लाख में) | ग्राम पंचायतों से एकत्रित 10 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान की राशि (₹ लाख में) | ग्राम पंचायतों से एकत्र किए जाने वाले सामुदायिक अंशदान की शेष राशि (₹ लाख में) |
|----------|-------------|---|---|---|--|
| 1.       | पानीपत      | 175   | 162.07  | 8.30  | 153.77   |
| 2.       | महेंद्रगढ़  | 341   | 21.50   | 0.70  | 20.80  |
| 3.       | करनाल       | 379   | 560.18  | 15.80   | 544.38   |
| 4.       | फतेहाबाद    | 256   | 750.10  | 8.20  | 741.90   |
| 5.       | अंबाला      | 397   | 354.85  | 2.20  | 352.65   |
| 6.       | झज्जर       | 247   | 384.31  | 1.70  | 382.61   |
| 7.       | यमुनानगर    | 471   | 386.86  | 1.60  | 385.26   |
| 8.       | कुरुक्षेत्र | 392   | 363.62  | 0.80  | 362.82   |
| 9.       | कैथल        | 277   | 478.56  | 0   | 478.56   |
| 10.      | सोनीपत      | 311   | 455.76  | 0   | 455.76   |
| 11.      | रोहतक       | 139   | 479.45  | 0   | 479.45   |
| 12.      | फरीदाबाद    | 116   | 163.69  | 0   | 163.69   |
| 13.      | गुरुग्राम   | 162   | 137.05  | 0   | 137.05   |
| 14.      | रेवाड़ी     | 358   | 417.92  | 0   | 417.92   |
| 15.      | पलवल        | 259   | 115.37  | 0   | 115.37   |
| 16.      | चरखी दादरी  | 166   | 10.42   | 0   | 10.42  |
| 17.      | नूंह        | 317   | 699.57  | 0   | 699.57   |
| 18.      | भिवानी      | 304   | 57.16   | 0   | 57.16  |
| 19.      | जींद        | 297   | 430.58  | 0   | 430.58   |
| 20.      | हिसार       | 299   | 78.14   | 0   | 78.14  |
| 21.      | सिरसा       | 338   | 277.19  | 0   | 277.19   |
| 22.      | पंचकुला     | 128   | 191.92  | 0   | 191.92   |
|          | <b>कुल</b>  | <b>6,129</b>  | <b>6,976.27</b>   | <b>39.30</b>  | <b>6,936.97</b>  |

## परिशिष्ट-9

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1; पृष्ठ 31)

## फ्लो मीटर लगाकर आपूर्ति की जाने वाली पानी की मात्रा का आकलन

| जिला   | मंडल का नाम   | नलकूप/वाटर वर्क्स का नाम                 | 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या | 2022 तक जनसंख्या | फ्लो मीटर लगाने की तिथि | फ्लो मीटर की रीडिंग (घन मीटर में) | फ्लो मीटर की अंतिम रीडिंग की तिथि | कुल दिन | * लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की स्थिति | मानदंड के अनुसार आवश्यकता | अभ्युक्ति |
|--|---|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---|---------------------------|-----------|
| <b>जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी)</b> |   |  |                                   |                  |                         |                                   |                                   |         |   |                           |           |
| फतेहाबाद   | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग टोहाना              | कराडी                                    | 1,083                             | 1,321            | 20 जुलाई 2022           | 4,773.00                          | 18 सितंबर 2022                    | 60      | 60                                      | 70                        | कम        |
| हिसार  | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हिसार-2             | जेवरा                                    | 3,829                             | 4,671            | 01 अक्टूबर 2022         | 57.00                             | 04 अक्टूबर 2022                   | 4       | 3                                       | 70                        | कम        |
| रेवाड़ी  | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कोसली               | जुड़डी                                   | 2,855                             | 3,483            | 01 अगस्त 2022           | 681.00                            | 30 सितंबर 2022                    | 61      | 3                                       | 70                        | कम        |
| रेवाड़ी  | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बावल                | खलेटा                                    | 2,920                             | 3,562            | 10 जून 2022             | 24,586.00                         | 29 सितंबर 2022                    | 112     | 62                                      | 70                        | कम        |
| करनाल  | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग करनाल-2             | कलसौरा-3                                 | 5,123                             | 6,250            | 05 जून 2022             | 58,033.00                         | 29 सितंबर 2022                    | 117     | 79                                      | 55                        | अधिक      |
| रोहतक  | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रोहतक-1             | कटेसरा                                   | 5,947                             | 7,255            | 21 जुलाई 2022           | 44,729.00                         | 07 अक्टूबर 2022                   | 79      | 78                                      | 55                        | अधिक      |
| कुरुक्षेत्र                                      | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कुरुक्षेत्र         | कालवा                                    | 550                               | 671              | 12 जुलाई 2022           | 8,563.00                          | 04 अक्टूबर 2022                   | 85      | 150                                     | 55                        | अधिक      |
| हिसार  | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हांसी               | कोथ खुर्द                                | 3,130                             | 3,818            | 16 जुलाई 2022           | 9,912.49                          | 04 अक्टूबर 2022                   | 81      | 32                                      | 70                        | कम        |
| हिसार  | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हिसार-1             | काबरेल                                   | 4,387                             | 5,352            | 17 जुलाई 2022           | 3,110.00                          | 07 अक्टूबर 2022                   | 83      | 7                                       | 70                        | कम        |
| फरीदाबाद   | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग फरीदाबाद            | कस्तूरबा सेवा सदन                        | उपलब्ध नहीं                       | 110              | 25 जुलाई 2022           | 65.07                             | 29 सितंबर 2022                    | 67      | 9                                       | 135                       | कम        |
| रेवाड़ी  | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रेवाड़ी-1           | खिजुरी                                   | 4,581                             | 5,588            | 05 सितंबर 2022          | 88.90                             | 09 अक्टूबर 2022                   | 35      | 0.45                                    | 70                        | कम        |
| फतेहाबाद   | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग फतेहाबाद            | ढौंगसरा                                  | 5,252                             | 6,407            | 30 जुलाई 2022           | 38,459.00                         | 11 अक्टूबर 2022                   | 74      | 81.12                                   | 70                        | अधिक      |
| <b>हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)</b>   |   |  |                                   |                  |                         |                                   |                                   |         |   |                           |           |
| पंचकुला  | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण संख्या 1 मंडल, पंचकुला | नलकूप नंबर एस-2, सैक्टर-2, पंचकुला       | 2,000                             | 2,900            | 29 मई 2022              | 35,505.00                         | 21 सितंबर 2022                    | 116     | 105.54                                  | 135                       | कम        |
|  |   | नलकूप नंबर गोल्फ कोर्स सैक्टर-3, पंचकुला | 2,000                             | 2,900            | 20 जून 2022             | 62,657.00                         | 21 सितंबर 2022                    | 94      | 229.85                                  | 135                       | अधिक      |
|  |   | नलकूप नंबर पीर बाबा I/ए फेस-1, पंचकुला   | 2,000                             | 2,900            | 04 जून 2022             | 40,836.00                         | 21 सितंबर 2022                    | 110     | 128.01                                  | 135                       | कम        |
|  |   | नलकूप नंबर 5, सैक्टर-11, पंचकुला         | 1,500                             | 2,200            | 27 मई 2022              | 26,919.00                         | 21 सितंबर 2022                    | 118     | 103.69                                  | 135                       | कम        |
|  |   | नलकूप नंबर 5, सैक्टर-12, पंचकुला         | 2,000                             | 2,900            | 30 मई 2022              | 34,840.00                         | 21 सितंबर 2022                    | 115     | 104.47                                  | 135                       | कम        |
|  |   | नलकूप नंबर 6, सैक्टर-6, पंचकुला          | 2,000                             | 2,900            | 29 मई 2022              | 14,279.00                         | 21 सितंबर 2022                    | 116     | 42.45                                   | 135                       | कम        |
|  |   | नलकूप नंबर एस-18, सैक्टर-4, पंचकुला      | 2,000                             | 2,900            | 29 अप्रैल 2022          | 47,197.00                         | 21 सितंबर 2022                    | 154     | 105.68                                  | 135                       | कम        |

| जिला        | मंडल का नाम       | नलकूप/वाटर वर्क्स का नाम                | 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या | 2022 तक जनसंख्या | फ्लो मीटर लगाने की तिथि | फ्लो मीटर की रीडिंग (घन मीटर में) | फ्लो मीटर की अंतिम रीडिंग की तिथि | कुल दिन | * लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की स्थिति | मानदंड के अनुसार आवश्यकता | अभ्युक्ति |
|-------------|-------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---|---------------------------|-----------|
|             |                   | नलकूप नंबर एम-11, सैक्टर-17, पंचकुला    | 1,500                             | 2,200            | 29 मई 2022              | 28,698.00                         | 21 सितंबर 2022                    | 116     | 112.45                                  | 135                       | कम        |
|             |                   | नलकूप नंबर एम-27, सैक्टर-9, पंचकुला     | 500                               | 7,000            | 02 जून 2022             | 65,388.00                         | 21 सितंबर 2022                    | 112     | 83.40                                   | 135                       | कम        |
|             |                   | नलकूप नंबर केवी-5, सैक्टर-20, पंचकुला   | 2,000                             | 2,900            | 05 जून 2022             | 28,968.00                         | 21 सितंबर 2022                    | 109     | 91.64                                   | 135                       | कम        |
|             | संख्या 2, पंचकुला | ई-21, सैक्टर 26, पंचकुला                | 600                               | 612              | 09 जून 2022             | 22,677.00                         | 18 अक्टूबर 2022                   | 132     | 280.72                                  | 135                       | अधिक      |
|             |                   | आशियाना, सैक्टर 28, पंचकुला             | 630                               | 643              | 04 जून 2022             | 16,795.00                         | 18 अक्टूबर 2022                   | 137     | 190.78                                  | 135                       | अधिक      |
|             |                   | ई-14, सैक्टर 28, पंचकुला                | 1,220                             | 1,244            | 04 जून 2022             | 38,941.00                         | 18 अक्टूबर 2022                   | 137     | 228.42                                  | 135                       | अधिक      |
|             |                   | ई-1, सैक्टर 31, पंचकुला                 | 600                               | 612              | 25 जून 2022             | 16,924.00                         | 18 अक्टूबर 2022                   | 116     | 238.39                                  | 135                       | अधिक      |
| कुरुक्षेत्र | अंबाला            | सैक्टर 2, वाटर वर्क्स                   |                                   | 2,000            | 14 सितंबर 2022          | 1,520.00                          | 19 अक्टूबर 2022                   | 36      | 21.11                                   | 135                       | कम        |
|             |                   | नलकूप संख्या 08, सैक्टर 13, कुरुक्षेत्र |                                   | 2,600            | 14 सितंबर 2022          | 785.00                            | 19 अक्टूबर 2022                   | 36      | 8.39                                    | 135                       | कम        |
|             |                   | नलकूप संख्या 4, सैक्टर 13, कुरुक्षेत्र  |                                   | 2,600            | 21 सितंबर 2022          | 1,077.00                          | 19 अक्टूबर 2022                   | 29      | 14.28                                   | 135                       | कम        |
|             |                   | नलकूप संख्या 2, सैक्टर 03, कुरुक्षेत्र  |                                   | 3,300            | 05 अक्टूबर 2022         | 798.00                            | 19 अक्टूबर 2022                   | 14      | 17.27                                   | 135                       | कम        |
|             |                   | नलकूप संख्या 3, सैक्टर 04, कुरुक्षेत्र  |                                   | 5,400            | 09 अक्टूबर 2022         | 99.00                             | 19 अक्टूबर 2022                   | 10      | 1.83                                    | 135                       | कम        |
|             |                   | नलकूप संख्या 7, सैक्टर 05, कुरुक्षेत्र  |                                   | 5,000            | 08 अक्टूबर 2022         | 821.00                            | 19 अक्टूबर 2022                   | 11      | 14.93                                   | 135                       | कम        |

\* लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आकलन: {फ्लो मीटर की रीडिंग (घन मीटर में) X 1000} / (दिनों की संख्या X कुल जनसंख्या)

## परिशिष्ट-10

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2 एवं 4.2.2; पृष्ठ 32-33)

**आई एंड डब्ल्यूआरडी और भंडारण टैंक क्षमता द्वारा स्वीकृत डिस्चार्ज के  
आकलन के लिए लेखापरीक्षा पद्धति**

आठ चयनित जिलों के उक्त डंप डेटा का विश्लेषण किया गया था और तदनुसार डंप डेटा से जानकारी अर्थात् वाटर वर्क्स का नाम, गांव का नाम, मंडल का नाम, मूल डिस्चार्ज, नहर बंद करना, नहर चलाना, जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) निकाली गई थी। डाटा डंप में उपलब्ध कराई गई जनसंख्या (जनगणना 2011) में प्रति वर्ष दो प्रतिशत की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 के लिए संभावित जनसंख्या की गणना की गई। सिंचाई विभाग से प्राकृतिक जल के अपेक्षित डिस्चार्ज की गणना करने के लिए, वर्ष 2021 के लिए संभावित जनसंख्या, नहर चलने के दिनों, नहर बंद करने के दिनों, नॉन-डीडीपी क्षेत्रों के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता और डीडीपी क्षेत्रों के लिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता को लेकर गणना (नीचे विवरण के अनुसार) की गई थी जबकि वास्तविक स्वीकृत पानी की गणना निम्नानुसार हैं:

**नहर के चलने और बंद होने के दिनों में कुल क्यूसेक पानी की आवश्यकता (प्राकृतिक पानी के डिस्चार्ज की आवश्यकता):**

लीटर में पानी की कुल आवश्यकता: कुल जनसंख्या \* लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (55/70) + 15 प्रतिशत वाष्पीकरण हानि

लीटर में पानी की आवश्यकता का गैलन में रूपांतरण: कुल पानी की आवश्यकता लीटर में/4.54

गैलन में पानी की आवश्यकता का क्यूसेक में रूपांतरण: (गैलन/25)\* 4 प्रति सेकंड

क्यूसेक में कुल पानी की आवश्यकता = (गैलन में पानी की आवश्यकता \* (नहर चलने के दिन + नहर बंद होने के दिन) \* 4) / (25 \* 60 \* 60 \* 24 \* नहर चलने के दिन)

डंप डेटा के और विश्लेषण से भंडारण एवं अवसादन टैंक की भण्डारण क्षमता की जांच के लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी जैसे वाटर वर्क्स का नाम, गांव का नाम एवं कोड, मंडल का नाम, एस एंड एस टैंक की क्षमता, मूल डिस्चार्ज, नहर बंद करना, नहर चलाना, जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) निकाली गई। नहर के बंद होने की अवधि के दौरान एस एंड एस टैंक की अपेक्षित क्षमता के लिए लेखापरीक्षा ने वर्ष 2021 के लिए संभावित जनसंख्या, नहर चलने के दिनों, नहर बंद करने के दिनों, एस एंड एस टैंक की क्षमता, 15 प्रतिशत की दर वाष्पीकरण हानियां, नॉन-डीडीपी क्षेत्रों के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता और डीडीपी क्षेत्रों के लिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता को लेकर गणना की जो निम्नानुसार हैं:

**नहर के बंद होने की अवधि के दौरान एस एंड एस टैंक की कुल अपेक्षित क्षमता:**

{कुल जनसंख्या \* लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (55/70) \* नहर बंद होने के दिन + 15 प्रतिशत वाष्पीकरण हानि}।

परिशिष्ट-11

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2.1; पृष्ठ 32)

55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की पानी की आवश्यकता के विरुद्ध कम स्वीकृत डिस्चार्ज वाले वाटर वर्क्स/मामले

| जिला    | मंडल                        | वाटर वर्क्स का नाम              | गांव का नाम       | ओ आरओ     | सिंचाई नहर का नाम | इनलेट नहर का प्रकार (सीएसवी) | नहर बंद होना | नहर चलना | दर्ज जनसंख्या | जनसंख्या 2021 | दैनिक पानी की आवश्यकता + 15 प्रतिशत | ओरिजनल डिस्चार्ज | अपेक्षित डिस्चार्ज | कम स्वीकृत | कम स्वीकृत का प्रतिशत |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| रोहतक   | रोहतक-1                     | वाटर वर्क्स-रोहतक-गुडन          | गुडन              | 22887आर   | 1/एल कटेसड़ा      | माइनर                        | 20           | 7        | 4,334         | 5,201         | 3,28,963                            | 0.48             | 0.52               | 0.04       | 8                     |
|         |                             | वाटर वर्क्स-रोहतक-गरनौठी        | गरनौठी            | 2600आर    | भूटेन             | माइनर                        | 24           | 8        | 4,079         | 4,895         | 3,09,609                            | 0.35             | 0.51               | 0.16       | 31                    |
|         |                             | वाटर वर्क्स-रोहतक-काहनौर        | काहनौर            | 7002एल    | धराना             | माइनर                        | 20           | 7        | 8,735         | 10,482        | 6,62,987                            | 1.00             | 1.05               | 0.05       | 5                     |
|         |                             | वाटर वर्क्स-रोहतक-आंवल          | आंवल              | 15291एल   | कटेसड़ा           | माइनर                        | 32           | 7        | 4,877         | 5,852         | 3,70,139                            | 0.60             | 0.84               | 0.24       | 29                    |
|         |                             | वाटर वर्क्स-रोहतक-खेड़ी         | खेड़ी             | 5975-एल   | बौद               | डिस्ट्रीब्यूटरी              | 20           | 7        | 3,265         | 3,918         | 2,47,814                            | 0.30             | 0.39               | 0.09       | 23                    |
|         | रोहतक-2                     | वाटर वर्क्स-रोहतक-चिड़ी         | चिड़ी             | 43120एल   | काहनौर            | डिस्ट्रीब्यूटरी              | 24           | 8        | 9,735         | 11,682        | 7,38,887                            | 1.07             | 1.21               | 0.14       | 12                    |
|         |                             | वाटर वर्क्स-रोहतक-गुरौठी        | गुरौठी            | 9206एल    | टिटोली            | माइनर                        | 24           | 8        | 5,183         | 6,220         | 3,93,415                            | 0.45             | 0.64               | 0.19       | 30                    |
|         |                             | वाटर वर्क्स-रोहतक-निडाना        | निडाना            | 5375एल    | निडाना            | माइनर                        | 24           | 7        | 3,556         | 4,267         | 2,69,888                            | 0.33             | 0.49               | 0.16       | 33                    |
|         |                             | वाटर वर्क्स-रोहतक-इस्माइला-11बी | इस्माइला 11 बिरवा | 48500एल   | दुल्हेड़ा         | डिस्ट्रीब्यूटरी              | 24           | 7        | 7,826         | 9,391         | 5,93,981                            | 1.04             | 1.08               | 0.04       | 4                     |
|         |                             | वाटर वर्क्स-रोहतक-गिरावड़       | गिरावड़           | 71400-एल  | भितानी            | सब-ड्रांच                    | 24           | 7        | 7,927         | 9,512         | 6,01,634                            | 0.75             | 1.09               | 0.34       | 31                    |
|         |                             | वाटर वर्क्स-रोहतक-मदीना कोरसन   | मदीना कोरसन       | 47023एल   | मोखरा             | माइनर                        | 24           | 7        | 7,235         | 8,682         | 5,49,137                            | 0.25             | 0.99               | 0.74       | 75                    |
| रोहतक-3 | वाटर वर्क्स-रोहतक-पाकसमा    | पाकसमा                          | 14500आर           | भालोट     | डिस्ट्रीब्यूटरी   | 24                           | 7            | 6,005    | 7,206         | 4,55,780      | 0.74                                | 0.83             | 0.09               | 11         |                       |
|         | वाटर वर्क्स-रोहतक-खरावड़    | खरावड़                          | 40800             | दुल्हेड़ा | डिस्ट्रीब्यूटरी   | 24                           | 7            | 7,415    | 8,898         | 5,62,799      | 0.78                                | 1.02             | 0.24               | 24         |                       |
|         | वाटर वर्क्स-रोहतक-समचाना-I  | समचाना                          | 73200-एल          | जसराना    | माइनर             | 24                           | 7            | 6,326    | 7,591         | 4,80,131      | 0.56                                | 0.87             | 0.31               | 36         |                       |
|         | वाटर वर्क्स-रोहतक-समचाना-II | समचाना                          |                   |           |                   |                              |              |          |               |               |                                     |                  |                    |            |                       |

## परिशिष्ट-12

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2.1; पृष्ठ 32)

## 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की पानी की आवश्यकता के विरुद्ध कम स्वीकृत डिस्चार्ज वाले वाटर वर्क्स/मामले

| जिला     | मंडल     | वाटर वर्क्स का नाम                 | गांव का नाम | ओ आरओ    | सिंचाई नहर का नाम | इन्लेट नहर का प्रकार (सीएसवी) | नहर बंद हेतु | नहर चलना | दर्ज जनसंख्या | जनसंख्या 2021 | दैनिक पानी की आवश्यकता + 15 प्रतिशत | ओरिजनल डिस्चार्ज | अभ्युक्ति डिस्चार्ज | कम स्वीकृत | कम स्वीकृत का प्रतिशत |  |
|----------|----------|------------------------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|--|
| फतेहाबाद | फतेहाबाद | वाटर वर्क्स-मतेहाबाद-गोरखपुर-शुना  | गोरखपुर     | 139258एल | फतेहाबाद बांच     | बांच                          | 15           | 15       | 13,068        | 15,682        | 12,62,401                           | 0.36             | 1.03                | 0.67       | 65                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-मतेहाबाद-बड़ोपाल ओल्ड  | बड़ोपाल     | 183550एल | फतेहाबाद बांच     | बांच                          | 15           | 15       | 7,000         | 8,400         | 6,76,200                            | 0.48             | 0.55                | 0.07       | 13                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स                        |             |          |                   |                               |              |          |               |               |                                     |                  |                     |            |                       |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-मतेहाबाद-चौबारा        | चौबारा      | 27944/आर | खजूरी             | डिस्ट्रीब्यूटरी               | 15           | 15       | 2,387         | 2,864         | 2,30,552                            | 0.10             | 0.19                | 0.09       | 47                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-मतेहाबाद-भट्ट कलां     | भट्ट कलां   | 265966एल | फतेहाबाद बांच     | बांच                          | 25           | 5        | 9,557         | 11,468        | 9,23,174                            | 0.90             | 2.26                | 1.36       | 60                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-मसूदपुर-होसी-न   | मसूदपुर     | 7800-एल  | नया मसूदपुर       | माइनर                         | 16           | 8        | 7,980         | 9,576         | 7,70,868                            | 0.54             | 0.95                | 0.41       | 43                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-धरम खेड़ी        | धरम खेड़ी   | 29545    | जामनी खेड़ा       | माइनर                         | 24           | 8        | 3,065         | 3,678         | 2,96,079                            | 0.36             | 0.48                | 0.12       | 25                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-सोरखी            | सोरखी       | 175552आर | सुंदर सब-बांच     | सब-बांच                       | 24           | 8        | 5,321         | 6,385         | 5,13,993                            | 0.60             | 0.84                | 0.24       | 29                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-सिंहवा राधो      | सिंहवा राधो | 22800-एल | खरकड़ी            | डिस्ट्रीब्यूटरी               | 16           | 8        | 3,095         | 3,714         | 2,98,977                            | 0.25             | 0.37                | 0.12       | 32                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-चानोत            | चानोत       | 1400-एल  | खरकड़ी            | डिस्ट्रीब्यूटरी               | 16           | 8        | 5,269         | 6,323         | 5,09,002                            | 0.60             | 0.62                | 0.02       | 3                     |  |
| हिसार    | हिसार    | वाटर वर्क्स-हिसार-भाटला            | भाटला       | 12000-एल | बालसमंद           | सब-बांच                       | 24           | 8        | 5,848         | 7,018         | 5,64,949                            | 0.08             | 0.92                | 0.84       | 91                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-मुजादपुर         | मुजादपुर    | 89950-एल | सुंदर             | डिस्ट्रीब्यूटरी               | 24           | 8        | 3,439         | 4,127         | 3,32,224                            | 0.35             | 0.54                | 0.19       | 35                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-गुराना           | गुराना      | 15000-एल | बवाला             | बांच                          | 16           | 8        | 7,691         | 9,229         | 7,42,935                            | 0.50             | 0.91                | 0.41       | 45                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-राखी खास         | राखी खास    | 25500-एल | बालसमंद           | सब-बांच                       | 24           | 8        | 5,202         | 6,242         | 5,02,481                            | 0.60             | 0.82                | 0.22       | 27                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-कोठ कलां         | कोठ कलां    | 26690-आर | नारा              | डिस्ट्रीब्यूटरी               | 16           | 8        | 9,558         | 11,470        | 9,23,335                            | 0.40             | 1.13                | 0.73       | 65                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-दत्ता            | दत्ता       | 45813-एल | दत्ता             | डिस्ट्रीब्यूटरी               | 16           | 8        | 9,539         | 11,447        | 9,21,484                            | 0.50             | 1.13                | 0.63       | 56                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-बडाला-दोसी-न     | बडाला       | 13200-एल | रेस्टोरेशन सोरखी  | माइनर                         | 24           | 8        | 4,856         | 5,827         | 4,69,074                            | 0.50             | 0.77                | 0.27       | 35                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-खेड़ी गगन        | खेड़ी गगन   | 70340-आर | पनिहारीमसूदपुर    | चैनल                          | 24           | 8        | 3,361         | 4,033         | 3,24,657                            | 0.30             | 0.53                | 0.23       | 43                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-आना-अग्रोहा      | आना         | 14850-आर | सारंगपुर          | माइनर                         | 24           | 8        | 4,094         | 4,913         | 3,95,497                            | 0.57             | 0.65                | 0.08       | 12                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-सीसवाल           | सीसवाल      | 12000-एल | मोडा खेड़ा        | माइनर                         | 24           | 8        | 10,294        | 12,353        | 9,94,417                            | 0.80             | 1.63                | 0.83       | 51                    |  |
| हिसार-1  | हिसार-1  | वाटर वर्क्स-हिसार-कोहेली           | कोहेली      | 8852-एल  | किसानगढ़          | सब-बांच                       | 24           | 8        | 4,631         | 5,557         | 4,47,339                            | 0.20             | 0.73                | 0.53       | 73                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-दरौली            | दरौली       | 19800-आर | किसानगढ़ लिंक     | चैनल                          | 24           | 8        | 3,310         | 3,972         | 3,19,746                            | 0.11             | 0.52                | 0.41       | 79                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-कालीरावन         | कालीरावन    | 22000-आर | जाखोद             | डिस्ट्रीब्यूटरी               | 24           | 8        | 8,627         | 10,352        | 8,33,336                            | 0.50             | 1.36                | 0.86       | 63                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-न्योली कलां      | न्योली कलां | 102430आर | राना              | डिस्ट्रीब्यूटरी               | 32           | 8        | 5,668         | 6,802         | 5,47,561                            | 0.65             | 1.12                | 0.47       | 42                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-सदेलपुर          | सदेलपुर     | 25950-एल | चिबरवाल           | माइनर                         | 24           | 8        | 14,415        | 17,298        | 13,92,489                           | 0.85             | 2.28                | 1.43       | 63                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-खैरमपुर          | खैरमपुर     | 8500-आर  | कोहेली            | माइनर                         | 21           | 8        | 4,367         | 5,240         | 4,21,820                            | 0.62             | 0.63                | 0.01       | 2                     |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-सारंगपुर-अग्रोहा | सारंगपुर    | 22000-आर | खैरमपुर           | माइनर                         | 24           | 8        | 3,957         | 4,748         | 3,82,214                            | 0.35             | 0.62                | 0.27       | 44                    |  |
|          |          | वाटर वर्क्स-हिसार-मात्र श्याम      | मात्र श्याम | 126340एल | कबीर              | माइनर                         | 24           | 8        | 3,617         | 4,340         | 3,49,370                            | 0.35             | 0.57                | 0.22       | 39                    |  |

| जिला                              | मंडल            | वाटर वर्क्स का नाम                   | गांव का नाम             | ओ आरओ    | सिंचाई नहर का नाम | इन्फ्लेट नहर का प्रकार (सीएसवी) | नहर बंद होने का कारण | नहर चलाना | दर्ज जनसंख्या | जनसंख्या 2021 | दैनिक पानी की आवश्यकता + 15 प्रतिशत | ओरिजनल डिस्चार्ज | अपेक्षित डिस्चार्ज | कम स्वीकृत | कम स्वीकृत का प्रतिशत |     |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|-----|
| हिंसा-2                           |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-भीडिया बिश्नोइयां  | भीडिया खेड़ा बिश्नोइयां | 39550-एल | आदमपुर            | डिस्ट्रीब्यूटरी                 | 21                   | 7         | 3,278         | 3,934         | 3,16,687                            | 0.20             | 0.52               | 0.32       | 62                    |     |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-डोभल               | डोभल                    | 47000-एल | चौधरी             | माइनर                           | 24                   | 8         | 6,999         | 8,399         | 6,76,120                            | 0.80             | 1.11               | 0.31       | 28                    |     |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-शाहपुर             | शाहपुर                  | 12000-आर | कबीर              | माइनर                           | 24                   | 8         | 5,559         | 6,671         | 5,37,016                            | 0.46             | 0.88               | 0.42       | 48                    |     |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-सरसाना-हिंसा-1     | सरसाना                  | 11000-एल | बस्ता             | सब-माइनर                        | 24                   | 8         | 4,269         | 5,123         | 4,12,402                            | 0.60             | 0.67               | 0.07       | 10                    |     |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-लंढेड़ी            | लंढेड़ी मुखलबरान        | 143900एल | परबा              | सब-ब्रांच                       | 24                   | 8         | 5,770         | 6,924         | 5,57,382                            | 0.50             | 0.91               | 0.41       | 45                    |     |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-बुराक              | बुराक                   | 26000-एल | बुराक             | बुराक                           | 24                   | 8         | 3,737         | 4,484         | 3,60,962                            | 0.50             | 0.59               | 0.09       | 15                    |     |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-बदहेड़ी            | बदहेड़ी                 | 9000-आर  | बुराक             | बुराक                           | 24                   | 8         | 3,589         | 4,307         | 3,46,714                            | 0.14             | 0.57               | 0.43       | 75                    |     |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-आर्य नगर (कुरी)    | आर्य नगर                | 8825-आर  | सरसाना            | रतिया ब्रांच                    | 24                   | 8         | 8,181         | 9,817         | 7,90,269                            | 1.22             | 1.29               | 0.07       | 5                     |     |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-बालसमंद (ओल्ड)     | बालसमंद                 | 0        | बालसमंद           | बालसमंद                         | 24                   | 8         | 11,035        | 13,242        | 10,65,981                           | 0                | 1.74               | 1.74       | 0.00                  | 100 |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-कैमरी              | कैमरी                   | 28850-एल | बालसमंद           | बालसमंद                         | 24                   | 8         | 11,035        | 13,242        | 10,65,981                           | 1.00             | 1.74               | 1.74       | 0.00                  | 43  |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-चौधरीवास           | चौधरीवास                | 21415-आर | कैमरी             | देवसर                           | फीडर                 | 16        | 8             | 8,399         | 10,079                              | 8,11,360         | 0.50               | 1          | 0.5                   | 50  |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-कालुवास            | कालुवास                 | 9400     | चौधरीवास          | चौधरीवास                        | माइनर                | 24        | 8             | 5,898         | 7,078                               | 5,69,779         | 0.91               | 0.93       | 0.02                  | 2   |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-देवन               | देवन                    | 45500-आर | कालुवास           | देवसर                           | फीडर                 | 21        | 7             | 3,301         | 3,961                               | 3,18,861         | 0.42               | 0.52       | 0.10                  | 19  |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-कानोहे             | कानोहे                  | 32800-आर | देवन              | देवसर                           | फीडर                 | 32        | 8             | 2,136         | 2,563                               | 2,06,322         | 0.18               | 0.42       | 0.24                  | 57  |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-सिवानी बोलां       | सिवानी बोलां            | 96425-एल | कानोहे            | पाबरा                           | डिस्ट्रीब्यूटरी      | 21        | 7             | 6,512         | 7,814                               | 6,29,027         | 0.20               | 1.03       | 0.83                  | 81  |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-खेड़ी बरकी         | खेड़ी बरकी              | 14750-एल | सिवानी बोलां      | देहमन                           | डिस्ट्रीब्यूटरी      | 21        | 7             | 6,760         | 8,112                               | 6,53,016         | 0.30               | 1.07       | 0.77                  | 72  |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-नंगथला             | नंगथला                  | 32300-आर | खेड़ी बरकी        | राना                            | डिस्ट्रीब्यूटरी      | 24        | 8             | 3,839         | 4,607                               | 3,70,864         | 0.28               | 0.61       | 0.33                  | 54  |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-गावड़              | गावड़                   | 130400एल | नंगथला            | पाबरा                           | डिस्ट्रीब्यूटरी      | 24        | 8             | 10,617        | 12,740                              | 10,25,570        | 1.32               | 1.68       | 0.36                  | 21  |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-चिरौड़             | चिरौड़                  | 4000-आर  | गावड़             | गावर                            | माइनर                | 32        | 8             | 2,868         | 3,442                               | 2,77,081         | 0.24               | 0.57       | 0.33                  | 58  |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-असरान              | असरान                   | 57000-एल | चिरौड़            | देवसर                           | फीडर                 | 32        | 8             | 3,044         | 3,653                               | 2,94,067         | 0.50               | 0.60       | 0.10                  | 17  |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-किरतन              | किरतन                   | 12000-एल | असरान             | जाखोद                           | डिस्ट्रीब्यूटरी      | 21        | 7             | 2,964         | 3,557                               | 2,86,339         | 0                  | 0.47       | 0.47                  | 100 |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-जाखोद खेड़ा        | जाखोद खेड़ा             | 27000-एल | किरतन             | कबीर                            | माइनर                | 32        | 8             | 4,450         | 5,340                               | 4,29,870         | 0.63               | 0.88       | 0.25                  | 28  |
|                                   |                 | वाटर वर्क्स-हिंसा-बुगाना             | बुगाना                  | 17600-आर | जाखोद खेड़ा       | सीसवाल नंबर 1                   | सब-माइनर             | 21        | 7             | 3,647         | 4,376                               | 3,52,268         | 0.44               | 0.58       | 0.14                  | 24  |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-बहबलपुर-बरवाला  | बहबलपुर         | 5450-एल                              | बुगाना                  | धांसू    | माइनर             | 24                              | 8                    | 2,883     | 3,460         | 2,78,530      | 0.20                                | 0.46             | 0.26               | 57         |                       |     |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-तालवडी राणा     | तालवडी राणा     | 28000-एल                             | बहबलपुर                 | राना     | डिस्ट्रीब्यूटरी   | 24                              | 8                    | 5,160     | 6,192         | 4,98,456      | 0.60                                | 0.82             | 0.22               | 27         |                       |     |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-सतरोड कलां      | सतरोड कलां      | 59600-आर                             | तालवडी राणा             | राना     | डिस्ट्रीब्यूटरी   | 24                              | 8                    | 5,740     | 6,888         | 5,54,484      | 0.14                                | 0.91             | 0.77               | 85         |                       |     |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-रायपुर-हिंसा-1  | रायपुर          | 64368-एल                             | सतरोड कलां              | बालसमंद  | सब-ब्रांच         | 24                              | 8                    | 11,932    | 14,318        | 11,52,599     | 0.33                                | 1.88             | 1.55               | 82         |                       |     |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-निजापुर-हिंसा-1 | निजापुर         | 56200-एल                             | रायपुर                  | बालसमंद  | सब-ब्रांच         | 24                              | 8                    | 5,000     | 6,000         | 4,83,000      | 0.25                                | 0.79             | 0.54               | 68         |                       |     |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-बंभोरी          | बंभोरी          | 1000-आर                              | निजापुर                 | माइनर    | माइनर             | 32                              | 8                    | 5,000     | 6,000         | 4,83,000      | 0.60                                | 0.99             | 0.39               | 39         |                       |     |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-शाहबाजपुर खालसा | शाहबाजपुर खालसा | 70000-एल                             | बंभोरी                  | चौधरी    | माइनर             | 24                              | 8                    | 4,407     | 5,288         | 4,25,684      | 0.39                                | 0.70             | 0.31               | 44         |                       |     |
| रेवाड़ी-1                         |                 | वाटर वर्क्स-रेवाड़ी- शाहबाजपुर खालसा | शाहबाजपुर खालसा         | 1,760/एल | जंडवाला           | डिस्ट्रीब्यूटरी                 | 27                   | 7         | 1,729         | 2,075         | 1,67,038                            | 0                | 0.33               | 0.33       | 100                   |     |

परिशिष्ट-13  
(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2.2; पृष्ठ 33)

भंडारण और अवसादन टैंकों की कम क्षमता वाले मामले जहां पानी की आवश्यकता 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है

| जिला  | मंडल का नाम                                  | वाटर वर्क्स का नाम        | गांव का नाम | ओरिजनल डिस्चार्ज | अपेक्षित डिस्चार्ज | नहर चलना | नहर बंद होना | दर्ज जनसंख्या | जनसंख्या 2021 | दैनिक पानी की आवश्यकता + 15 प्रतिशत | एस एंड एस टैंक की क्षमता | समापन दिवस के दौरान पानी की आवश्यकता + 15 प्रतिशत | कम क्षमता | प्रतिशत |
|-------|--|---------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------|---------|
| रोहतक | रोहतक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नंबर 1 | वाटर वर्क्स-रोहतक-बालंद-2 | बालंद       | 1.69             | 0.88               | 8        | 24           | 7,129         | 8,555         | 5,41,104                            | 81,43,230                | 1,29,86,490                                       | 48,43,260 | 37      |
|       |  | वाटर वर्क्स-रोहतक-डोभ     | डोभ         | 1.00             | 0.45               | 8        | 24           | 3,628         | 4,354         | 2,75,391                            | 23,44,566                | 66,09,372   | 42,64,806 | 65      |

परिशिष्ट-14

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.2.2; पृष्ठ 33)

भंडारण और अवसादन टैंकों की कम क्षमता वाले मामले जहां पानी की आवश्यकता 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है

| जिला     | मंडल का नाम                              | वाटर वर्क्स का नाम                             | गांव का नाम      | ओरिजनल डिस्चार्ज | अधिकृत डिस्चार्ज | नहर चलना | नहर बंद होना | दर्ज जनसंख्या | जनसंख्या 2021 | दैनिक पानी की आवश्यकता + 15 प्रतिशत | एस एंड एस टैंक की क्षमता | समापन दिवस के दौरान पानी की आवश्यकता + 15 प्रतिशत | कम क्षमता   | प्रतिशत |
|----------|--|--|------------------|------------------|------------------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------|---------|
| फतेहाबाद | फतेहाबाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | वाटर वर्क्स-फतेहाबाद-बड़ोपल पुराना वाटर वर्क्स | बड़ोपल           | 0.48             | 0.55             | 15       | 15           | 7,000         | 8,400         | 6,76,200                            | 30,25,000                | 1,01,43,000                                       | 71,18,000   | 70      |
|          |  | वाटर वर्क्स-फतेहाबाद-बनावली सोनर नहर आधारित    | बनावली सोनर      | 0.51             | 0.16             | 15       | 15           | 2,000         | 2,400         | 1,93,200                            | 3,14,604                 | 28,98,000   | 25,83,396   | 89      |
|          |  | वाटर वर्क्स-फतेहाबाद-बौघर                      | बौघर             | 0.45             | 0.47             | 15       | 15           | 6,000         | 7,200         | 5,79,600                            | 67,49,050                | 86,94,000   | 19,44,950   | 22      |
|          |  | वाटर वर्क्स-फतेहाबाद-दाणी मुसावली              | मुसावली          | 1.26             | 0.65             | 15       | 15           | 8,178         | 9,814         | 7,90,027                            | 80,75,298                | 1,18,50,405                                       | 37,75,107   | 32      |
|          |  | वाटर वर्क्स-फतेहाबाद-गोरखपुर-भूना              | गोरखपुर          | 0.36             | 1.03             | 15       | 15           | 13,068        | 15,682        | 12,62,401                           | 1,75,12,710              | 1,89,36,015                                       | 14,23,305   | 8       |
|          |  | वाटर वर्क्स-फतेहाबाद-जंडवाला सोत्तर (न्यू)     | जंडवाला सोत्तर   | 0.80             | 0.22             | 15       | 15           | 2,800         | 3,360         | 2,70,480                            | 22,70,700                | 40,57,200   | 17,86,500   | 44      |
|          |  | वाटर वर्क्स-फतेहाबाद-मोहम्मद पुर रोही          | मोहम्मद पुर रोही | 0.57             | 0.47             | 15       | 15           | 6,000         | 7,200         | 5,79,600                            | 85,47,962                | 86,94,000   | 1,46,038    | 2       |
|          |  | वाटर वर्क्स-फतेहाबाद-मेहवाला                   | मेहवाला          | 2.25             | 0.31             | 30       | 8            | 6,253         | 7,504         | 6,04,072                            | 43,14,383                | 48,32,576   | 5,18,193    | 11      |
|          |  | वाटर वर्क्स-हिसार-बडाला-हांसी-II               | बडाला            | 0.50             | 0.77             | 8        | 24           | 4,856         | 5,827         | 4,69,074                            | 33,73,053                | 1,12,57,764                                       | 78,84,711   | 70      |
|          |  | वाटर वर्क्स-हिसार-भकलाना 1                     | भकलाना           | 1.00             | 0.69             | 8        | 24           | 4,388         | 5,266         | 4,23,913                            | 34,99,250                | 1,01,73,912                                       | 66,74,662   | 66      |
| हिसार    | हिसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग    | वाटर वर्क्स-हिसार-भाटला                        | भाटला            | 0.08             | 0.92             | 8        | 24           | 5,848         | 7,018         | 5,64,949                            | 1,18,29,503              | 1,35,58,776                                       | 17,29,273   | 13      |
|          |  | वाटर वर्क्स-हिसार-दाणी पीरवाली                 | दाणी पीरवाली     | 0.86             | 1.58             | 8        | 24           | 10,000        | 12,000        | 9,66,000                            | 93,61,333                | 2,31,84,000                                       | 1,38,22,667 | 60      |
|          |  | वाटर वर्क्स-हिसार-घिराय                        | घिराय            | 1.76             | 0.83             | 8        | 16           | 7,023         | 8,428         | 6,78,454                            | 22,16,050                | 1,08,55,264                                       | 86,39,214   | 80      |
|          |  | वाटर वर्क्स-हिसार-खेड़ी गगन                    | खेड़ी गगन        | 0.30             | 0.53             | 8        | 24           | 3,361         | 4,033         | 3,24,657                            | 64,77,000                | 77,91,756   | 13,14,756   | 17      |
|          |  | वाटर वर्क्स-हिसार-कुतबपुर-हांसी-I              | कुतबपुर          | 1.15             | 0.68             | 8        | 24           | 4,300         | 5,160         | 4,15,380                            | 95,45,000                | 99,69,120   | 4,24,120    | 4       |
|          |  | वाटर वर्क्स-हिसार-मदन हेड़ी                    | मदन हेड़ी        | 1.00             | 0.79             | 8        | 24           | 4,974         | 5,969         | 4,80,505                            | 1,06,02,000              | 1,15,32,108                                       | 9,30,108    | 8       |
|          |  | वाटर वर्क्स-हिसार-माजौद                        | माजौद            | 0.47             | 0.40             | 8        | 24           | 2,537         | 3,044         | 2,45,042                            | 49,56,700                | 58,81,008   | 9,24,308    | 16      |
|          |  | वाटर वर्क्स-हिसार-सिंहवा खास                   | सिंहवा खास       | 1.56             | 0.78             | 8        | 24           | 4,962         | 5,954         | 4,79,297                            | 96,61,066                | 1,15,03,128                                       | 18,42,062   | 16      |
|          |  | वाटर वर्क्स-हिसार-सीसर                         | सीसर             | 1.00             | 0.64             | 8        | 24           | 4,047         | 4,856         | 3,90,908                            | 75,16,800                | 93,81,792   | 18,64,992   | 20      |

| जिला  | मंडल का नाम       | वाटर वर्क्स का नाम  | गांव का नाम       | ओरिजनल डिस्चार्ज                | अपेक्षित डिस्चार्ज | नहर चलना | नहर बंद होना | दर्ज जनसंख्या | जनसंख्या 2021 | दैनिक पानी की आवश्यकता + 15 प्रतिशत | एस एंड एस टैंक की क्षमता | समापन दिवस के दौरान पानी की आवश्यकता + 15 प्रतिशत | कम क्षमता   | प्रतिशत     |          |
|---|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|----------|
| हिंसा<br>जन<br>स्वास्थ्य<br>अभियांत्रिकी<br>विभाग<br>नंबर 1 |                   | वाटर वर्क्स-हिंसा-सुलचनी                                    | सुलचनी            | 1.16                            | 0.55               | 8        | 24           | 3,478         | 4,174         | 3,36,007                            | 62,72,070                | 80,64,168   | 17,92,098   | 22          |          |
|   |                   | वाटर वर्क्स-फतेहाबाद-चुर्द चुर्द (हिंसा)                    | चुर्द             | 0.00                            | 0.36               | 7        | 21           | 2,299         | 2,759         | 2,22,100                            | 2,70,000                 | 46,64,090   | 43,94,090   | 94          |          |
|   |                   | वाटर वर्क्स-हिंसा-दूसरा वाटर वर्क्स सदलपुर                  | सदलपुर            | 0.75                            | 2.85               | 8        | 32           | 14,415        | 17,298        | 13,92,489                           | 2,06,05,698              |   | 4,45,59,648 | 2,39,53,950 | 54       |
|   |                   | वाटर वर्क्स-हिंसा-बालसमंद (ओल्ड)                            | बालसमंद           | 0.00                            | 3.48               | 8        | 24           | 11,035        | 13,242        | 10,65,981                           | 2,18,37,000              | 2,55,83,544                                       | 37,46,544   | 15          |          |
|   |                   | वाटर वर्क्स-हिंसा-बदहेड़ी                                   | बदहेड़ी           | 0.14                            | 0.57               | 8        | 24           | 3,589         | 4,307         | 3,46,714                            | 25,06,000                | 83,21,124   | 58,15,124   | 70          |          |
|   |                   | वाटर वर्क्स-हिंसा-भाना-अग्रोहा                              | भाना              | 0.57                            | 0.65               | 8        | 24           | 4,094         | 4,913         | 3,95,497                            | 83,66,340                | 94,91,916   | 11,25,576   | 12          |          |
|   |                   | वाटर वर्क्स-हिंसा-बुराक                                     | बुराक             | 0.50                            | 0.59               | 8        | 24           | 3,737         | 4,484         | 3,60,962                            | 85,39,000                | 86,63,088   | 1,24,088    | 1           |          |
|   |                   | वाटर वर्क्स-हिंसा-चिरौड़                                    | चिरौड़            | 0.50                            | 0.60               | 8        | 32           | 3,044         | 3,653         | 2,94,067                            | 11,07,000                | 94,10,128   | 83,03,128   | 88          |          |
|   |                   | वाटर वर्क्स-हिंसा-दरौली                                     | दरौली             | 0.11                            | 0.52               | 8        | 24           | 3,310         | 3,972         | 3,19,746                            | 72,25,480                | 76,73,904   | 4,48,424    | 6           |          |
|   |                   | वाटर वर्क्स-हिंसा-सिविल एपिथेशन क्लब हिंसा                  | अंबली             | 0.35                            | 0.25               | 8        | 16           | 2,152         | 2,582         | 2,07,851                            | 33,07,837                | 33,25,616   | 17,779      | 1           |          |
|   |                   | वाटर वर्क्स-हिंसा-जगन                                       | जगन               | 1.20                            | 0.58               | 8        | 32           | 2,926         | 3,511         | 2,82,636                            | 61,97,560                | 90,44,336   | 28,46,776   | 31          |          |
|   |                   | वाटर वर्क्स-हिंसा-लंढेड़ी                                   | लंढेड़ी           | 0.50                            | 0.91               | 8        | 24           | 5,770         | 6,924         | 5,57,382                            | 1,33,66,883              | 1,33,77,168                                       | 10,285      | 0           |          |
|   |                   | वाटर वर्क्स-हिंसा-संदोल                                     | सुखलबरान<br>संदोल | 1.00                            | 0.22               | 8        | 24           | 1,387         | 1,664         | 1,33,952                            | 27,53,802                | 32,14,848   | 4,61,046    | 14          |          |
|   |                   | वाटर वर्क्स-हिंसा-सारगपुर-अग्रोहा                           | सारगपुर           | 0.35                            | 0.62               | 8        | 24           | 3,957         | 4,748         | 3,82,214                            | 86,06,886                | 91,73,136   | 5,66,250    | 6           |          |
|   |                   | हिंसा<br>जन<br>स्वास्थ्य<br>अभियांत्रिकी<br>विभाग<br>नंबर 2 |                   | वाटर वर्क्स-हिंसा-बड़ा ब्राह्मण | बड़ा ब्राह्मण      | 0.43     | 0.43         | 8             | 32            | 2,155                               | 2,586                    | 2,08,173  | 61,14,018   | 66,61,536   | 5,47,518 |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-बंभोरी                                    | बंभोरी            |   |                   | 0.39                            | 0.70               | 8        | 24           | 4,407         | 5,288         | 4,25,684                            | 61,14,018                | 1,02,16,416                                       | 41,02,398   | 40          |          |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-भैनी बादशाहपुर                            | भैनी<br>बादशाहपुर |   |                   | 0.58                            | 0.53               | 8        | 24           | 3,387         | 4,064         | 3,27,152                            | 64,84,482                | 78,51,648   | 13,67,166   | 17          |          |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-भैरी अकबरपुर                              | भैरी<br>अकबरपुर   |   |                   | 0.71                            | 0.77               | 8        | 24           | 4,892         | 5,870         | 4,72,535                            | 91,39,180                | 1,13,40,840                                       | 22,01,660   | 19          |          |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-बियाना खेड़ा                              | बियाना खेड़ा      |   |                   | 0.48                            | 0.63               | 8        | 24           | 3,965         | 4,758         | 3,83,019                            | 25,89,988                | 91,92,456   | 66,02,468   | 72          |          |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-बिठमड़ा                                   | बिठमड़ा           |   |                   | 2.39                            | 1.79               | 8        | 24           | 11,311        | 13,573        | 10,92,627                           | 2,31,18,249              | 2,62,23,036                                       | 31,04,787   | 12          |          |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-बोबुआ                                     | बोबुआ             |   |                   | 0.75                            | 0.81               | 8        | 24           | 5,158         | 6,190         | 4,98,295                            | 87,16,800                | 1,19,59,080                                       | 32,42,280   | 27          |          |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-चरनौद                                     | चरनौद             |   |                   | 2.00                            | 0.17               | 8        | 24           | 1,087         | 1,304         | 1,04,972                            | 7,50,000                 | 25,19,328   | 17,69,328   | 70          |          |
| वाटर वर्क्स-हिंसा-धांस्                                     | धांस्             |   |                   | 0.52                            | 1.30               | 8        | 24           | 8,248         | 9,898         | 7,96,789                            | 1,41,10,660              | 1,91,22,936                                       | 50,12,276   | 26          |          |

| जिला                             | मंडल का नाम | वाटर वर्क्स का नाम              | गाव का नाम  | ओरिजनल डिस्चार्ज              | अपेक्षित डिस्चार्ज | नहर चलना | नहर बंद होना | दर्ज जनसंख्या | जनसंख्या 2021 | दैनिक पानी की आवश्यकता + 15 प्रतिशत | एस एंड एस टैंक की क्षमता | समापन दिवस के दौरान पानी की आवश्यकता + 15 प्रतिशत | कम क्षमता   | प्रतिशत     |           |     |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-----|
| रेवाड़ी                          |             | वाटर वर्क्स-हिसार-दौलतपुर       | दौलतपुर     | 0.88                          | 0.93               | 8        | 24           | 5,890         | 7,068         | 5,68,974                            | 1,14,01,048              | 1,36,55,376                                       | 22,54,328   | 17          |           |     |
|                                  |             | वाटर वर्क्स-हिसार-गौबीपुर       | गौबीपुर     | 0.92                          | 0.90               | 8        | 24           | 5,693         | 6,832         | 5,49,976                            | 1,18,38,792              | 1,31,99,424                                       | 13,60,632   | 10          |           |     |
|                                  |             | वाटर वर्क्स-हिसार-खेदड़         | खेदड़       | 0.27                          | 2.98               | 8        | 24           | 9,447         | 11,336        | 9,12,548                            | 1,84,25,954              | 4,38,02,304                                       | 2,53,76,350 | 58          |           |     |
|                                  |             | वाटर वर्क्स-हिसार-खोखा          | खोखा        | 1.80                          | 0.39               | 8        | 24           | 2,490         | 2,988         | 2,40,534                            | 51,07,500                | 57,72,816   | 6,65,316    | 12          |           |     |
|                                  |             | वाटर वर्क्स-हिसार-लितानी        | लितानी      | 0.40                          | 0.96               | 8        | 24           | 6,070         | 7,284         | 5,86,362                            | 1,32,46,471              | 1,40,72,688                                       | 8,26,217    | 6           |           |     |
|                                  |             | वाटर वर्क्स-हिसार-पनिहारी       | पनिहारी     | 0.93                          | 0.70               | 8        | 24           | 4,459         | 5,351         | 4,30,756                            | 92,70,112                | 1,03,38,132                                       | 10,68,020   | 10          |           |     |
|                                  |             | वाटर वर्क्स-हिसार-प्रभुवाला     | प्रभुवाला   | 0.90                          | 1.01               | 8        | 24           | 6,386         | 7,663         | 6,16,872                            | 1,45,49,065              | 1,48,04,916                                       | 2,55,851    | 2           |           |     |
|                                  |             | वाटर वर्क्स-हिसार-राजली         | राजली       | 0.70                          | 1.28               | 8        | 24           | 8,089         | 9,707         | 7,81,414                            | 1,39,09,424              | 1,87,53,924                                       | 48,44,500   | 26          |           |     |
|                                  |             | वाटर वर्क्स-हिसार-साहू          | साहू        | 0.11                          | 0.54               | 8        | 24           | 3,448         | 4,138         | 3,33,109                            | 75,22,213                | 79,94,616   | 4,72,403    | 6           |           |     |
|                                  |             | वाटर वर्क्स-हिसार-सतरोड कलां    | सतरोड कलां  | 0.33                          | 1.88               | 8        | 24           | 11,932        | 14,318        | 11,52,599                           | 2,30,75,963              | 2,76,62,376                                       | 45,86,413   | 17          |           |     |
|                                  |             | वाटर वर्क्स-हिसार-सुलखनी        | सुलखनी      | 0.50                          | 0.43               | 8        | 24           | 2,751         | 3,301         | 2,65,731                            | 5,88,725                 | 63,77,532   | 57,88,807   | 91          |           |     |
|                                  |             | वाटर वर्क्स-हिसार-सरहेड़ा       | सरहेड़ा     | 0.54                          | 0.43               | 8        | 24           | 2,695         | 3,234         | 2,60,337                            | 60,23,104                | 62,48,088   | 2,24,984    | 4           |           |     |
|                                  |             | वाटर वर्क्स-हिसार-सुरेवाला      | सुरेवाला    | 0.37                          | 0.60               | 8        | 24           | 3,799         | 4,559         | 3,67,000                            | 82,86,408                | 88,07,988   | 5,21,580    | 6           |           |     |
|                                  |             | वाटर वर्क्स-रेवाड़ी-दाहिना न्यू | दाहिना न्यू | 1.27                          | 1.27               | 7        | 24           | 7,246         | 8,695         | 6,99,948                            | 49,15,200                | 1,67,98,740                                       | 1,18,83,540 | 71          |           |     |
|                                  |             | वाटर वर्क्स-रेवाड़ी-मुंडी       | मुंडी       | 2.47                          | 0.50               | 8        | 24           | 3,163         | 3,796         | 3,05,578                            | 63,72,325                | 73,33,872   | 9,61,547    | 13          |           |     |
|                                  |             | फतेहाबाद                        |             | वाटर वर्क्स-फतेहाबाद-कन्हेंडी | कन्हेंडी           | 1.89     | 0.98         | 8             | 24            | 6,207                               | 7,448                    | 5,99,564  | 46,06,000   | 1,43,89,536 | 97,83,536 | 68  |
|                                  |             |                                 |             | वाटर वर्क्स-फतेहाबाद-लधुवास   | लधुवास             | 1.26     | 0.20         | 16            | 16            | 2,505                               | 3,006                    | 2,41,983  | 16,720      | 38,71,728   | 38,55,008 | 100 |
| वाटर वर्क्स-फतेहाबाद-नागपुर      | नागपुर      |                                 |             | 1.47                          | 1.07               | 8        | 24           | 6,748         | 8,098         | 6,51,889                            | 1,15,65,758              | 1,56,45,336                                       | 40,79,578   | 26          |           |     |
| वाटर वर्क्स-फतेहाबाद-नांगल-रतिया | नांगल-रतिया |                                 |             | 0.49                          | 0.34               | 15       | 15           | 4,279         | 5,135         | 4,13,368                            | 28,19,681                | 62,00,513   | 33,80,832   | 55          |           |     |

## परिशिष्ट-15

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.5.1; पृष्ठ 39)

## हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में पानी के कनेक्शनों के विवरण

| जिला<br>का नाम | कुल उपभोक्ता<br>(ए=बी+ई+एफ+आई) | घरेलू लाभार्थी                    |                           |                                |                     | घरेलू लाभार्थी के अलावा               |                           |                                |                      |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                |                                | कनेक्शनों की संख्या<br>(बी=सी+डी) | मीटर वाले<br>कनेक्शन (सी) | बिना मीटर वाले<br>कनेक्शन (डी) | अवैध<br>कनेक्शन (ई) | कनेक्शनों की संख्या<br>(एफ = जी + एच) | मीटर वाले<br>कनेक्शन (जी) | बिना मीटर वाले<br>कनेक्शन (एच) | अवैध<br>कनेक्शन (आई) |
| हिसार          | 15,454                         | 14,681                            | 13,142                    | 1,539                          | 0                   | 773                                   | 594                       | 179                            | 0                    |
| पंचकुला        | 32,493                         | 30,186                            | 15,517                    | 14,671                         | 0                   | 2,307                                 | 1,728                     | 577                            | 0                    |
| फरीदाबाद       | 5,583                          | 4,950                             | 586                       | 4,364                          | 0                   | 633                                   | 218                       | 415                            | 0                    |
| रेवाड़ी        | 6,541                          | 6,529                             | 6,529                     | 0                              | 0                   | 12                                    | 12                        | 0                              | 0                    |
| रोहतक          | 7,944                          | 7,755                             | 7,755                     | 0                              | 26                  | 162                                   | 162                       | 0                              | 1                    |
| करनाल          | 16,815                         | 15,793                            | 6,149                     | 9,644                          | 553                 | 407                                   | 184                       | 223                            | 62                   |
| फतेहाबाद       | 700                            | 674                               | 625                       | 49                             | 0                   | 26                                    | 21                        | 5                              | 0                    |
| <b>कुल</b>     | <b>85,530</b>                  | <b>80,568</b>                     | <b>50,303</b>             | <b>30,267</b>                  | <b>579</b>          | <b>4,320</b>                          | <b>2,919</b>              | <b>1,399</b>                   | <b>63</b>            |

परिशिष्ट-16

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.1; पृष्ठ 45)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और एसआरआई प्रयोगशाला द्वारा प्रतिकूल बैक्टीरियोलॉजिकल जांच रिपोर्ट (टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया)

| क्र. सं. | कार्यालय/विभाग का नाम                        | स्थान का नाम   | ग्रामीण/शहरी | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के परिणाम | एसआरआई के परिणाम |
|----------|--|--|--------------|---|------------------|
| 1        | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला        | नलकूप नंबर एस-6  | शहरी         | 15  | शून्य            |
| 2        | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला        | नलकूप नंबर, केवी-5                                       | शहरी         | 210                                       | शून्य            |
| 3        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कुरुक्षेत्र | थाना   | ग्रामीण      | 1,100                                     | शून्य            |
| 4        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कुरुक्षेत्र | कल्वा  | ग्रामीण      | 14  | शून्य            |
| 5        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-2, रोहतक     | महम  | ग्रामीण      | 75  | शून्य            |
| 6        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-1, रोहतक     | कटेसड़ा  | ग्रामीण      | 460                                       | शून्य            |
| 7        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-1, हिसार     | कबरेल  | ग्रामीण      | 240                                       | शून्य            |
| 8        | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-1, करनाल     | मौंद   | ग्रामीण      | 23  | शून्य            |
| 9        | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, करनाल          | सैक्टर-4 टीएन, नलकूप नंबर 1                              | शहरी         | 1,100                                     | शून्य            |
| 10       | नगर निगम, करनाल                              | गोगीपुर फाटक   | शहरी         | 75  | शून्य            |
| 11       | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-1, रेवाड़ी   | खलेता  | ग्रामीण      | 120                                       | शून्य            |
| 12       | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, फरीदाबाद    | बड़ा गांव, कस्तूरबा सेवा सदन                             | ग्रामीण      | 210                                       | 37               |
| 13       | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-1, रेवाड़ी   | खिजुरी   | ग्रामीण      | 1,100                                     | शून्य            |
| 14       | नगर निगम, फरीदाबाद                           | ग्राम अनंगपुर, मनोज बधाना कार्यालय के पास, वार्ड नंबर 18 | शहरी         | शून्य                                     | 23               |
| 15       | नगर निगम, फरीदाबाद                           | 3 बी-पार्क   | शहरी         | 1,100                                     | 30               |
| 16       | नगर निगम, फरीदाबाद                           | नलकूप 18/16, लेबर चौक                                    | शहरी         | 43  | 41               |
| 17       | नगर निगम, फरीदाबाद                           | गीता भवन, अशोक 1   | शहरी         | 75  | 28               |
| 18       | नगर निगम, फरीदाबाद                           | भगत सिंह कॉलोनी, बल्लभगढ़                                | शहरी         | 43  | शून्य            |
| 19       | नगर निगम, फरीदाबाद                           | चौहान चक्की, जवाहर कॉलोनी, खांड                          | शहरी         | 120                                       | शून्य            |
| 20       | नगर निगम, फरीदाबाद                           | 15 बी, 2 एनआईटी, मुजेशर, वार्ड 2, राजीव गांधी कॉलोनी     | शहरी         | 150                                       | शून्य            |

स्वीकार्य सीमा: पता लगाने योग्य नहीं, अनुमेय सीमा: पता लगाने योग्य नहीं

**परिशिष्ट-17**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.1; पृष्ठ 46)

**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की प्रयोगशाला द्वारा प्रतिकूल भौतिक और रासायनिक जल नमूनाकरण रिपोर्ट**

| क्र. सं. | विभाग का नाम      | स्थान का नाम  | ग्रामीण/शहरी | नाम पैरामीटर                | स्वीकार्य सीमा         | अनुमेय सीमा (आईएस 10500:2012 के अनुसार) | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की प्रयोगशाला के परिणाम |
|----------|-------------------|---|--------------|-----------------------------|------------------------|---|---|
| 1.       | नगर निगम फरीदाबाद | नलकूप 18/16, लेबर चौक   | शहरी         | कुल कठोरता                  | 200 मिलीग्राम/लीटर     | 600 मिलीग्राम/लीटर                      | 620.00  |
| 2.       | नगर निगम फरीदाबाद | गीता भवन, अशोक -1   | शहरी         | पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ | 500 मिलीग्राम/लीटर     | 2000 मिलीग्राम/लीटर                     | 2,976.00  |
|          |                   |   |              | कुल कठोरता                  | 200 मिलीग्राम/लीटर     | 600 मिलीग्राम/लीटर                      | 910.00  |
|          |                   |   |              | कैल्शियम                    | 75 मिलीग्राम/लीटर      | 200 मिलीग्राम/लीटर                      | 216.00  |
| 3.       | नगर निगम फरीदाबाद | भगत सिंह कॉलोनी, बल्लभगढ़   | शहरी         | पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ | 500 मिलीग्राम/लीटर     | 2000 मिलीग्राम/लीटर                     | 2,654.00  |
|          |                   |   |              | कुल कठोरता                  | 200 मिलीग्राम/लीटर     | 600 मिलीग्राम/लीटर                      | 750.00  |
| 4.       | नगर निगम फरीदाबाद | चौहान चक्की, जवाहर कॉलोनी, खांड   | शहरी         | पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ | 500 मिलीग्राम/लीटर     | 2000 मिलीग्राम/लीटर                     | 8,230.00  |
|          |                   |   |              | कुल कठोरता                  | 200 मिलीग्राम/लीटर     | 600 मिलीग्राम/लीटर                      | 2,700.00  |
|          |                   |   |              | कैल्शियम                    | 75 मिलीग्राम/लीटर      | 200 मिलीग्राम/लीटर                      | 520.00  |
|          |                   |   |              | मैगनीशियम                   | 30 मिलीग्राम/लीटर      | 100 मिलीग्राम/लीटर                      | 336.00  |
|          |                   |   |              | क्लोराइड                    | 250 मिलीग्राम/लीटर     | 1000 मिलीग्राम/लीटर                     | 3,337.00  |
|          |                   |   |              | नाइट्रेट                    | 45 मिलीग्राम/लीटर      | कोई छूट नहीं                            | 55.00   |
| 5.       | नगर निगम फरीदाबाद | 15 बी, 2-एनआईटी, इंडस्ट्रियल परिया रोड, मुजेशर, वार्ड 2, राजीव गांधी कॉलोनी | शहरी         | पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ | 500 मिलीग्राम/लीटर     | 2000 मिलीग्राम/लीटर                     | 3,908.00  |
|          |                   |   |              | कुल कठोरता                  | 200 मिलीग्राम/लीटर     | 600 मिलीग्राम/लीटर                      | 1,370.00  |
|          |                   |   |              | कैल्शियम                    | 75 मिलीग्राम/लीटर      | 200 मिलीग्राम/लीटर                      | 260.00  |
|          |                   |   |              | मैगनीशियम                   | 30 मिलीग्राम/लीटर      | 100 मिलीग्राम/लीटर                      | 172.80  |
|          |                   |   |              | क्लोराइड                    | 250 मिलीग्राम/लीटर     | 1000 मिलीग्राम/लीटर                     | 1,491.00  |
| 6.       | नगर निगम फरीदाबाद | 3 बी पार्क  | शहरी         | अलाक्लोर                    | 20 माइक्रोग्राम/लीटर   |   | 102.00  |
| 7.       | नगर निगम फरीदाबाद | गीता भवन, अशोक-1  | शहरी         | डिट्रिडन                    | 0.03 माइक्रोग्राम/लीटर |   | 0.05  |

एसआरआई प्रयोगशाला द्वारा प्रतिकूल भौतिक और रासायनिक जल नमूनाकरण रिपोर्ट

| क्र. सं. | विभाग का नाम      | स्थान का नाम  | ग्रामीण/शहरी (आर/यू) | नाम पैरामीटर                             | स्वीकार्य सीमा     | अनुमेय सीमा (आईएस 10500:2012 के अनुसार) | एसआरआई के परिणाम |
|----------|-------------------|---|----------------------|--|--------------------|---|------------------|
| 1.       | नगर निगम फरीदाबाद | 3 बी-पार्क  | शहरी                 | नाइट्रट                                  | 45 मिलीग्राम/लीटर  | कोई छूट नहीं                            | 70               |
| 2.       | नगर निगम फरीदाबाद | गीता भवन, अशोक-1  | शहरी                 | पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ<br>कैल्शियम  | 500 मिलीग्राम/लीटर | 2000 मिलीग्राम/लीटर                     | 2,632            |
|          |                   |   |                      | नाइट्रट                                  | 75 मिलीग्राम/लीटर  | 200 मिलीग्राम/लीटर                      | 209              |
|          |                   |   |                      | सल्फेट                                   | 45 मिलीग्राम/लीटर  | कोई छूट नहीं                            | 47               |
|          |                   |   |                      | पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ              | 200 मिलीग्राम/लीटर | 400 मिलीग्राम/लीटर                      | 434              |
| 3.       | नगर निगम फरीदाबाद | भगत सिंह कॉलोनी, बल्लभगढ़   | शहरी                 | पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ<br>मैगनीशियम | 500 मिलीग्राम/लीटर | 2000 मिलीग्राम/लीटर                     | 2,500            |
|          |                   |   |                      | नाइट्रट                                  | 30 मिलीग्राम/लीटर  | 100 मिलीग्राम/लीटर                      | 129              |
|          |                   |   |                      | सल्फेट                                   | 45 मिलीग्राम/लीटर  | कोई छूट नहीं                            | 72               |
|          |                   |   |                      | कुल क्षारीयता                            | 200 मिलीग्राम/लीटर | 400 मिलीग्राम/लीटर                      | 472              |
|          |                   |   |                      | कुल कठोरता                               | 200 मिलीग्राम/लीटर | 600 मिलीग्राम/लीटर                      | 624              |
|          |                   |   |                      | पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ              | 200 मिलीग्राम/लीटर | 600 मिलीग्राम/लीटर                      | 812              |
| 4.       | नगर निगम फरीदाबाद | चौहान चक्की, जवाहर कॉलोनी, खांड   | शहरी                 | पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ<br>कैल्शियम  | 500 मिलीग्राम/लीटर | 2000 मिलीग्राम/लीटर                     | 7,352            |
|          |                   |   |                      | क्लोराइड                                 | 75 मिलीग्राम/लीटर  | 200 मिलीग्राम/लीटर                      | 345              |
|          |                   |   |                      | फ्लोराइड                                 | 250 मिलीग्राम/लीटर | 1000 मिलीग्राम/लीटर                     | 3,605            |
|          |                   |   |                      | पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ              | 1.0 मिलीग्राम/लीटर | 1.5 मिलीग्राम/लीटर                      | 1.9              |
|          |                   |   |                      | मैगनीशियम                                | 30 मिलीग्राम/लीटर  | 100 मिलीग्राम/लीटर                      | 392              |
|          |                   |   |                      | नाइट्रट                                  | 45 मिलीग्राम/लीटर  | कोई छूट नहीं                            | 155              |
|          |                   |   |                      | सल्फेट                                   | 200 मिलीग्राम/लीटर | 400 मिलीग्राम/लीटर                      | 620              |
|          |                   |   |                      | कुल कठोरता                               | 200 मिलीग्राम/लीटर | 600 मिलीग्राम/लीटर                      | 2,498            |
|          |                   |   |                      | पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ              | 500 मिलीग्राम/लीटर | 2000 मिलीग्राम/लीटर                     | 3,845            |
| 5.       | नगर निगम फरीदाबाद | 15 बी, 2-एनआईटी, इंडस्ट्रियल एरिया रोड, मुजेशर, वार्ड 2, राजीव गांधी कॉलोनी | शहरी                 | क्लोराइड                                 | 250 मिलीग्राम/लीटर | 1000 मिलीग्राम/लीटर                     | 1,496            |
|          |                   |   |                      | मैगनीशियम                                | 30 मिलीग्राम/लीटर  | 100 मिलीग्राम/लीटर                      | 213              |
|          |                   |   |                      | नाइट्रट                                  | 45 मिलीग्राम/लीटर  | कोई छूट नहीं                            | 120              |
|          |                   |   |                      | कुल क्षारीयता                            | 200 मिलीग्राम/लीटर | 600 मिलीग्राम/लीटर                      | 676              |
|          |                   |   |                      | कुल कठोरता                               | 200 मिलीग्राम/लीटर | 600 मिलीग्राम/लीटर                      | 1,141            |


## परिशिष्ट-18


(संदर्भ: अनुच्छेद 5.1.1; पृष्ठ 46)


## दोनों प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गए सामान्य मापदंडों की तुलना


अनुच्छेद 5.1.1 में दर्शाए गए प्रत्येक स्थान को निम्नलिखित चार्टों में अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है:


| क्र.सं. | स्थान का नाम  | अक्षर |
|---------|---|-------|
| 1       | नलकूप नंबर एस-6, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला                                    | A     |
| 2       | नलकूप नंबर केवी-5, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला                                  | B     |
| 3       | थाणा, पीएचईडी, कुरुक्षेत्र  | C     |
| 4       | कल्वा, पीएचईडी, कुरुक्षेत्र   | D     |
| 5       | सैक्टर-2, नलकूप नंबर 1, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र                         | E     |
| 6       | महम, पीएचईडी, रोहतक   | F     |
| 7       | कटेसड़ा, पीएचईडी, रोहतक   | G     |
| 8       | साहू, पीएचईडी, हिसार  | H     |
| 9       | कबरेल, पीएचईडी, हिसार   | I     |
| 10      | कोट खुर्द, पीएचईडी, हांसी   | J     |
| 11      | मौंद, पीएचईडी, करनाल  | K     |
| 12      | कलसौरा, पीएचईडी, करनाल  | L     |
| 13      | सैक्टर-4 टीएन, नलकूप नंबर 1, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, करनाल                          | M     |
| 14      | गोदीपुर फाटक, एसडीओ, जन स्वास्थ्य, एमसी करनाल   | N     |
| 15      | खलेता, पीएचईडी, रेवाड़ी   | O     |
| 16      | करंडी, पीएचईडी, फतेहाबाद  | P     |
| 17      | बड़ा गांव (कस्तूरबा सेवा सदन), पीएचईडी, फरीदाबाद  | Q     |
| 18      | खिजुरी, पीएचईडी, रेवाड़ी  | R     |
| 19      | गांव अनंगपुर मनोज भड़ाना कार्यालय के पास, वार्ड नंबर 18, एमसी फरीदाबाद                    | S     |
| 20      | 3 बी-पार्क, एमसी फरीदाबाद   | T     |
| 21      | नलकूप नंबर 18/16, लेबर चौक, एमसी फरीदाबाद   | U     |
| 22      | गीता भवन, अशोका-1, एमसी फरीदाबाद  | V     |
| 23      | भगत सिंह कॉलोनी, बीएलबी, एमसी फरीदाबाद  | W     |
| 24      | चौहान चक्की, जवाहर कॉलोनी, खांड, एमसी फरीदाबाद  | X     |
| 25      | 15 बी, 2 एनआईटी, इंडस्ट्रियल एरिया रोड मुजेशर, वार्ड-2, राजीव गांधी कॉलोनी, एमसी फरीदाबाद | Y     |











## परिशिष्ट-19

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.2; पृष्ठ 47)

## चयनित जिलों में परीक्षण किए गए पानी के नमूनों के विवरण

| प्रयोगशाला का नाम            | वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए भौतिक और रासायनिक जल नमूना परीक्षण |               |                 |                             | वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए बैक्टीरियोलॉजिकल जल नमूना परीक्षण |               |                 |                             |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------------------|
|                              | परीक्षण किए गए कुल नमूने  | उपयुक्त नमूने | अनुपयुक्त नमूने | अनुपयुक्त नमूनों का प्रतिशत | परीक्षण किए गए कुल नमूने   | उपयुक्त नमूने | अनुपयुक्त नमूने | अनुपयुक्त नमूनों का प्रतिशत |
| राज्य प्रयोगशाला करनाल       | 10,101  | 10,062        | 39              | 0.39                        | 17,100   | 14,983        | 2,117           | 12.38                       |
| उप-मंडलीय प्रयोगशाला असंध    | --  | --            | --              | --                          | 11,795   | 11,080        | 715             | 6.06                        |
| उप-मंडलीय प्रयोगशाला इंद्रौ  | --  | --            | --              | --                          | 4,968  | 4,619         | 349             | 7.02                        |
| जिला प्रयोगशाला पंचकुला      | 2,345   | 2,340         | 5               | 0.21                        | 21,667   | 20,987        | 680             | 3.14                        |
| उप-मंडलीय प्रयोगशाला, कालका  | --  | --            | --              | --                          | 22,728   | 22,278        | 450             | 1.98                        |
| जिला प्रयोगशाला फतेहाबाद     | 461   | 430           | 31              | 6.72                        | 16,323   | 15,504        | 819             | 5.02                        |
| उप-मंडलीय प्रयोगशाला, टोहाना | 1,430   | 1,401         | 29              | 2.03                        | 18,131   | 17,820        | 311             | 1.72                        |
| जिला प्रयोगशाला, रेवाड़ी     | 2,293   | 1,943         | 350             | 15.26                       | 13,011   | 12,720        | 291             | 2.24                        |
| उप-मंडलीय प्रयोगशाला, कोसली  | 527   | 522           | 5               | 0.95                        | 13,012   | 12,990        | 22              | 0.17                        |
| जिला प्रयोगशाला, फरीदाबाद    | 5,049   | 4,388         | 661             | 13.09                       | 11,176   | 9,877         | 1,299           | 11.62                       |
| जिला प्रयोगशाला, रोहतक       | 1,060   | 789           | 271             | 25.57                       | 18,182   | 16,083        | 2,099           | 11.54                       |
| जिला प्रयोगशाला, हिसार       | 559   | 424           | 135             | 24.15                       | 20,081   | 17,169        | 2,912           | 14.50                       |
| उप-मंडलीय प्रयोगशाला, हांसी  | --  | --            | --              | --                          | 13,111   | 11,620        | 1,491           | 11.37                       |
| जिला प्रयोगशाला, कुरुक्षेत्र | 4,173   | 4,168         | 5               | 0.12                        | 16,628   | 14,947        | 1,681           | 10.11                       |
| उप-मंडलीय प्रयोगशाला, पेहोवा | 2,385   | 2,385         | 0               | 0                           | 15,729   | 14,392        | 1,337           | 9.29                        |

परिशिष्ट-20

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.8; पृष्ठ 56)

जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला में स्टाफ की स्थिति

| पदनाम   |                  | जिला का नाम |             |         |          |       |          |         |        |
|---|------------------|-------------|-------------|---------|----------|-------|----------|---------|--------|
|   |                  | हिसार       | कुरुक्षेत्र | रेवाड़ी | फतेहाबाद | रोहतक | फरीदाबाद | पंचकुला | कुल पद |
| केमिस्ट/<br>जल विश्लेषक                               | वास्तविक         | 1           | 1           | 0       | 1        | 1     | 1        | 1       | 6      |
|   | कमी              | 0           | 0           | 1       | 0        | 0     | 0        | 0       | 1      |
|   | कमी की प्रतिशतता | -           | -           | 100     | -        | -     | -        | -       |        |
| सूक्ष्मजीव विज्ञानी                                   | वास्तविक         | 0           | 0           | 0       | 0        | 0     | 0        | 0       | 0      |
|   | कमी              | 1           | 1           | 1       | 1        | 1     | 1        | 1       | 7      |
|   | कमी की प्रतिशतता | 100         | 100         | 100     | 100      | 100   | 100      | 100     |        |
| प्रयोगशाला सहायक                                      | वास्तविक         | 1           | 0           | 0       | 0        | 1     | 0        | 0       | 2      |
|   | कमी              | 1           | 2           | 2       | 2        | 1     | 2        | 2       | 12     |
|   | कमी की प्रतिशतता | 50          | 100         | 100     | 100      | 50    | 100      | 100     |        |
| प्रयोगशाला अटेंडेंट                                   | वास्तविक         | 0           | 0           | 0       | 0        | 1     | 0        | 1       | 2      |
|   | कमी              | 1           | 1           | 1       | 1        | 0     | 1        | 0       | 5      |
|   | कमी की प्रतिशतता | 100         | 100         | 100     | 100      | -     | 100      | -       |        |
| डाटा एण्ट्री आपरेटर                                   | वास्तविक         | 0           | 0           | 1       | 0        | 1     | 0        | 0       | 2      |
|   | कमी              | 1           | 1           | 0       | 1        | 0     | 1        | 1       | 5      |
|   | कमी की प्रतिशतता | 100         | 100         | -       | 100      | -     | 100      | 100     |        |
| फील्ड सहायक<br>(कार्य/आवश्यकता आधारित<br>फील्ड स्टाफ) | वास्तविक         | 0           | 0           | 0       | 0        | 0     | 0        | 0       | 0      |
|   | कमी              | 2           | 2           | 2       | 2        | 2     | 2        | 2       | 14     |
|   | कमी की प्रतिशतता | 100         | 100         | 100     | 100      | 100   | 100      | 100     |        |

उप मंडलीय स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला में स्टाफ की स्थिति

| पदनाम   |                  | में स्थित उप-मंडलीय प्रयोगशाला |        |       |       |       |        |        |        |
|---|------------------|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|   |                  | असंध                           | इंद्री | हांसी | कोसली | कालका | पेहोवा | टोहाना | कुल पद |
| जूनियर केमिस्ट  | वास्तविक         | 0                              | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
|   | कमी              | 1                              | 1      | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 7      |
|   | कमी की प्रतिशतता | 100                            | 100    | 100   | 100   | 100   | 100    | 100    |        |
| कनिष्ठ सूक्ष्मजीव विज्ञानी                            | वास्तविक         | 0                              | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
|   | कमी              | 1                              | 1      | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 7      |
|   | कमी की प्रतिशतता | 100                            | 100    | 100   | 100   | 100   | 100    | 100    |        |
| प्रयोगशाला सहायक                                      | वास्तविक         | 0                              | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 1      | 1      |
|   | कमी              | 1                              | 1      | 1     | 1     | 1     | 1      | 0      | 6      |
|   | कमी की प्रतिशतता | 100                            | 100    | 100   | 100   | 100   | 100    | -      |        |
| प्रयोगशाला अटेंडेंट                                   | वास्तविक         | 0                              | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
|   | कमी              | 1                              | 1      | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 7      |
|   | कमी की प्रतिशतता | 100                            | 100    | 100   | 100   | 100   | 100    | 100    |        |
| डाटा एण्ट्री आपरेटर                                   | वास्तविक         | 0                              | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
|   | कमी              | 1                              | 1      | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 7      |
|   | कमी की प्रतिशतता | 100                            | 100    | 100   | 100   | 100   | 100    | 100    |        |
| फील्ड सहायक<br>(कार्य/आवश्यकता आधारित<br>फील्ड स्टाफ) | वास्तविक         | 0                              | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
|   | कमी              | 1                              | 1      | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 7      |
|   | कमी की प्रतिशतता | 100                            | 100    | 100   | 100   | 100   | 100    | 100    |        |

नोट: विभिन्न कर्मचारियों को दिया गया अतिरिक्त प्रभार नियमित पोस्टिंग के रूप में नहीं माना गया है, इसलिए कमी के रूप में दर्शाया गया है।

## परिशिष्ट-21

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.11; पृष्ठ 61)

## गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के विवरण

| जिला का नाम | ब्लॉक का नाम    | निवास स्थान का नाम | मापदंड का नाम | वर्ष में दूषित |         |         |         |         |
|-------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
|             |                 |                    |               | 2018-19        | 2019-20 | 2020-21 |         |         |
| हिसार       | आदमपुर          | आदमपुर             | फ्लोराइड      | 2018-19        | 2019-20 | 2020-21 |         |         |
|             | आदमपुर          | कबरेल              | टीडीएस        | -              | 2019-20 | 2020-21 |         |         |
|             | आदमपुर          | कोहली              | फ्लोराइड      | -              | 2019-20 | 2020-21 |         |         |
|             | आदमपुर          | मंडीआदमपुर         | फ्लोराइड      | 2018-19        | 2019-20 | -       |         |         |
|             | आदमपुर          | तेलावाल            | फ्लोराइड      | -              | 2019-20 | 2020-21 |         |         |
|             | हांसी-1         | मुजादपुर           | फ्लोराइड      | 2018-19        | 2019-20 | -       |         |         |
|             | नारनौद          | कागसर              | फ्लोराइड      | 2018-19        | 2019-20 | -       |         |         |
|             | हांसी-II        | भकलाना             | फ्लोराइड      | -              | 2019-20 | 2020-21 |         |         |
| रेवाड़ी     | बावल            | बनीपुर             | फ्लोराइड      | 2016-17        | 2017-18 | -       | -       | -       |
|             |                 | भगवानपुर           | फ्लोराइड      | 2016-17        | 2017-18 | -       | -       | -       |
|             |                 | लालपुर             | फ्लोराइड      | 2016-17        | -       | -       | -       | 2020-21 |
|             |                 | मोहम्मदपुर         | फ्लोराइड      | 2016-17        | 2017-18 | -       | -       | -       |
|             |                 | साहपुर             | फ्लोराइड      | 2016-17        | 2017-18 | -       | -       | -       |
|             |                 | शेखपुर             | फ्लोराइड      | 2016-17        | 2017-18 | -       | -       | -       |
|             |                 | सुबा शेरी          | फ्लोराइड      | 2016-17        | 2017-18 | -       | -       | -       |
|             |                 | गुज्जर माजरी       | फ्लोराइड      | -              | 2017-18 | -       | -       | 2020-21 |
|             |                 | मंगलेश्वर          | फ्लोराइड      | -              | 2017-18 | -       | -       | 2020-21 |
|             | खोल रेवाड़ी में | देहलावास           | फ्लोराइड      | 2016-17        | 2017-18 | -       | -       | -       |
|             |                 | नंदा               | फ्लोराइड      | 2016-17        | -       | -       | -       | 2020-21 |
|             | रेवाड़ी         | बरियावास           | फ्लोराइड      | 2016-17        | -       | -       | -       | 2020-21 |
|             |                 | कौंसीवास           | फ्लोराइड      | 2016-17        | -       | -       | -       | 2020-21 |
|             |                 | नयागांव            | फ्लोराइड      | 2016-17        | 2017-18 | -       | -       | -       |
|             |                 | पडियांवास          | फ्लोराइड      | 2016-17        | -       | -       | -       | 2020-21 |
|             |                 | सहारनवास           | फ्लोराइड      | 2016-17        | -       | -       | -       | 2020-21 |
|             | जाटूसाना        | सिहास              | फ्लोराइड      | -              | 2017-18 | -       | 2019-20 | -       |

**परिशिष्ट-22**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 5.12; पृष्ठ 62)

**उनकी स्थापना और जल परीक्षण के परिणाम के साथ फ्लोराइड प्रभावित बस्तियां**

| क्र. सं. | स्थापना का नाम                     | नमूने की तिथि   | परिणाम | बिजली मीटर खाता संख्या                    | माह का बिजली बिल संलग्न है                                 |
|----------|------------------------------------|-----------------|--------|---|--|
| 1        | अजीत नगर, अहेरवान में नलकूप        | 16 फरवरी 2017   | 2.4    | एएचपीडब्ल्यू-0004-ए                       | मार्च 2020, मार्च 2017, मार्च 2019                         |
|          | अजीत नगर, अहेरवान में नलकूप        | 16 फरवरी 2018   | 2.4    | एएचपीडब्ल्यू-0004 नया खाता नंबर 769466100 | मार्च 2022   |
| 2        | माजरा और डौ/माजरा में नलकूप        | 26 फरवरी 2018   | 2.3    | एमजेपीडब्ल्यू-0003-ए                      | मार्च 2020, मार्च 2016, मार्च 2017, मार्च 2019, मार्च 2022 |
|          | माजरा में नलकूप                    | 29 अप्रैल 2019  | 2.01   | एमजेपीडब्ल्यू-0002-ए                      | मार्च 2017, मार्च 2019, मार्च 2022                         |
| 3        | नूर की अहली में नलकूप              | 18 जून 2018     | 2.49   | एनएफपीडब्ल्यू-0002-पी                     | मार्च 2020, फरवरी 2021, मार्च 2022                         |
|          | नूर की अहली में नलकूप              | 21 मई 2021      | 1.6    | एनएफपीडब्ल्यू-0001-ए                      | मार्च 2020, फरवरी 2021, मार्च 2016, मार्च 2022             |
| 4        | बूस्टिंग स्टेशन, दौलतपुर में नलकूप | 27 नवंबर 2019   | 2.4    | डीएपीएच-0001-ए                            | मार्च 2020, मार्च 2016, मार्च 2017, मार्च 2019, मार्च 2022 |
|          |                                    |                 |        | डीएपीएच-0002-ए                            | मार्च 2020, मार्च 2016, मार्च 2017, मार्च 2019, मार्च 2022 |
| 5        | नलकूप ढाणी बिजा लंबा               | 13 अप्रैल 2020  | 1.92   | जेवीपीडब्ल्यू-0004-एल                     | मार्च 2020, फरवरी 2021, मार्च 2017, मार्च 2022             |
|          | नलकूप ढाणी बिजा लंबा               | 15 जून 2020     | 1.94   | जेवीपीडब्ल्यू-0002                        | मार्च 2022   |
| 6        | हंसपुर में नलकूप                   | 21 जून 2018     | 1.88   | बीवीपीडब्ल्यू-0002                        | फरवरी 2020, फरवरी 2021, मई 2022                            |
|          | हंसपुर में नलकूप                   | 04 जून 2020     | 2.12   | बीवीपीडब्ल्यू-0003                        | जानकारी नहीं दी गई   |
|          | हंसपुर मुख्य नलकूप में नलकूप       | 21 मई 2021      | 2.1    | बीवीपीडब्ल्यू-0004                        | जानकारी नहीं दी गई   |
| 7        | नलकूप चंदरवाल मुख्य नलकूप          | 16 जून 2021     | 2.52   | जेएपीएच-0004ए                             | मई 2022  |
|          |                                    | 21 जून 2021     | 2.52   | जेएपीएच-0004ए                             |  |
|          |                                    | 22 जून 2021     | 2.52   | जेएपीएच-0004ए                             |  |
| 8        | नलकूप हंस कॉलोनी                   | 09 अप्रैल 2021  | 2.5    | एमएपीएच-0003ए                             | मार्च 2022   |
|          |                                    | 04 अक्टूबर 2021 | 1.95   | एमएपीएच-0003ए                             |  |
|          |                                    | 12 अक्टूबर 2021 | 2.9    | एमएपीएच-0003ए                             |  |
| 9        | नलकूप करियन                        | 18 जून 2018     | 1.8    | एचकेपीडब्ल्यू-0002-ए                      | मार्च 2019, मार्च 2020, मार्च 2021, मार्च 2022             |

स्रोत: प्रयोगशाला रिपोर्टें

\* फ्लोराइड (स्वीकार्य सीमा: 1.0 मिलीग्राम/लीटर और अस्वीकृति का कारण: 1.5 मिलीग्राम/लीटर)

## परिशिष्ट-23

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.12; पृष्ठ 62)

## स्रोत के स्थानांतरण से संबंधित विलंबित योजनाएं

| परियोजना का नाम   | अप्रैल-मई 2022 को स्थिति | संक्षिप्त सारांश   |
|---|--------------------------|--|
| 3 गांवों के समूह के लिए गांव पलसर में नहर आधारित वाटर वर्क्स प्रदान करने के लिए अनुमान            | प्रगति में               | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, फतेहाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि उक्त कार्य निवासियों को नहर आधारित जल आपूर्ति प्रदान करने से संबंधित था क्योंकि मई 2018 और फिर दिसंबर 2018 में नमूना परीक्षण के अनुसार नलकूप आधारित आपूर्ति पीने योग्य नहीं पाई गई थी। एजेंसी को कार्य अगस्त 2019 को आबंटित किया गया था, जिसके पूरा होने की निर्धारित तिथि अप्रैल 2020 थी। उक्त कार्य अभी भी मई 2022 तक प्रगति पर था और मंडलीय प्रयोगशालाओं द्वारा भूजल को पहले ही गैर-पीने योग्य घोषित किए जाने के बावजूद इन गांवों को आज तक नलकूप आधारित आपूर्ति दी गई थी।  |
| भूंड़रवास को स्वतंत्र नहर-आधारित वाटर वर्क्स प्रदान करना  | प्रगति में               | अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि "स्वतंत्र नहर आधारित वाटर वर्क्स भूंड़रवास प्रदान करना" कार्य के लिए ₹ 329.61 लाख का प्राक्कलन प्रशासनिक रूप से अनुमोदित (फरवरी 2019) किया गया था। गांव को नलकूप आधारित आपूर्ति प्रदान की गई थी और गांव के निवासियों को नहरी जल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए अनुमान लगाया गया था। 8 अगस्त 2019 को शुरू होने की तारीख के साथ ₹ 154.42 लाख की राशि के लिए कार्य आबंटित (अगस्त 2019) किया गया जिसे 12 महीने (7 अगस्त 2020 तक) में पूरा किया जाना था। यह देखा गया कि कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि से 21 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी और ₹ 90.02 लाख (21वां आरए बिल) का व्यय करने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं था। इस प्रकार, निवासी नलकूप आधारित जल आपूर्ति के बजाय नहर आधारित जल आपूर्ति प्राप्त करने के लाभ से वंचित हैं।  |
| जिला रेवाड़ी में 17 गांवों के समूह के लिए इब्राहिमपुर में नहर आधारित जल आपूर्ति योजना प्रदान करना | प्रगति में               | अनुच्छेद 12.3.2 में बताया गया है कि मंडलीय अधिकारी भूमि का कब्जा लेते ही विभाग के पक्ष में नामांतरण कराकर जमाबंदी में भी प्रविष्टि करा लेंगे। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि "जिला रेवाड़ी में 17 गांवों के इब्राहिमपुर समूह को नहर आधारित जल आपूर्ति योजना प्रदान करने" के लिए ₹ 36.02 करोड़ की राशि का अनुमान तैयार किया गया था जिसे अप्रैल 2018 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था। अक्टूबर 2019 (शुरू होने की तारीख से 12 महीने) की निर्धारित पूर्णता तिथि के साथ ₹ 11.71 करोड़ के लिए कार्य आबंटित (अक्टूबर 2018) किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2021 तक 65 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया था और एजेंसी को ₹ 5.30 करोड़ का भुगतान किया गया था (नवंबर 2021)।<br><br>विलंब का कारण यह था कि जिस भूमि पर मुख्य जल कार्य का निर्माण किया जाना था, उसे इब्राहिमपुर के प्रस्तावित स्थल से खेड़ी मुरार में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिस पर भी कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि वर्ष 2005 में पंचायत द्वारा वाटर वर्क्स के निर्माण के लिए दी गई भूमि को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विभाग के पक्ष में समय पर नहीं बदला गया था। परिणामस्वरूप पंचायत ने आपत्ति जताई और पंचायत की जमीन को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से मुक्त करने की मांग की। इस प्रकार विभाग के दुलमुल रवेये के कारण ₹ 5.30 करोड़ व्यय करने के बावजूद इन 17 गांवों के निवासियों को नहर आधारित जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। |

<sup>1</sup> कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, टोहाना

<sup>2</sup> कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रेवाड़ी

| परियोजना का नाम | अप्रैल-मई 2022 को स्थिति | संक्षिप्त सारांश  |
|-----------------|--------------------------|---|
| बहबलपुर गांव    | प्रगति में               | <p>प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ़ ने उपायुक्तों को निर्देश दिया (जनवरी 2013) कि गैर-मुमकिन जोहड़ों या जल निकायों का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए और इन्हें संरक्षित, साफ और रिचार्ज किया जाना चाहिए। अभिलेखों<sup>3</sup> की संवीक्षा में पाया गया कि बहबलपुर गांव जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र था और फरवरी 2016 तक पानी के नमूने की रिपोर्ट के अनुसार नलकूप का भूमिगत जल पीने योग्य (खारा) नहीं पाया गया था। गांव को आपूर्ति नलकूप आधारित थी और नलकूप आधारित आपूर्ति को नहर आधारित आपूर्ति में परिवर्तित करने के लिए, ग्राम पंचायत बहबलपुर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निःशुल्क भूमि प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। भूमि अभिलेख के अनुसार उक्त भूमि गैरमुमकिन जोहड़ थी जिसे निर्देशानुसार किसी अन्य उपयोग हेतु स्थानान्तरित नहीं किया जाना था। ₹ 318.50 लाख के प्रशासनिक अनुमोदन की व्यवस्था के लिए सदस्य सचिव, जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (डब्ल्यूएसएसबी) को प्राक्कलन भेजा गया (जुलाई 2017)। उक्त कार्य के लिए निविदा अक्टूबर 2019 की निर्धारित समापन तिथि के साथ आबंटित (अक्टूबर 2018) की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एजेंसी कार्य शुरू नहीं कर सकी क्योंकि जिस जमीन पर कार्य किया जाना था वह उपयुक्त नहीं थी और ग्राम पंचायत के पास कोई अन्य भूमि उपलब्ध नहीं थी। आज तक विभाग के पास कोई भूमि उपलब्ध नहीं है जहां उक्त निर्माण किया जा सके। यदि विभाग प्रभावी ढंग से योजना बनाता और समय पर कार्य पूरा करने के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता, तो निवासियों को सुरक्षित और पीने योग्य पानी उपलब्ध होता। आगे यह देखा गया कि विभाग निवासियों को गैर-पीने योग्य पानी की आपूर्ति (जून 2020) करता रहा क्योंकि ग्रामीणों/सरपंच, ग्राम पंचायत, बहबलपुर ने प्राधिकारियों से गैर-पीने योग्य पानी की आपूर्ति के बारे में शिकायत की।</p> |

3

कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, फतेहाबाद

## परिशिष्ट-24

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.4; पृष्ठ 67)

## जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अटेंड किए गए लोक परिवार/शिकायतों के विवरण

| वर्ष       | प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या | अटेंड/समाधान की गई शिकायतों की कुल संख्या | शेष          | 24 घंटे के भीतर अटेंड की गई शिकायतें | 24 घंटे से 72 घंटे के भीतर अटेंड की गई शिकायतें | 72 घंटे से अधिक के बाद अटेंड की गई शिकायतें |
|------------|--------------------------------|---|--------------|--------------------------------------|---|---|
| 2016-17*   | 6,903                          | 5,872                                     | 1,031        | 1,863                                | 1,909   | 2,100                                       |
| 2017-18    | 11,565                         | 11,011                                    | 554          | 2,386                                | 1,420   | 7,205                                       |
| 2018-19    | 18,054                         | 17,931                                    | 123          | 2,509                                | 12,225  | 3,197                                       |
| 2019-20    | 37,831                         | 37,477                                    | 354          | 3,224                                | 2,142   | 32,111                                      |
| 2020-21    | 83,383                         | 83,042                                    | 341          | 12,643                               | 2,755   | 67,644                                      |
| <b>कुल</b> | <b>1,57,736</b>                | <b>1,55,333</b>                           | <b>2,403</b> | <b>22,625</b>                        | <b>20,451</b>                                   | <b>1,12,257</b>                             |

\* वर्ष 2016-17 के दौरान फतेहाबाद मंडल में कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया

## हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

| वर्ष       | प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या | अटेंड/समाधान की गई शिकायतों की कुल संख्या | शेष      | 24 घंटे के भीतर अटेंड की गई शिकायतें | 24 घंटे से 72 घंटे के भीतर अटेंड की गई शिकायतें | 72 घंटे से अधिक के बाद अटेंड की गई शिकायतें |
|------------|--------------------------------|---|----------|--------------------------------------|---|---|
| 2016-17    | 689                            | 689                                       | 0        | 253                                  | 398   | 38  |
| 2017-18    | 743                            | 743                                       | 0        | 210                                  | 510   | 23  |
| 2018-19    | 714                            | 714                                       | 0        | 266                                  | 415   | 33  |
| 2019-20    | 576                            | 576                                       | 0        | 252                                  | 304   | 20  |
| 2020-21    | 539                            | 539                                       | 0        | 241                                  | 271   | 27  |
| <b>कुल</b> | <b>3,261</b>                   | <b>3,261</b>                              | <b>0</b> | <b>1,222</b>                         | <b>1,898</b>                                    | <b>141</b>                                  |

## शहरी स्थानीय निकाय विभाग

| वर्ष       | प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या | अटेंड/समाधान की गई शिकायतों की कुल संख्या | शेष      | 24 घंटे के भीतर अटेंड की गई शिकायतें | 24 घंटे से 72 घंटे के भीतर अटेंड की गई शिकायतें | 72 घंटे से अधिक के बाद अटेंड की गई शिकायतें |
|------------|--------------------------------|---|----------|--------------------------------------|---|---|
| 2016-17    | 0                              | 0   | 0        | 0                                    | 0   | 0   |
| 2017-18    | 1,505                          | 1,505                                     | 0        | 505                                  | 1,000   | 0   |
| 2018-19    | 6,625                          | 6,625                                     | 0        | 845                                  | 5,780   | 0   |
| 2019-20    | 7,698                          | 7,698                                     | 0        | 1,198                                | 6,500   | 0   |
| 2020-21    | 12,654                         | 12,654                                    | 0        | 3,240                                | 9,414   | 0   |
| <b>कुल</b> | <b>28,482</b>                  | <b>28,482</b>                             | <b>0</b> | <b>5,788</b>                         | <b>22,694</b>                                   | <b>0</b>                                    |

परिशिष्ट-25

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.5; पृष्ठ 68)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्रोत परीक्षण के विवरण

| वर्ष    | ग्रामीण क्षेत्रों में<br>जल स्रोतों की कुल संख्या | परीक्षित<br>स्रोत | परीक्षित स्रोत<br>की प्रतिशतता |
|---------|---|-------------------|--------------------------------|
| 2016-17 | 1,00,886  | 16,533            | 16.38                          |
| 2017-18 | 1,00,886  | 10,931            | 10.84                          |
| 2018-19 | 1,00,886  | 14,617            | 14.49                          |
| 2019-20 | 1,00,886  | 15,456            | 15.32                          |
| 2020-21 | 1,00,886  | 35,647            | 35.33                          |

स्रोत: ई-जलशक्ति का ई 20 प्रारूप

## परिशिष्ट-26

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.7.1; पृष्ठ 69)

## मंडलवार कार्यों की स्थिति (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)

| मंडल का नाम   | कुल चयनित कार्य | कार्य समय पर पूरा हुआ | कुल विलंबित कार्य | न्यूनतम विलंब (महीनों में) | अधिकतम विलंब (महीनों में) | अभ्युक्तियां   |
|---------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| नंबर 1, हिसार | 8               | 2                     | 6                 | 10                         | 31                        | --   |
| नंबर 2, हिसार | 18              | 5                     | 7                 | 2                          | 42                        | 4 कार्य प्रगति पर हैं तथा 2 कार्य शुरू नहीं हुए हैं।                                 |
| हांसी         | 14              | 3                     | 7                 | 2                          | 37                        | 2 कार्य शुरू नहीं हुए, 1 कार्य का कोई अभिलेख नहीं है और एक कार्य में मामूली देरी है। |
| फतेहाबाद      | 6               | 1                     | 5                 | 0                          | 24                        | --   |
| टोहाना        | 6               | 0                     | 6                 | 10                         | 17                        | --   |
| नंबर 1, रोहतक | 9               | 2                     | 6                 | 6                          | 26                        | एक कार्य प्रगति पर है जुलाई 2022 में पूर्ण करना है।                                  |
| नंबर 2, रोहतक | 10              | 7                     | 3                 | --                         | --                        | सभी कार्य प्रगति पर हैं।   |
| रेवाड़ी       | 9               | 4                     | 4                 | 3                          | 19                        | गलत साइट चयन के कारण एक कार्य शुरू नहीं हो सका।                                      |
| बावल          | 20              | 13                    | 7                 | 2                          | 29                        | --   |
| कोसली         | 18              | 0                     | 17                | 6                          | 14                        | एक कार्य सितंबर 2022 में पूर्ण करना है।  |
| फरीदाबाद      | 11              | 6                     | 4                 | 2                          | 9                         | 1 कार्य के संबंध में कोई अभिलेख प्रदान नहीं किया गया।                                |
| कुरुक्षेत्र   | 35              | 7                     | 20                | 1                          | 18                        | 8 कार्य स्थल विवाद, पाइप उपलब्ध नहीं होने के कारण शुरू नहीं हुए।                     |
| नंबर 1, करनाल | 20              | 2                     | 15                | 2                          | 15                        | तीन कार्य पाइप उपलब्ध नहीं होने के कारण शुरू नहीं हुए।                               |
| नंबर 2, करनाल | 18              | 2                     | 16                | 3                          | 14                        | --   |
| पंचकुला       | 19              | 6                     | 8                 | 4                          | 12                        | 4 कार्य प्रगति पर हैं और एक अनुबंध गलत तरीके से अपलोड किया गया है।                   |
| <b>कुल</b>    | <b>221</b>      | <b>60</b>             | <b>131</b>        |                            |                           |  |

परिशिष्ट-27  
(संदर्भ: अनुच्छेद 6.7.2; पृष्ठ 70)  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के चयनित मंडलों के कार्यों की स्थिति

| क्र. सं. | इकाई का नाम       | परियोजना का नाम  | में कार्य शुरू हुआ | में निर्धारित पूर्णता | विलंब (महीनों में) | कार्य की स्थिति |
|----------|-------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 1        | नगर निगम हिसार    | अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत संचालन एवं रखरखाव के साथ हिसार शहर में गांवों सहित नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति प्रणाली प्रदान करना                                 | नवंबर 2018         | फरवरी 2020            | कार्य प्रगति पर है | अपूर्ण          |
| 2        | नगर निगम पंचकुला  | नगर निगम (एमसी), पंचकुला के गांवों में वितरण प्रणाली तथा नलकूपों की स्थापना और संचालन एवं रखरखाव सहित पानी की आपूर्ति में वृद्धि के लिए  | फरवरी 2019         | अप्रैल 2020           | कार्य प्रगति पर है | अपूर्ण          |
| 3        | नगर निगम फरीदाबाद | फरीदाबाद शहर में नागरिक सुविधाओं एवं बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र में जल आपूर्ति उपलब्ध कराने का कार्य   | दिसंबर 2018        | फरवरी 2020            | कार्य प्रगति पर है | अपूर्ण          |
| 4        | नगर निगम रेवाड़ी  | रेवाड़ी शहर में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के लिए पानी की आपूर्ति प्रदान करने का कार्य  | नवंबर 2018         | जून 2020              | कार्य प्रगति पर है | अपूर्ण          |
| 5        | नगर निगम रोहतक    | रोहतक शहर में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के लिए पानी की आपूर्ति प्रदान करने का कार्य  | नवंबर 2018         | जून 2020              | कार्य प्रगति पर है | अपूर्ण          |
| 6        | नगर निगम करनाल    | नगर निगम करनाल के 15 गांवों में वितरण प्रणाली तथा नलकूप और संचालन एवं रखरखाव की स्थापना सहित जल आपूर्ति प्रणाली के प्रावधान और विस्तार का कार्य  | नवंबर 2018         | नवंबर 2019            | 17                 | पूर्ण           |
| 7        | नगर निगम फरीदाबाद | पुराने फरीदाबाद शहर में बंद पड़ी जल आपूर्ति लाइन को बदलने के लिए जल आपूर्ति लाइन देना और वार्ड नंबर 29 एवं 30, फरीदाबाद में उन क्षेत्रों में नई जल आपूर्ति लाइन डालना जहां अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है | दिसंबर 2018        | दिसंबर 2020           | 1                  | पूर्ण           |
| 8        | नगर निगम फरीदाबाद | कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नंबर 32, फरीदाबाद में विभिन्न स्थानों के लिए (डायरेक्ट रोटरी) विधि द्वारा 280 मिलीमीटर व्यास के 5 नलकूपों का प्रावधान   | जून 2019           | दिसंबर 2019           | 11                 | पूर्ण           |
| 9        | नगर निगम फरीदाबाद | वार्ड 34, फरीदाबाद में 3 नलकूप बोर 280 मिलीमीटर व्यास (डायरेक्ट रोटरी) के माध्यम से और 4 मिनी नलकूप बोर स्थापित करने का प्रावधान   | जनवरी 2018         | जून 2018              | 23                 | पूर्ण           |
| 10       | नगर निगम फरीदाबाद | फरीदाबाद के वार्ड नंबर 34 के प्रेम नगर में विभिन्न स्थानों पर इंजन चालित बॉकी टाइप मशीन से 5 नलकूप बोर का प्रावधान   | जुलाई 2019         | दिसंबर 2019           | 1                  | पूर्ण           |

## हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चयनित मंडलों के वाटर वर्क्स की स्थिति

| क्र. सं. | इकाई का नाम   | परियोजना का नाम   | में कार्य शुरू हुआ | में निर्धारित पूर्णता | विलंब (महीनों में) | कार्य की स्थिति |
|----------|---|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 1        | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हिसार                  | औद्योगिक सेक्टर 27 एवं 28 में मूलभूत संरचना का उन्नयन   | जनवरी 2019         | जुलाई 2019            | 17                 | पूर्ण           |
| 2        | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण संख्या 1 मंडल, पंचकुला | सेक्टर-21 (भाग-III) पंचकुला के नए नियोजित क्षेत्र में जल आपूर्ति, सीवरेज और एसडब्ल्यूडी योजना प्रदान करना | अक्टूबर 2020       | जुलाई 2021            | कार्य प्रगति पर है | अपूर्ण          |
| 3        | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक                  | सेक्टर-3, रोहतक में आरसीसी यू/जी सीडब्ल्यूटी, बी/एस का निर्माण  | अगस्त 2016         | दिसंबर 2016           | 7                  | पूर्ण           |
| 4        | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक                  | सेक्टर-34, रोहतक में दूसरे वाटर वर्क्स का निर्माण   | जुलाई 2013         | जनवरी 2015            | 19                 | पूर्ण           |
| 5        | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक                  | सेक्टर-34, रोहतक में मास्टर डब्ल्यू/एस राइजिंग मेन प्रदान करना  | फरवरी 2015         | अगस्त 2015            | 19                 | पूर्ण           |
| 6        | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक                  | सेक्टर-34, रोहतक में मास्टर डब्ल्यू/एस राइजिंग मेन प्रदान करना  | फरवरी 2015         | अगस्त 2015            | 19                 | पूर्ण           |
| 7        | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रेवाड़ी                | वाटर वर्क्स कालका (रेवाड़ी) में 1 एस एंड एस टैंक का निर्माण   | सितंबर 2016        | दिसंबर 2017           | कार्य प्रगति पर है | अपूर्ण          |

परिशिष्ट-28

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.7.2; पृष्ठ 70)

विलंबित कार्यों की मंडलवार स्थिति (चयनित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण  
और नगर निगम)

| जिला का नाम   | कार्यों की संख्या | महीनों में विलंब                  | स्थिति               |
|---|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| नगर निगम-हिसार,   | 1                 | कार्य प्रगति पर है                | अपूर्ण               |
| नगर निगम-पंचकुला  | 1                 | कार्य प्रगति पर है                | अपूर्ण               |
| नगर निगम-फरीदाबाद   | 5                 | न्यूनतम 1 माह से<br>अधिकतम 24 माह | अपूर्ण-1,<br>पूर्ण-4 |
| नगर निगम-रेवाड़ी  | 1                 | कार्य प्रगति पर है                | अपूर्ण               |
| नगर निगम-रोहतक  | 1                 | कार्य प्रगति पर है                | अपूर्ण               |
| नगर निगम-करनाल  | 1                 | 17                                | पूर्ण                |
| हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)-मंडल                      |                   |                                   |                      |
| हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-हिसार,<br>पंचकुला, रोहतक तथा रेवाड़ी | 7                 | न्यूनतम 7 माह से<br>अधिकतम 19 माह | अपूर्ण-2,<br>पूर्ण-5 |







©  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.cag.gov.in/ag/haryana/hi](http://www.cag.gov.in/ag/haryana/hi)